खण्ड-263, अंक-9
सोमवार, 9 फाल्गुन, शक संवत् 1887
(28 फरवरी, 1966 ई0)

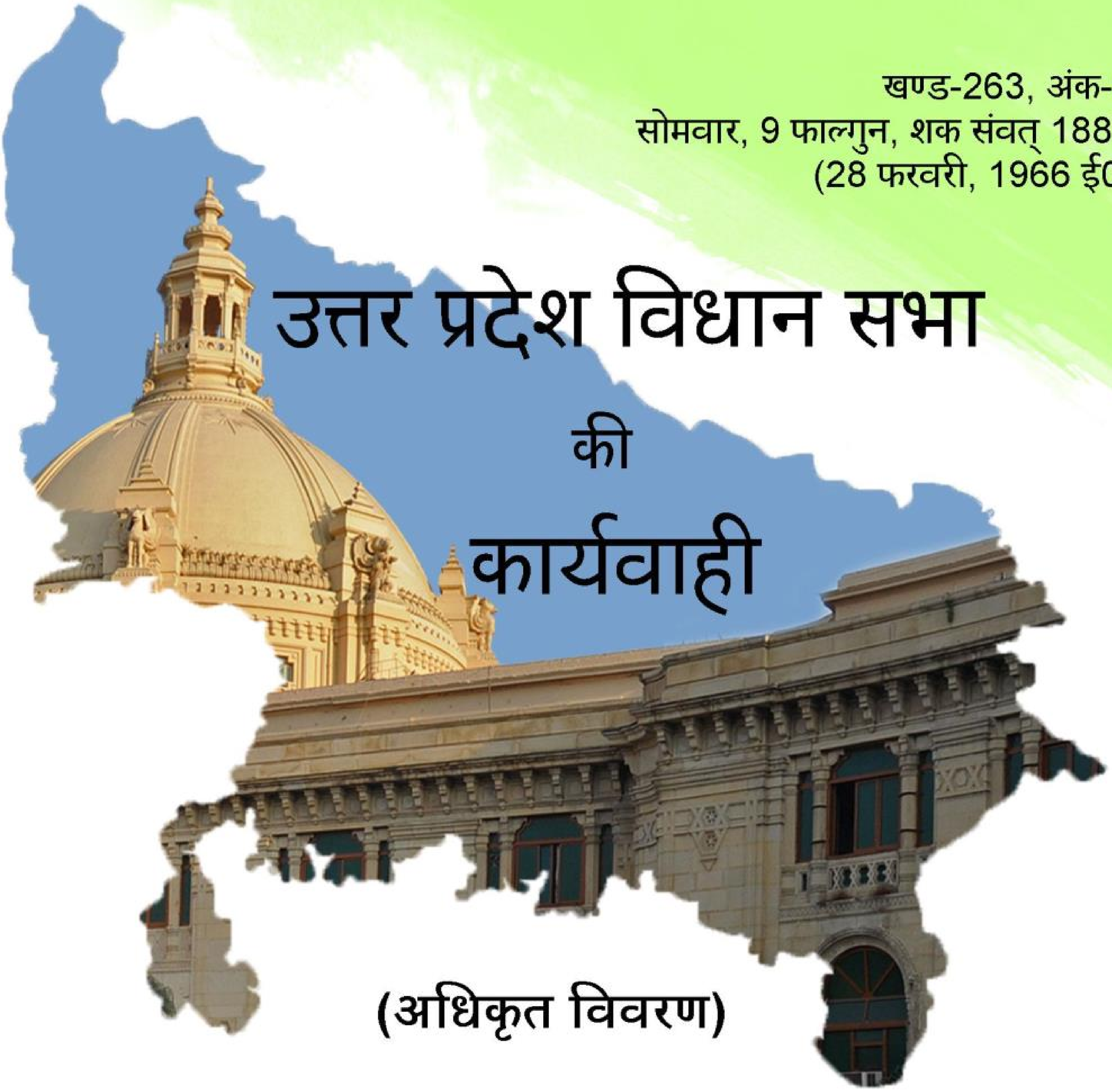

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 263 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	८१३–८१६
प्रश्नोत्तर	८१७–८४१
राज्य सरकार के कर्मचारियों की मांगों में कार्य-स्थगन प्रस्ताव (उपस्थित करने की अनुमति नहीं दी गई)	८४२–८४३
मुरादाबाद जिले में ओला वृष्टि से फसल की क्षति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना (केवल वक्तव्य के लिये स्वीकृत) ..	८४३
सैनिक परिवारों से बढ़ी हुई लगान वसूल करने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	८४३–८४६
इलाहाबाद जिले में अनावर्षण से हुई क्षति तथा लगान वसूली के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	८४६–८५५
एटा जिले के अयारा ग्राम में डाका के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	८५५–८६३
झांसी तथा आगरा जिले में ओला वृष्टि से क्षति के सम्बन्ध में वक्तव्य (जारी)	८६३–८६४
बाराबंकी जिले की हैदरगढ़ तहसील में अनावर्षण से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य	८६४–८६५
झांसी तथा आगरा जिले में ओला वृष्टि से क्षति के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	८६५–८६६
१९६६–६७ के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १६—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य (स्वीकृत) ..	८६७
अनुदान संख्या २९—समाज कल्याण तथा अनुदान संख्या २८—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां (स्वीकृत)	८६७–९११
नस्थियां	९१२–९१६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २८ फरवरी, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरंभ हुई।

उपस्थित सदस्य—३३४

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊधल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
कंवईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम सुजान गुप्त)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वरआरा बेगम, श्रीमती
कुमार कवगा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगावर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह बिष्ट, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गणेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुल प्रसाद, श्री

गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छांगुर, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अम्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगल किशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (दुबूसिंह)
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री

बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारी लाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलबीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौती दीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्तानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेढ़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीरसहाय कैथवार, श्री
रघुबीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
राम अवध, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री

रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वसी नकवी, श्री
वचित्रनारायण शर्मा, श्री
वजयकुमार, श्री
वजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्री
शराफतहुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदार सिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सोहनलाल बुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

गृह मन्त्री, श्री हरगोविन्द सिंह तथा गृह उपमन्त्री, श्री शिव प्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २८ फरवरी, १९६९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राधामोहन विद्यार्थी की हत्या की फर्रुखाबाद कोतवाली में सूचना

**१—सर्वश्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित) तथा रत्नपाल सिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या यह सत्य है कि २२ फरवरी, १९६६ को अथवा उसके आसपास किसी दिन फतेहगढ़ के एक छात्र की किसी ने छुरा भोंक कर हत्या कर दी ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मन्त्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—

दिनांक २१-२-६६ को राधा मोहन नामक विद्यार्थी की मृत्यु चाकू की चोटों से होने की सूचना कोतवाली फर्रुखाबाद में प्राप्त हुई। इस संबंध में धारा ३०२ भा० दं० विधान के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में जांच जारी है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९१२ पर)

श्री रत्नपाल सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है क्या वह भी विद्यार्थी है ? यदि नहीं तो वह कौन व्यक्ति है और मृत बालक की मृत्यु का क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

अभियुक्त विद्यार्थी है या नहीं, यह तो सूचना मेरे पास नहीं है लेकिन वह व्यक्ति ४ वर्ष का सजा याफ्ता है। मृत्यु का कारण दोनों का आपस में झगड़ा होना और उस झगड़े में यकायक चाकू लगना है।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

मैं जानना चाहता हूं कि मृत विद्यार्थी किस विद्यालय में पढ़नेवाला था ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

श्रीमन्, इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री होरीलाल यादव—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब श्री राधा मोहन नामक विद्यार्थी अस्पताल ले जाया गया, उस समय वह जीवित था या पहले ही मर गया था ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

वह अस्पताल में ९ बजे ले जाया गया और १० बजे वहां पर डाक्टर ने कोतवाली को टेलीफोन किया कि इस बालक की मृत्यु हो गयी।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एफ० आई० आर० किस ने दर्ज करायी? किन किन लोगों के नाम उसमें दिये गये हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

एफ० आई० आर० का इसमें कोई सवाल नहीं है। लड़का डाक्टरी के लिये अस्पताल में गया और वहां पर ही उसकी मृत्यु हो गयी। तब डाक्टर ने कोतवाली को टेलीफोन किया और इसकी मृत्यु के बारे में बताया।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह घटना किस वक्त हुई और थाने में इसकी सूचना कब मिली ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

इसमें तो यह लिखा हुआ है कि एक लड़का राधा मोहन पुत्र गंगाप्रसाद वर्मा मारा गया है। कितने बजे की घटना है इसमें नहीं लिखा हुआ है ?

श्री हिम्मत सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि थाने में सूचना किस वक्त हुई ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

श्रीमन्, १० बजकर ५ मिनट पर उस विद्यार्थी की मृत्यु हुई और उसी वक्त डाक्टर शर्मा ने कोतवाली में टेलीफोन किया और उसके बाद वहां से एस० आई० अस्पताल में गये।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किसी अधिकारी ने यह आवश्यक नहीं समझा कि इसकी मृत्यु सन्निकट है और इसका डाइंग डिक्लेरेशन लिया जाय ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

मैंने बताया कि अस्पताल में मृत्यु हो जाने के बाद डाक्टर ने कोतवाली में फोन किया। और वह ९ बजे अस्पताल में चाकू के घाव से जख्मी दाखिल हुआ था। उसके पहले पुलिस को इसकी कोई इत्तला नहीं थी।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

मैंने पहले पूछा था कि एफ० आई० आर० किसने दर्ज करायी, क्योंकि उसी के आधार पर अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ?

श्री अध्यक्ष—

उत्तर में दिया हुआ है कि प्रथम सूचना की जो रिपोर्ट थी वह फोन द्वारा डाक्टर ने वहां दी।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या डाक्टर ने उस आदमी का नाम भी बताया जिसके छुरे से लड़के की मृत्यु हुई थी। वह नाम पुलिस को कैसे मालूम हुआ ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जब इनवेस्टीगेशन हुआ तो उस दौरान उसका नाम मालूम हुआ और वह पकड़ा गया।

श्री हिम्मत सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी को खबर है कि मृतक के घर वालों ने घटना और स्थान की कोई सूचना दी थाने में या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

इस घटना के सम्बन्ध में उन के घर वालों ने सूचना दी या नहीं। घटना का स्थल थाने से कितनी दूर है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

मैं समझ नहीं पाया।

श्री हिम्मत सिंह—

घटना का स्थान थाने से कितनी दूर है और घर वालों ने सूचना दी कि नहीं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

थाने पर तो इस घटना की कोई सूचना नहीं थी। पहली सूचना जो थाने पर पहुंची वह डाक्टर के फोन द्वारा पहुंची कि लड़के की मृत्यु यहां हो गई।

श्री होरीलाल यादव—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जहां पर यह कत्ल होना बताया गया है, पलरा मठिया देवी, वहां से पल्ला चौकी केवल २ फर्लांग की दूरी पर है और यह सड़क चलती रहती है, फिर भी पुलिस को पता नहीं लगा इसका क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

इसकी सूचना मुझे नहीं है कि कितनी दूर वहां से चौकी है। कोतवाली पर जो रिपोर्ट आयी वह मैंने बतायी।

कानपुर में सिक्योरिटी तथा जाब प्रेस में हड़ताल

**२—श्री दयाराम शाक्य (अनुपस्थित) तथा श्री रत्नपाल सिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि कानपुर स्थित सिक्योरिटी तथा जाब प्रेस में गत १४ दिनों से तालाबन्दी चल रही है ? यदि हां, तो क्यों तथा मिल खुलवाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसी दास)—

जी नहीं। तालाबन्दी नहीं, बल्कि दिनांक १० फरवरी, १९६६ से श्रमिकों द्वारा हड़ताल की गई है जो अभी चल रही है। इस हड़ताल को समाप्त करने के लिये श्रम अधिकारी दोनों पक्षों में समझौता कराने में प्रयत्नशील हैं।

श्री रत्नपालसिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस हड़ताल में जिस को मंत्री जी ने कहा है, कितने श्रमिक प्रभावित हुये हैं, तथा सरकार ने जो कहा कि समझौते के प्रयास किये गये वे क्या-क्या किये गये ?

श्री बनारसी दास—

दो प्रेस हैं, एक सिक्योरिटी और दूसरा जाब प्रिंटिंग प्रेस, ये दोनों एक ही प्रबन्धक के हैं। करीब २७५ श्रमिक प्रभावित हैं। उस में श्रम विभाग की तरफ से प्रयास किया गया। एक व्यक्ति

[श्री बनारसीदास]
को निकाल दिया गया था उस पर एक दूसरे ने प्रोटेस्ट किया जिस पर झगड़ा हुआ इसलिये दोनों को अलग कर दिया गया। तो विभाग की तरफ से प्रयत्न किया जा रहा है कि दोनों को रख लें। लेकिन प्रबन्धक इस बात पर जिद किये हैं कि उनको न रखा जाय। प्रयास चल रहा है, उसमें कामयाबी नहीं हुई है।

श्री रणपाल सिंह—

हड़ताल का जो मुख्य कारण है केवल दो आदमियों को नौकरी पर रखा जाना ही है या और भी मांगे हैं ?

श्री बनारसी दास—

हड़ताल के लिये कोई नोटिस नहीं दिया गया। बात यह हुई कि ९ तारीख को मौखिक रूप से एक कर्मचारी को अलग कर दिया गया। लेकिन वह १० तारीख को पृथक होने के बावजूद भी ड्यूटी पर आया। तो प्रबन्धकों ने उस को बाहर जाने को कहा। बराबर के कर्मचारी ने कहा कि इस को रखना चाहिये। इस पर वे दोनों बाहर चले गये। मध्याह्न के बाद दूसरे लोग भी बाहर चले गये। कोई नोटिस नहीं है और न कोई मांग है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

१९६४ का जो बोनस बनता है उसे बांट देना चाहिये था, जनवरी ६५ तक लेकिन वह अभी तक नहीं बांटा गया है और इसी के कारण असंतोष है और यह झगड़ा चल रहा है, तो क्या सरकार मालिकान के खिलाफ इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करेगी कि क्यों बोनस नहीं बांटा गया ?

श्री बनारसी दास—

श्रमिकों अथवा यूनियन की तरफ से कोई नोटिस नहीं दिया गया है। जहां तक बोनस का सवाल है वह किसी भी एकाउंटिंग ईयर के ८ महीने बाद ड्यू होता है और अगर मालिकान नहीं देते हैं तो फिर विभाग कार्यवाही करता है। लेकिन यह प्रश्न मेरे सामने नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

जिन कर्मचारियों को प्रबन्धकों ने निकाला उनके विरुद्ध क्या शिकायत थी ?

श्री बनारसी दास—

वह अस्थायी था इस लिये हटा दिया गया।]

श्री ऊदल—

झगड़े को हल करने की जो कोशिश हो रही है श्रम विभाग ने इस सम्बन्ध में जो बातें रखीं थीं उनको श्रमिकों ने तो मान लिया है लेकिन प्रबन्धकों ने नहीं माना है क्या यह बात सच है ?

श्री बनारसी दास—

अभी समझौते की वार्ता जारी है। प्रबन्धक जिद हैं निकाले हुये श्रमिकों को न रखने के लिये और श्रम विभाग की कोशिश है कि रख लिये जायं और श्रमिक भी यही चाहते हैं कि रख लिये जायं।

अध्यक्ष, एटा जिला परिषद् का चुनाव

**३—सर्वश्री गिरवर प्रसाद, (जिला एटा) (अनुपस्थित), राजेन्द्र सिंह (जिला एटा), तथा बेधराम (जिला एटा),—

क्या विकास मंत्री जी बतायेंगे कि प्रश्न संख्या ५२, दिनांक १६ फरवरी, १९६६ के उत्तर में जो कहा गया कि "शीघ्र ही होगा" से कितने समय से तात्पर्य है, तथा किस निश्चित तिथि तक अध्यक्ष जि० प०,एटा का चुनाव सम्पन्न करा दिया जावेगा ?

कृषि मंत्री (श्री गेंदा सिंह)—

नियमानुसार जिलाधीश एटा को निर्वाचन का कार्यक्रम निश्चित करना है। जिलाधीश को आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये हैं। निर्धारित कार्यक्रम तथा निश्चित तिथि की अभी सूचना प्राप्त नहीं है।

श्री राजेन्द्र सिंह—

क्या विकास मंत्री बतलायेंगे कि २३ जुलाई, ६५ को जिला परिषद् अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करके हटा दिया गया लेकिन अभी तक चुनाव न कराने का कारण क्या है ? आदेश किस तारीख को भेजा गया और क्या भेजा गया ?

श्री गेंदा सिंह—

२३ जुलाई को अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाने के बाद इस प्रश्न पर विचार होने लगा कि केजुअल वेकेन्सी है या नहीं है ? फिर इस पर कानूनी सलाह लेने के बाद यह तय हुआ कि चुनाव करा दिया जाय। इस बीच में एमर्जेंसी आ गयी और फिर यह सोचा जाने लगा कि चुनाव करा दिये जायं और ३१ जनवरी को यह आदेश भेजे गये हैं कि उक्त कार्यवाही की जाय।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

जुलाई के महीने में स्थान रिक्त हुआ और चुनाव न कराने का कारण यही है कि मौखिक आदेश यही हैं कि चुनाव न कराये जायं और जिलाधिकारी चूंकि पी० सी० एस० हैं तो उनसे चुनाव न कराने के लिये यह वायदा भी किया गया है कि उनको आई० ए० एस० की तरक्की दे दी जायगी ?

श्री गेंदा सिंह—

ऐसी बात कभी नहीं कही जा सकती। नेता विरोधी दल को ऐसी बातों पर यकीन भी कभी नहीं करना चाहिये।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

इसलिये यह बात मैं कहता हूं कि बजट पर प्रश्न किये गये, तीन-तीन दफा सवाल किये गये फिर क्या कारण है कि आदेश जाता है कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराये जायं फिर भी जिलाधीश उन आदेशों की अवहेलना करते हैं।

(उत्तर के लिए मंत्री को नहीं पुकारा गया।)

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

यह जो आदेश गये हैं उनमें क्या जिलाधीश से स्पष्ट कहा गया है कि इस तारीख तक यह चुनाव हो जाने चाहिये।

श्री गेंदा सिंह—

आदेशों में स्पष्ट कहा गया है कि चुनाव नियमानुकूल करा दिया जाय।

श्री यादवेन्द्र दत्त—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किस तारीख तक चुनाव करा दिया जायेगा ?

श्री गेंदा सिंह—

नियम नुकूल जितना कम से कम समय में हो सकेगा चुनाव करा दिया जायेगा ।

श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ३१ जनवरी को यहां से आदेश गया और आज २८ फरवरी हो गई है और एक महीने में यह तय नहीं हो सका कि चुनाव अवश्य हो जायेगा, तो इस प्रश्न को स्थगित करके निश्चित रूप से बतायेंगे कि चुनाव मार्च में करा दिया जायेगा ?

श्री गेंदासिंह—

श्रीमन्, जो आदेश गया है उसके अनुसार वे कार्यवाही कर रहे होंगे ।

(व्यवधान)

श्री रघुबीर सिंह (जिला एटा)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला एटा के जिला परिषद् की एक पिटीशन नानकचंद और पालीवाल के बीच में चल रही है ? यदि कोई फैसला हुआ तो सरकार क्या अमल करेगी ?

श्री गेंदा सिंह—

श्रीमन्, वह तो जुडीशियरी का फैसला है । अगर होगा तो उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

श्री हरिनाथतिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

क्या मंत्री जी को सूचना है कि उपाध्यक्ष कांग्रेसी हैं इसलिये चुनाव टाला जा रहा है कि वे कार्य करते रहें ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया ।)

श्री राजेन्द्रसिंह—

श्रीमन्, इस संबंध में मैं मुख्य मंत्री और विकास मंत्री से मिला था तो उन्होंने कहा था कि जिस दिन पाकिस्तान से लड़ाई बंद हो जायेगी चुनाव करा देंगे । लेकिन अभी तक नहीं कराये और ३१ तारीख को आदेश गये और एक महीने के बावजूद भी कुछ नहीं हो सका बल्कि यह कहा गया कि नियमानुसार चुनाव करायेंगे । इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि मंत्री जी इसको स्थगित करा दें और ४ मार्च तक बतायें कि क्या चुनाव मार्च में निश्चित रूप से हो जावेंगे ? मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि वहां के जिलाधीश ने हम लोगों से स्पष्ट कहा है कि टेलीफोन से मना किया गया है ।

श्री अध्यक्ष—

अब यह तो हो गया है ।

श्री हिम्मत सिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ३१ जनवरी से २८ फरवरी तक चुनाव संबंधी क्या-क्या कार्यवाही की है ?

श्री गेंदासिंह—

श्रीमन्, इसमें तो सूचना की जरूरत है ।

महंगाई-भत्ते के लिए मांग-पत्र

**४—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी), श्री अवधेश कुमार सिनहा (जिला सीतापुर), श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी), श्री बालोजी अग्रवाल, (जिला आगरा), तथा श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सचिवालय के तथा प्रदेशीय सरकारी कर्मचारी वेतन तथा महंगाई भत्ता इत्यादि बढ़ाने हेतु विधान भवन के सामने १४ फरवरी, १९६६ से प्रदर्शन कर रहे हैं और तब तक करते रहने का संकल्प किया है जब तक सरकार उनकी मांगें स्वीकार नहीं करती ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

जी हां, प्रदर्शन केवल मंहगाई भत्ते के बारे में किया जा रहा है ।

**५—श्री रामकिशोर त्रिपाठी, श्री अवधेश कुमार सिनहा, श्री लखपतराम शर्मा, तथा श्री रतीपाल—

क्या मुख्य मंत्री को यह भी ज्ञात है कि उक्त सरकारी कर्मचारियों ने अपनी दयनीय दशा के प्रदर्शन हेतु काले बिल्ले बांध रखे हैं ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या करने जा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां । कुछ कर्मचारी काला बिल्ला बांधे देखे गये हैं । सरकार ने इस विषय पर अपनी नीति पहिले ही स्पष्ट कर दी है ।

**६—श्री राम किशोर त्रिपाठी, श्री अवधेशकुमार सिनहा, श्री लखपतराम शर्मा, श्री बलोजी अग्रवाल, तथा श्री रतीपाल—

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सचिवालय के कर्मचारियों तथा प्रदेशीय कर्मचारियों ने फरवरी, १९६६ में इस वेतन आदि विषय का कोई मांग पत्र मुख्य मंत्री को प्रस्तुत किया है ? यदि हां, तो उक्त मांग पत्र की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं और सरकार ने उक्त मांग-पत्र पर क्या कार्यवाही की ? क्या सरकार इस मांग-पत्र की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सचिवालय के कर्मचारियों की ओर से मंहगाई भत्ते के बारे में १९ फरवरी को एक मांग पत्र मिला है जिसकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जाती है । यू० पी० फेडरेशन आफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज एशोशियेशन तथा राज्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ, जिला शाखा लखनऊ की ओर से भी इसी विषय पर मांग-पत्र आये हैं ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९१३–९१४ पर)

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह सही है कि वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक जी० ओ० जारी नहीं हुआ है ? उसने यह भी रिपोर्ट की थी कि जिस प्रकार मंहगाई बढ़ेगी उसी प्रकार से वेतनक्रम और मंहगाई में बढ़ोतरी की जायेगी । इस मांग की पूर्ति नहीं हो रही है । यदि हां तो क्या बतायेंगे कि जी० ओ० कब तक जारी हो जायेगा और मंहगाई की मांग के संबंध में मुख्य मंत्री क्या विचार कर रहीं हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रश्न बहुत लम्बा है। पहले हिस्से का जवाब यह है कि जी० ओ० आज सवेरे जारी हो गया है। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट से डिपार्टमेंट्स को यह भी हिदायत भेजी गयी है कि कोशिश करके हर जगह १५ मार्च तक, जो एरियर्स बनते हैं पहली अप्रैल से बिल बना कर दिलवा दें।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि हमारे राज्य के बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी रोज शाम को विधान भवन के सामने अपनी मांगों को ले कर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मुख्य मांग यह है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को जिस प्रकार से मंहगायी भत्ता प्राइस इंडेक्स के हिसाब से दिया जा रहा है उसी प्रकार बढ़ती हुई मंहगायी को देखते हुये, उनको भी मंहगायी भत्ता दिया जाय और इस संबंध में चूंकि सरकार मौन है इसलिये कर्मचारियों ने निर्णय किया है कि कल पे का बाईकाट करेंगे १५ को सामूहिक भूखहड़ताल करेंगे और उसके बाद २५ तारीख को उनकी पत्नियां भी प्रदर्शन करेंगी, यह गंभीर स्थिति देखते हुये कि कर्मचारियों में इतना बड़ा असंतोष व्याप्त है क्या सरकार बैठ कर कर्मचारियों के साथ और इस सदन के सदस्यों के साथ इस गंभीर स्थिति का कोई हल निकालने के लिये तैयार है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

कर्मचारियों की बेचैनी कुछ हद तक इस कारण से थी जो पी० आर० सी० की रेकमेन्डेशन लागू होने में इतनी देर हुई। जहां तक यह सवाल है कि उनका डी०ए० लिंक हो, आन प्रिंसिपल इसमें कोई ऐतराज नहीं कर सकता। १९५७–५९ की पे कमेटी ने यह कहा था कि यह बात सही है लेकिन स्टेट्स अपनी आर्थिक स्थिति को नजर में रख कर ही कर सकती हैं। अभी जब सेन्ट्रल गवर्नमेंट का डी० ए० बढ़ाया गया है उस वक्त चीफ मिनिस्टर्स की तरफ से मीटिंग हुई दिल्ली में। वहां भी पेश किया गया कि स्टेट्स बराबर तभी दे सकती हैं जब कि स्टेट्स की आर्थिक स्थिति देने लायक हो। यह भी उन्होंने कह दिया है कि स्टेट्स अपनी आर्थिक स्थिति देख कर ही दें। हम लोगों का डिमांड था कि जो केन्द्रीय सरकार अगर लिंक करे तो स्टेट गवर्नमेन्ट्स को भी उतना कम्पेनसेट करे तभी स्टेट्स दे सकती हैं नहीं तो दे नहीं सकतीं। यह भी मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस साल हम लोगों ने प्रयास करके काफी गवर्नमेंट सर्वेंटस को तरक्की देने का प्रयास किया। उसके साथ साथ दोनों चीजें बढ़ाना मुश्किल है। इसके अलावा जो लिंकिंग की बात है कि डियरनेस अलावेंस को कास्ट आफ लिविंग के इन्डेक्स के साथ लिंक किया जाय, पे रेशनलाइजेशन कमेटी ने जून १९६५, में जो कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स था उसको खयाल में रखते हुये अपनी सिफारिश की है वह लागू हो जायगी। मैं एक आध बात और बताना चाहती हूं। अब रेशनलाइजेशन कमेटी की सिफारिश आने के बाद मिनिमम सेलरीज पे और महंगायी उनका होगा ७० रुपये। १९४७ में ३४१ कानपुर में कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स था। उसको देखते हुए १०० प्रतिशत न्युट्रलाइजेशन हो जाता है। मिनिमम पे वालों का बनता है ४८.३०, और जून में ७२२ इंडेक्स था, वह भी देखें तो टोटल इमालूमेंटस बनते हैं ५२.४ उसके बजाय ७० दे रहे हैं। लिहाजा मिनिमम सेलरीज पाने वालों का १०० प्रतिशत या उससे ज्यादा न्युट्रलाइजेशन हो गया है। यह नहीं है कि हम हमदर्दी नहीं रखते। हम हर तरीके से मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। मगर उनका आर्गुमेंट मिनिमम डी० ए० बढ़ाने का ज्यादा बनता नहीं है।

श्री लखपतराम शर्मा—

मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश के कर्मचारी जो आप के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका मेन कारण यह है कि प्रदेश में आए दिन महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है ? आये दिन बढ़ती

हुई महंगाई को रोकने के लिये भी आपने कोई कदम उठाया है। इसके लिये आपकी कोई योजना है या नहीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

आपलोग यह जानते हैं कि महंगाई बढ़ना केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, सारे प्रदेशों में है। फिर भी यह ठीक है कि अगस्त, १९६५ से महंगाई कुछ घटी है। दूसरी बात यह है जिससे हम आपका सहयोग चाहते हैं, वह यह है कि केवल तनख्वाह बढ़ाना महंगाई रोकने का और उनको राहत देने का सही रास्ता नहीं है। फिर भी जितनी हमारी ताकत है, उतना हम उनका महंगाई भत्ता बढ़ाते हैं। हमारा प्रयास यह है कि कम वेतन पाने वालों का रियल वेजेज ठीक हो। यह इस तरह से हो सकता है कि उन्हें जरूरत का सामान सही दामों पर दिया जाए। इसी वास्ते उनकी जरूरत की चीजों और गल्ले की दुकानें उनके लिये खोली गयी है, जिनकी संख्या इस समय सात है, और भी खोलने का प्रयास कर रहे है। कास्ट आफ लिविंग को कन्ट्रोल करने का यही तरीका है कि उन्हें सामान सस्ते भाव पर दिया जाए। सभी लोगों को यदि दिया जा सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जबतक यह इतना नहीं बढ़ रहा है सिर्फ गवर्नमेंट सबन्ट्स को हमने देने का प्रयास किया।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या यह सही है कि जो वेतन अभिनवीकरण समिति द्वारा वेतन-क्रम निर्धारित किये गये है, वह परिवार में ढाई यूनिट मानकर निर्धारित किये गये है, जबकि इतना छोटा परिवार किसी भी दशा में वास्तव में नहीं होता है, इसके अतिरिक्त फाइनेंस मिनिस्टर ने जो आश्वासन दिया है, तो क्या उन आश्वासनों पर सरकार फिर से विचार करने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

हम तो हमेशा इसके लिये तैयार हैं कि हम कम वेतन पाने वालों की किस तरह से मदद कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उसके कर्मचारियों को कम वेतन मिले और उनमें असन्तोष हो, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। हम भी देखते हैं कि कर्मचारी काले बिल्ले लगाकर इधर-उधर घूमते है, पता नहीं वह काम किस वक्त करते हैं। काले बिल्ले में हमें एक तो यह फायदा हुआ है कि पहले जब हम कहते थे कि वह घूमा करते है, लेकिन अब हम काले बिल्ले के जरिये से उन्हें जान लेते हैं लोग इधर उधर इस तरह से घुमा करते हैं। इस तरह का हम असन्तोष उनमें नहीं चाहते है लेकिन २, ४ और ५ रुपया बढ़ाने से उसमें लाभ भी क्या होगा। उन्हें रियल मदद तब ही मिलेगी जब हम उनको ठीक भाव पर सामान दे सकेंगे। केन्द्रीय सरकार भी अब इस बात को मानती है। उन्होंने इस बार तो दे दिया है क्योंकि वह अपने कर्मचारियों को कमिटमेंट दे चुके थे लेकिन उन्होंने कहा है कि भविष्य में मंहगाई भत्ता न देकर रियल वेजेज बढ़ाने के लिये दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इस पर विचार करेंगे। हमने पहले से ही कमेटी के द्वारा इस तरह के तरीके अपनाये है १०० रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के बच्चों को पढ़ाई में मदद दी जाती है, उनको दो बच्चों तक की शिक्षा का फ्री इन्जाम किया गया है और अध्यापक जो इतनी वेतन वाले हैं उनके दो बच्चें नहीं, बल्कि उनके जितने भी डिपेन्डेन्ट हैं सभी के लिये फ्री एजूकेशन दी जाती है। उन्हें मेडिकल फैसेल्टीज दी गयी हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की जो फेमिली पेन्शन स्कीम है उसके बारे में भी हम लोगों ने पिछली कैबिनेट मीटिंग में उसकी सिफारिशों को एक्सेप्ट कर लिया है। इसमें यह है कि जिस कर्मचारी की एक साल की भी सर्विस हो और वह मर जाये, तो उसकी फेमिली पेन्शन की हकदार हो जायेगी। २०० रुपये तक वेतन पाने वालों को ३० परसेन्ट, कम से कम २५ रुपया दिया जायगा और २०० रुपये से ८०० रुपये तक वालों को १५ परसेन्ट दिया जायगा, कम से कम ६० रुपया होगा और ८०० रुपये से ऊपर के वेतन वालों को १२ परसेन्ट दिया जायगा जो कि १५० रुपये से अधिक नहीं होगा। हर तरीके से उन्हें मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

बारबार यह कहा जाता है कि अन्य राज्यों के मुकाबले में उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की तनख्वाह कम है। यह बात कहां तक सही है और क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ राज्यों के आंकड़े उद्धृत करते हुये इस तथ्य पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

पे रेशनलाइजेशन कमेटी की रिकमेंडेशन्स इम्प्लीमेंट करने के बाद मिनिमम तनख्वाह पाने वालों को उत्तर प्रदेश में ७० रुपये मिलता है जब कि बिहार में ६७ रुपये, मध्य प्रदेश में ७०, पंजाब में ६७.५०, वेस्ट बंगाल में ६०, आसाम में ४१, महाराष्ट्र में ८० मद्रास में ४८, मैसूर में ६०, केरल में ८०·५० और उड़ीसा में ७० है। अर्थात् उत्तर प्रदेश के मुकाबले में बम्बई और केरल को छोड़कर किसी का वेतन अधिक नहीं है।

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)—

आम तौर पर १९३९ की कास्ट को बेस बना कर कास्ट आफ लिविंग का इन्डेक्स कलकुलेट किया जाता है। आपने १९४७ को बेस बना कर कहा कि कास्ट आफ लिविंग का इन्डेक्स इस समय ३९० चल रहा है। ३९ को बेस लिया जाय तो कास्ट आफ लिविंग का इन्डेक्स ७२२ यानी ७ गुना ज्यादा है। सबसे ज्यादा डी० ए० मिलता है वह टेक्निकल सरविसेज को मिलता है और वहां पर न्यूट्रलाइजेशन केवल ५६ फीसदी है। आपने बताया कि अगर ४७ को बेस बना कर १०० फीसदी न्यूट्रलाइजेशन कर दिया जाय तो भी यहां के कर्मचारियों को अधिक दिया जाता है। सही मानों में १९३९ को बेस लेना चाहिये और लेबर को जो दिया जा रहा है उससे यह बहुत कम है और न्यूट्रलाइजेशन फिगर्स ५० फीसदी से कम है। ७२२ इस वक्त लेबर की कास्ट आफ लिविंग इन्डेक्स है। इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेन्ट १९३९ को बेस बना कर उस कास्ट आफ लिविंग इन्डेक्स के अनुसार इन कर्मचारियों के लिये महंगाई एडजस्ट करने के लिये तैयार नहीं है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैंने बताया कि अगर ७२२ को भी ले लें तो भी न्यूट्रलाइजेशन की फिगर्स ५२.४ आती है। हमने ७० रुपये दिये हैं। तो डाक्टर अहमद साहब के आंकड़ों का मुकाबला तो मैं नहीं कर सकती हूं क्योंकि वे बड़े भारी एकानामिस्ट हैं लेकिन मैं कहती हूं कि अगर ३९ को भी बेस बनायें तो हम ज्यादा दे रहे हैं।

श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या माननीय मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जो उनकी शाप्स खुली हैं उन पर सामान बाजार से मंहगा मिलता है और इस के कारण कर्मचारियों ने इसका बहिष्कार किया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस संबंध में मुझे यह कहना है कि मैं खुद ही शाम को वहां गयी थी जो सेक्रेटेरियट के पीछे दुकानें हैं कपड़े और दूसरे सामान की और उन लोगों से पूछताछ की। मुझे पता चला कि वहां रोजाना ९ सौ से १ हजार रुपये की बिक्री है और ७ दूकानें जो खुली हैं और भी दुकानें खोलने का प्रयास कर रहे हैं वहां सब पर डेढ़ लाख रुपये का सेल माहवार हो रहा है।

श्री बालोजी अग्रवाल—

मैं यह जानना चाहता हूं कि इन सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता भंडारों से जो सामान मिलता है वह क्या बाजार से महंगा मिलता है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सरकारी कर्मचारियों ने बहिष्कार कर रखा है ऐसी बात नहीं है। साथ ही यह भी है कि बाजार से वहां पर सस्ता सामान मिलता है।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के फाइनेन्स मिनिस्टर से पे एनामली के बारे में उनकी बात हुई कि प्रान्तीय सरकार के पे स्तर में और केन्द्रीय सरकार के पे स्तर में अन्तर बढ़ता जाता है और प्रा तीय सरकार नहीं बढ़ा सकती है जिससे वहां पर असन्तोष है तो मुख्य मंत्री जी ने फाइनेन्स मिस्टिर और वहां के मंत्रियों से बातचीत की है और बातचीत करने के बाद एक पैटर्न स्थापित करने के लिए सुझाव दिया है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इसके लिये प्लानिंग कमीशन से भी कहा है कि पैरिटी वेजेज में होनी चाहिये और डिसपैरिटी नहीं रहनी चाहिये। जिस समय केन्द्रीय सरकार ने महंगाई देने का ए ान किया तो उस वक्त भी हमारी तरफ से प्रतिनिधि गये और लिखा भी कि अगर आप महंगाई देते हैं तो हमको भी दें ताकि हम भी अपने यहां दे सकें। फाइनेन्स मिस्टिर के सामने भी हम लोगों ने ारी बातें रखी थीं। उन्होंने भी जितना पैसा बढ़ा सकते थे खर्चे में बढ़ा दिया। हमको पूरा कम्पेन्सेट नहीं किया। तीन चार करोड़ का गैप है। अभी जब च फ मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी तो हमने डी० ए० के लिये जोर दिया था तो उन्होंने कहा कि आप लोग अपने रिसोर्सेज को देखकर पैसा दें। इतना दबाव देने के बाद भी यह जवाब आया और कोई फाइनेन्शियल कम्पन्सेशन देने को वह एग्री नहीं हुये।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर गया है कि चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को २ रुपया हाउस अलाउ-स मिलता था और अब वह काटकर १ रुपया ५४ पैसा कर दिया गया है अर्थात ४६ पैसा कम हो गया है, तो क्या उसको रिस्टोर करने पर विचार करेंगे?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह बात हमारे ध्यान में नहीं है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

जिस दिन यहां पर यह मेमोरेन्डम उनको मिला था तो मुख्य मंत्री जी ने यह वचन दिया था और आश्वासन दिया था कि हम विचार करेंगे और केन्द्रीय सरकार से मालूम करेंगे कि उनकी मांगें किस प्रकार पूरी की जा सकती हैं, तो उस मेमोरेन्डम के मुताबिक क्या कार्यवाही करने जा रही हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जि ि दिन प्रदर्शन हुआ था उस दिन मैं नहीं थी इसलिये यह सवाल उठता नहीं है। लेकिन अगर केन्द्रीय सरकार हमें पैसा दे दे तो हम बड़ी खुशी से उन को पैसा देंगे।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

रबी के क्षेत्र में बढ़ती

*१—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या कृषिमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २७ अक्तूबर, १९५६ को उनके द्वारा विधान परिषद् में की गई घोषणा के अनुसार सरकार द्वारा जो १० लाख एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र में रबी बोने का निश्चय किया गया था वह कितना पूरा किया जा सका है ?

कृषि उपमंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

यह सूचना एकत्र कब तक हो जायगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिलाधीशों को वायरलेस दिया गया है कि वे जल्दी से जल्दी इन आंकड़ों को भेजें जो उन के पास एकत्र हैं।

श्री यादवेन्द्र दत्त—

यह नेता विरोधी दल का सवाल २१ जनवरी का है और आज कहा जा रहा है कि वायरलेस भेजे जा रहे हैं। तो इस सरकार का एक प्रश्न के उत्तर में इतनी देर लगाना उचित नहीं लगता। इस के लिये आप कोई व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

अब की सप्ताह में यह आ जाना चाहिये।

श्री गेंदा सिंह—

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी बात तो निश्चित है कि रबी का क्षेत्र बढ़ा है। यह आंकड़े हम जरूर चाहते थे कि सही सही बतलाये जा सकें। रबी की परताल मालगुजारी विभाग अब कर रहा है, लेकिन इधर कोई अन्तरिम उत्तर दिया जा सके इस बात की चेष्टा की जायगी।

कीरतपुर विकास खंड में पशुओं की बीमारी

*२—श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बिजनौर जिले के विकास खंड कीरतपुर के ग्राम हाजीपुर में वित्तीय वर्ष १९६४–६५ या १९६३–६४ में पशुओं की जो भीषण बीमारी (बेदन) चली उसमें कितने पशु (३१ मार्च, १९६५) मर गये ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

ग्राम हाजीपुर विकास खंड कीरतपुर जिला बिजनौर में वित्तीय वर्ष १९६४–६५ में जो भीषण बीमारी चली थी उसमें ३१ मार्च, १९६५ तक केवल ८ पशु मरे थे। यह बीमारी बेदन नहीं थी।

*३—श्री श्रीराम—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बीमारी की सूचना विकास खंड अधिकारी को कब मिली तथा चिकित्सा का प्रबन्ध कब किया गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

विकास खंड अधिकारी कोरतपुर को बीमारी की सूचना २ दिसम्बर, १९६४ को मिली। २ दिसम्बर, १९६४ से २३ दिसम्बर, १९६४ तक दो बार सहायक विकास अधिकारी (पशु पालन), कोरतपुर और एक बार पशु सेवक, अमाननगर चिकित्सा हेतु ग्राम हाजीपुर गये और बीमारी की जांच तथा पशुओं के निरीक्षण के पश्चात् उचित चिकित्सा की गई।

श्री श्रीराम—

वहां यह बेदन की बीमारी नहीं थी तो कौन-सी बीमारी थी? और, क्या मंत्री जी बतलावेंगे कि इस संबंध में कितनी शिकायत और प्रार्थना-पत्र गांव सभा के और प्रधान के उन को मिले?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मैं निवेदन कर चुका कि २-१२-६४ को हम को सूचना मिली। दूसरे यह बीमारी पेचिश की थी, कोई ऐसी भयानक बीमारी नहीं थी।

श्री श्रीराम—

क्या मंत्री जी जानकारी कराने की कृपा करेंगे कि यह बीमारी गलाघोटू थी और इस से १०८ जानवर मरे हैं और जब मीटिंग में गांव प्रधान ने लड़ाऊ से बैलगाड़ी मांगने की मांग की थी तो बी० डी० ओ० ने उसे मीटिंग से बाहर निकाल दिया था?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

अध्यक्ष महोदय, जहां तक यह बीमारी फैलने की बात कही जाती है, कुछ गांवों में पहले बेदन की तकलीफ पशुओं को हुई थी तो यह समझा गया कि कहीं वही बीमारी न हो, तो वहां पर दवाई भेज कर सुइयां पशुओं को लगायी गयीं जिससे बीमारी फैलने न पाये, लेकिन वह बीमारी थी नहीं। ग्राम सभा ने विकास खंड के अधिकारी को सूचना दी और उसने तुरन्त ही कार्यवाही शुरू कर दी।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय—

जब ग्राम सभा सदस्यों ने बी०डी०सी० की मीटिंग में शिकायत की कि गला घोटू बीमारी है तो वह माने नहीं और बी०डी०ओ० ने पहले उनको सभा से निकाल दिया? अगर सही है, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच करावेंगे?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

इसकी हमें सूचना नहीं है।

साग-सब्जी उगाओ आदेश

*४—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा समस्त सरकारी फार्मों को यह आदेश दिया गया था कि वह अपने यहां तरकारी की नर्सरी उगावें? यदि हां, तो किस-किस सरकारी फार्म में कितने-कितने क्षेत्र में नर्सरी उगाई गई तथा किस-किस फार्म में यह योजना किस कारण से कार्यान्वित नहीं की गई?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां। कृषि विभाग के फार्म सारे प्रदेश में फैले हुये हैं। इन सब फार्मों को आदेश थे कि तरकारी की नर्सरी उगावें। नर्सरी के सही रकबे की सूचना सदन को बताना अभी संभव नहीं है क्योंकि ये सूचना अभी उपलब्ध नहीं हो सकी हैं। सूचना प्राप्त होने पर सदन को अवगत कराया जायगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

सरकारी फार्म्स में खसरा रहता होगा कि इतने बीघे में इतना बोया गया और इतना बीज बोया गया, तो क्या उस खसरे के आधार पर यह संभव नहीं था कि आज तक वह सूचना दे सकते ? या खसरा मेनटेन ही नहीं होता ?

श्री गेंदा सिंह—

साग सब्जियों का मौसम अभी तक चला जा रहा है, इसलिये उसकी सूचना मांगी जा रही है और मैं समझता हूं कि थोड़े ही दिन में सूचना एकत्र हो जाने पर आपकी सेवा में दी जायेगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या खसरा मेनटेन होता है या नहीं ?

श्री गेंदा सिंह—

बिलकुल रखा जाता है।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

सरकारी फार्मों की योजना होती है कि कितना उगाया जाय, कितना कंजम्शन हो, कितना बीज हो। तो इसकी एक योजना बनी थी या बिना योजना बनाये हुए एट-रैंडम एक चिट्ठी भेज दी गयी कि तुम उगाओ ?

श्री गेंदा सिंह—

सारे फार्मों का पहले का ढंग दूसरा था। इस वर्ष साग-सब्जी ज्यादा पैदा करने के लिये एक आदेश गया और उनकी सामर्थ्यानुसार कहा गया कि जितना अधिक से अधिक पैदा कर सकें, करें और लोगों को भी सप्लाई करें।

देहरादून के निकट साल के जंगल में कालोनी बनाने का काम

*५—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

क्या यह बात सही है कि अंगेटना (देहरादून) प्राइवेट साल का जंगल जिसमें करीब दस हजार साल के पेड़ थे वह प्राइवेट फारेस्ट जमींदारी एक्ट के अन्तर्गत वन विभाग ने नहीं लिया ? यदि हां, तो क्यों इस जंगल को वन विभाग में शामिल नहीं किया जैसे और प्राइवेट फारेस्ट्स ले लिये गये हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

अंगेटना नाम का कोई प्राइवेट फारेस्ट देहरादून में नहीं है परन्तु मंसूरी के दक्षिणी बाहरी ढलान पर गलजवाड़ी तथा पुरोहित वाला गांवों में एंधेला नाम का वन है। अक्टूबर, १९५२ में एक विज्ञप्ति द्वारा यह वन वन-विभाग में निहित हुआ परन्तु इसके मालिक ने शासन को उक्त वन को सार्वजनिक उपयोगिता हेतु घोषित करने तथा Zamindari Abolition and Land Reforms Act से मुक्त करने की प्रार्थना की। वह उक्त भूमि पर ३० मार्च, १९४९ से एक हाउसिंग कालोनी बनाने का विचार रखते थे। जिलाधीश, जो इस विषय में समर्थ प्राधिकारी थे, ने उचित जांच पड़ताल के बाद २४ मार्च, सन् १९५४ को अपनी आज्ञा से उक्त वन भूमि को Zamindari Abolition and Land Reforms Act की धारा २ के अन्तर्गत मुक्ति प्रदान कर दी। अतएव यह जंगल वन-विभाग में शामिल नहीं किया गया।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

मेरी सूचना यह है कि यह बड़ा भारी साल का जंगल था और इसमें १० हजार साल के पेड़ थे। तो पेड़ काटे गये या नहीं, और अगर काटे गये तो उसकी कीमत जंगलात विभाग को मिला या नहीं और कालोनी बनाने के लिए यह जमीन दी गयी, तो वह बनी या नहीं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

यह ठीक है कि वहां साल का जंगल है। इसकी सूचना नहीं है कि वे पेड़ कटे या नहीं। वहां कुछ जमीन ऐसी है जहां पेड़ नहीं हैं और वहां के लिये एक कालोनी बनाने की योजना तैयार की गयी है।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

क्या जंगलात विभाग के पास इस बात का एस्टीमेट है कि वे पेड़ कितने रुपये के हैं ?

वन मंत्री (श्री चरण सिंह)—

माननीय सदस्य जरा धीरे से प्रश्न करें जिससे समझ में आये।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

मेरा प्रश्न यह है कि जंगल की जो भूमि छोड़ दी गई है वह कितनी एकड़ है तथा वहां कितनी कीमत के पेड़ हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जंगल की इस पूरी भूमि का रकबा ६७९६ बीघा ६ बिस्वा है। मूल्य के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

जब सारे प्रदेश के जंगल राज्य में निहित हो गये तो इस जंगल को एक व्यक्ति के हाथ में छोड़ने का क्या कारण है ?

श्री चरण सिंह—

इसमें किसी की बदनीयती नहीं थी। जमींदारी एबालिशन ऐक्ट के सेक्शन २ के मातहत सरकार को यह अधिकार है कि वह पब्लिक परपजेज के लिये जो सोसाइटी आदि हो उनके लिये जमीन छोड़ी जा सकती है। उसी सेक्शन २ के मातहत जिलाधीश को यह अधिकार था और उसी के अन्तर्गत उन्होंने इस भूमि को मुक्त कर दिया।

श्री ए० सी० प्राइस (ऐंग्लो-भारतीय)—

क्या सरकार को इसकी सूचना है कि १० हजार साल के पेड़ काटे गये या नहीं और अगर काटे गये तो उनकी कीमत क्या थी ?

श्री चरण सिंह—

वहां जो पेड़ हैं वह साल के हैं या नहीं यह मैं नहीं कह सकता। मैं पिछले साल गया था और मौके को देखा था। वहां लोगों की कालोनी बनाने की स्कीम थी और वह वहां की सर्किल के कंजरवेटर आफ फारेस्ट की राय से वह स्कीम बनी थी और उसी के अनुसार कुछ दरख्त काटे जा सकते हैं, अन्यथा नहीं।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि साल के जो दस हजार दरख्त थे, वे नीलाम किये गये या यों ही जमींदार को दे दिये गये ?

श्री चरण सिंह—

वह तो हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी बनी थी। उसने यह इन्श्योर कर लिया है कि आगे दरख्त नहीं काटे जायेंगे। जब तक वह उस स्कीम के तहत न आ जाय वह स्कीम कन्जरवेटिव आव् फारेस्ट के मशविरे से तैयार होगी।

श्री गंगाप्रसाद—

इसमें मैं जानना चाहता हूं कि कोई भी फारेस्ट जो है, वह जमींदारी उन्मूलन के बाद सरकार में निहित हो गया है। नीलाम होगा तो क्या चार आने के हिसाब से मुआवजा मिलेगा या पूरा?

श्री चरणसिंह—

जो अतल प्रश्न का जवाब दिया गया था वह माननीय सदस्य ने शायद ध्यान से नहीं सुना। उसमें जो फारेस्ट थे या जमीन थी वह वहां की हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटी में शामिल हो गये और वह सोसायटी थी बाकायदा लीगल। और सेक्शन २ जमींदारी अबालिशन एन्ड लैन्ड रिफार्म्स ऐक्ट का जब हम बना रहे थे तो पब्लिक पर्पजेज के लिये जो जमीन सोसायटी के पास है उसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अख्तियार दे दिया गया था, या गवर्नमेंट को अख्तियार था। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की सिफारिश पर हमने रिलीज की। उसके माहत वह रिलीज हो गई थी। जमींदारी रिफार्म्स ऐक्ट उस जमीन पर लागू नहीं हुआ। क्योंकि जंगल था इसलिये फारेस्ट डिपार्टमेंट से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि यदि दरख्त कट जायेंगे तो इस इलाके का सौन्दर्य नष्ट हो जायेगा और भूमि का क्षरण शुरू हो जावेगा। इसलिये सात आठ साल से बराबर उस पर विवाद चलता रहा। फारेस्ट डिपार्टमेंट उसको छोड़ना नहीं चाहता था तथा वे कहते थे कि हमको राइट है। सन् ५२ से लेकर सन् ६३ तक इस पर काइल चलती रही। सन् ६३ में यह फैसला हुआ कि इनको इजाजत दे दी जाय कालोनी बनाने की। लेकिन दरख्तों के सिलसिले में, आगे की मेन्टीनेंस में, दरख्तों के लगाने या काटने की जो प्लान बनाई जाती है, वह कांजरवेटर आव फारेस्ट के मशविरे से बने। तो वह हो गई है। वह अभी हुई है। इस वक्त उन्होंने इजाजत दे दी है कि वे बनायें।

सहायक विकास अधिकारी, पशुपालन का वेतन-क्रम

*६—श्री मुक्तदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या यह सत्य है कि सरकार ने कोई परिपत्र भेज कर कहा है कि प्रदेश में सहायक विकास अधिकारी पशुपालन के दो वर्ष कार्य करने के बाद ७५-५-१२० वालों में से चुनाव कर के १२० के वेतन क्रम में कर दिया जायगा? यदि हां, तो वह कब से लागू किया जायेगा?

श्री गेंदा सिंह—

जी नहीं।

[२८ फरवरी, १९६६ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जालौन जिले में बीज की बरबादी

*१—श्री विजय सिंह (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जालौन जिले की कौंच, उरई तथा जालौन तहसील में बुवाई होने के ठीक बाद अधिक बारिश होने से रबी १९६५ के बीज की हानि हुई है? यदि हां, तो कितने मन बीज बरबाद हो गया है और कितने रकबे को दुबारा बोना पड़ा है?

श्री गेंदासिंह—

जी हां। लगभग ५५९.८० क्विंटल से ७४६.४० क्विंटल बीज खराब हुआ है और लगभग १८०० एकड़ रकबे को दुबारा बोना पड़ा है।

ऊसर भूमि सुधार योजना

*२—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऊसर भूमि सुधार योजना प्रदेश के किन-किन जिलों में लागू की गई है और अब तक प्रत्येक जिले में इस योजना के अधीन कितनी भूमिका सुधार किया गया है ?

श्री गेंदासिंह—

यह योजना गत वर्ष से अलीगढ़, मैनपुरी तथा आजमगढ़ जिलों में चल रही है। दिसम्बर १९६५ तक इस योजना के अधीन अलीगढ़ जिले में ५१८ एकड़, मैनपुरी जिले में ७३८ एकड़ और आजमगढ़ जिले में ५९४ एकड़ भूमि में सुधार किया गया। आजमगढ़ जिले में उपयुक्त भूमि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण आजमगढ़ की योजना का विस्तार गाजीपुर और जौनपुर में भी कर दिया गया है। किन्तु इन दो जिलों में अभी केवल भूमि का चयन हुआ है और सुधार का कार्य नहीं हो पाया है।

*३—श्री भीखालाल (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस योजना के अधीन सुधार की गई भूमि पर सरकार द्वारा स्वयं खेती कराई जायेगी या किसानों में बांटी जायेगी ? यदि हां, तो वह किन शर्तों पर दी जायगी ?

श्री गेंदा सिंह—

ऐसी जमीन भूमिहीन किसानों तथा अलाभकर जोत वाले किसानों को निम्न लिखित शर्तों पर दी जाती है :—

(१) किसान के पास अलाभकर जोत हो।

(२) किसान को ऊसर कार्य करने की तत्परता हो।

(३) किसान सुधार कार्य में लगी हुई अनुमानित व्यय का १/३ भाग दे सके।

(४) किसान विभाग द्वारा दिये गये आदेशों का पालन कर सके।

*४—श्री भीखालाल (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह इस बात पर भी विचार कर रही है कि ऊसर भूमि भूमिहीन किसानों में बांट कर उनको आवश्यक सहायता देकर उक्त योजना के अधीन उसका सुधार कराया जाय ?

श्री गेंदासिंह—

जी हां। यह भूमि अलाभकर जोत वाले तथा भूमिहीन किसानों को एलाट की जाती है।

शाहजहांपुर में गृह निर्माणार्थ ऋण

*५—श्री विजयसिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला शाहजहांपुर में कितने लोगों को वित्तीय वर्ष १९६३–६४ तथा १९६४–६५ में खास शाहजहांपुर में मकान बनवाने के लिये उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बंक से कर्जा दिया गया और कितना-कितना ? उसकी नामवार सूची देने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह—

उत्तर प्रदेश को-ऑपरेटिव बैंक द्वारा शाहजहांपुर जिले में खास शाहजहांपुर में केवल एक व्यक्ति श्री विजय सिंह को अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत वर्ष १९६३–६४ में मकान बनाने के लिये स्वीकृत ऋण की तीसरी किस्त के रूप में १,८०० रुपया दिया गया ।

*६—श्री विजयसिंह (अनुपस्थित)—

इनमें से कितने मकान ऐसे हैं जिनका निर्माण ३० नवम्बर, १९६५ तक पूरा नहीं हो पाया और कम्पलीशन रिपोर्ट ३० नवम्बर, १९६५ के पहले ही लग गई ?

श्री चरणसिंह—

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक द्वारा निर्माण कार्य के छत के स्तर तक पूरे हो जाने की सूचना प्राप्त होने पर ऋण की तीसरी व अंतिम किस्त दी जाती है । इस मामले में श्री असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसायटीज, शाहजहांपुर द्वारा मकान के कार्य के छत के स्तर तक पूरा हो जाने की सूचना देने व ऋण की तीसरी किस्त देने की सिफारिश पर ही बैंक ने ४–४–१९६३ को ऋण की अंतिम किस्त दी ।

*७–९—श्री राम किशोर त्रिपाठी—

सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

रबी की बोआई

*१०—१२—श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में रबी की बोआई इस वर्ष गत वर्ष के मुकाबले में कितने एकड़ की अधिक हुई है ?

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई का उनके लिये क्या कौन सा प्रबन्ध किया गया था ?

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि इस वर्ष के अभाव में खेतों में रबी के पौधे अधिक तादाद में सूख गये हैं ? यदि हां, तो उसका उपचार उनकी ओर से क्या हुआ ?

श्री गेंदासिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

खानपुर को नागर क्षेत्र घोषित करने की प्रार्थना

*१३—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार इस बात का ध्यान रखते हुए कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र थाना, जिला बुलन्दशहर के ग्राम खानपुर की आबादी प्रदेश के अनेक नगर क्षेत्रों से अधिक है, खानपुर को भी नगर क्षेत्र का स्तर प्रदान करने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह—

यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

१४—श्री राजेन्द्र सिंह—

[५वें बुधवार के लिये प्र० सं० ७८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

बस्ती जिले में सीमेंट वितरण

*१५—श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १५ दिसम्बर, सन् १९६५ से २४ अप्रैल, सन् १९६५ तक जिलापूर्ति अधिकारी, बस्ती के दफ्तर से किस-किस व्यक्ति को सीमेंट की परमिट १५ बोरी या उससे अधिक के दिये गये हैं, उनके गांव के पते क्या हैं ?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९१५–९१६ पर)

*१६—श्री सोहनलाल धुसिया—

क्या उपरोक्त तिथि में सीमेंट की परमिट पाने वाले कुछ व्यक्तियों ने परमिट खो जाने के कारण दफ्तर से डुप्लीकेट की भी प्रार्थना की है?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जी नहीं ।

श्री सोहनलाल धुसिया—

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि यह जवाब मिला है, मेरे देखने में, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह जवाब गलत है। अगर मैं लिख कर दूं तो क्या माननीय मंत्री जी संबंधित व्यक्तियों को सजा देंगे ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—

जी हां, लिखकर दे दीजिये।

श्री सोहनलाल धुसिया—

इस लिस्ट में जो सात औरतों के नाम दिये गये हैं क्या सरकार को उनके पति या पिता का नाम मालूम है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

इसकी आवश्यकता नहीं है। संविधान के अनुसार सब बराबर हैं।

श्री सोहनलाल धुसिया—

किसी औरत के घर में घुसकर उसका नाम पूछा भी नहीं जा सकता है। तो सरकार उनके नाम के साथ उनके पति या पिता का नाम भी लिखा दे, इस पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

विचार कर लिया जायगा।

*१७—श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

[६वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

नोट—तारांकित प्रश्न १६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

राजकीय पशुलोक फार्म, ऋषिकेश

*१८—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या कृषि मन्त्री को यह पता है कि हरिद्वार के पास जो पशुलोक है उसमें कितनी भेड़ें, कितने गधे तथा घोड़े इस समय मौजूद हैं और १ जनवरी, १९५५ से लेकर ३१ दिसम्बर, १९६५ तक कितनी आमदनी हुई तथा कितना खर्च हुआ?

श्री गेंदा सिंह—

राजकीय पशुलोक फार्म, ऋषीकेश, देहरादून पर इस समय ११८४ भेड़ें तथा ६० गधे और घोड़े मौजूद हैं।

जनवरी १, १९६५ से दिसम्बर ३१, १९६५ तक उपरोक्त फार्म का कुल खर्च रु० १,३४,८०९.४३ पैसे तथा आय रु० ३१,०१४.७६ पैसे है।

*१९—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त पशुलोक में कितने एकड़ भूमि कृषि योग्य है और गत वर्ष में कितनी फसल हुई और इस वर्ष कितनी जमीन बोने से रह गई और क्यों?

श्री गेंदा सिंह—

पशुलोक फार्म पर कुल २३१ एकड़ भूमि कृषि योग्य है। विगत वर्ष में इस फार्म पर कृषि के अन्तर्गत भूमि की फसल का ब्योरा निम्न प्रकार है :—

	क्विन्टल
१—अनाज	१,०९९
२—सूखा चारा	२,०९६
३—हरा चारा	२,७८६

इस वर्ष बोवाई योग्य समस्त भूमि में खेती की गई।

खाद्यान्न स्थिति

*२०—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९६६ में केन्द्रीय सरकार ने राज्य को कितना खाद्यान्न दिया है और राज्य सरकार ने कितने की मांग की थी?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

केन्द्रीय सरकार ने जनवरी, १९६६ में राज्य को ६०,००० टन विदेशी गेहूं एलाट किया था और राज्य सरकार ने इतने ही की मांग की थी।

*२१—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य की खाद्य स्थिति को ठीक रखने के लिये राज्य सरकार ने हाल में क्या-क्या कदम उठाये हैं और निकट भविष्य में क्या कदम उठाने जा रही है।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

राज्य सरकार ने प्रदेश की खाद्य स्थिति ठीक रखने के लिये हाल में जो कदम उठाये हैं और भविष्य में जो उठाने का विचार कर रही है वे इस प्रकार हैं :

१—सरकारी खाद्यान्नों का सस्ते गल्ले की दूकानों द्वारा वितरण पहाड़ी जिलों के सभी क्षेत्रों, पूर्वी जिले के शहरी क्षेत्रों और पश्चिमी जिलों के ५०,००० से अधिक जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों में जारी है।

२—पश्चिमी जिले के ३०,००० से अधिक व ५०,००० से कम जनसंख्या वाले नगरों के निम्न वेतन वाले लोगों के लिये आटे का प्रबन्ध है।

३—वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु खाद्यान्नों का भंडार बनाने के लिये चावल तथा खरीफ के मोटे अनाजों की खरीद की जा रही है।

४—केन्द्रीय सरकार से जितना विदेशी गेहूं मिल सकता है, प्राप्त किया जा रहा है।

५—खाद्यान्नों का भंडार बनाने के लिये नई फसल के रबी खाद्यान्नों की खरीदारी करने पर विचार किया जा रहा है।

६—कानपुर के अतिरिक्त बरेली, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा और लखनऊ में भी प्राविधानिक राशनिंग करने के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

*२२—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में अभी तक पूरी राशनिंग न किये जाने के क्या कारण हैं? और अब कब से होने जा रही है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

कानपुर नगर में १६ फरवरी, १९६६ से प्राविधानिक राशनिंग लागू कर दी गई है।

*२३—सर्वश्री माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा विश्वनाथ प्रसाद (जिला वाराणसी)—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया।]

सीमेन्ट की कीमत

*२४—श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सीमेंट पर से १ जनवरी, १९६६ से प्रतिबन्ध हट गया है? यदि हां, तो प्रतिबन्ध हटाने पर सीमेंट बंटवारे के लिये किन्हीं खास पद्धति का अनुसरण करने का आदेश है? यदि हां, तो उस की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जाय? प्रतिबन्ध हटने पर प्रति बोरा सीमेंट की कीमत क्या तय है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

जी हां। सीमेंट बंटवारे की पद्धति से संबंधित कोई आदेश नहीं जारी किये गये हैं। अतः प्रतिलिपि रखने का प्रश्न नहीं उठता।

१ जनवरी, १९६६ से सीमेंट की कीमत सीमेन्ट उत्पादकों के सेल्स कोआरडिनेटिंग आर्गनाइजेशन, बम्बई द्वारा निर्धारित की जा रही है। निर्धारित कीमत की सूचना सरकार के पास नहीं है।

*२५—श्री रक्षपाल सिंह—

[६वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

*२६-२७—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

[६वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

रामनगर वन खण्डों में शेरनियों का शिकार

*२८—श्री सुरेन्द्र विक्रम तथा श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या वन मंत्री को पता है कि रामनगर डिवीजन के चिलकिया ब्लाक दिसम्बर, १९६५ में एक अफसर शिकार को गये और उन्होंने एक शेरनी के बजाय २ शेरनी मारी, जब कि

[श्री सुरेन्द्र विक्रम तथा श्री महराम सिंह]

परमिट एक ही शेर को मारने का था ? यदि हां, तो क्यों ? और, क्या यह भी सही है कि शेरनी बच्चे वाली थी और अब उनके बच्चे मारे-मारे फिरते हैं और दूसरी शेरनी को जस्टीफाई करने के लिये पिछली तिथियों में उसको कैटिल लिफ्टर घोषित कराया ? यदि हां, तो किस तारीख में कैटिल लिफ्टर घोषित की गई ? और, किसने की ?

श्री चरणसिंह—

यह सही है कि रामनगर डिवीजन के चिलकिया शूटिंग ब्लाक में दिसम्बर, १९६५ के दूसरे पक्ष में एक अफसर शिकार को गये और उन्होंने दो शेरनी मारीं जिनमें से एक परमिट के अनुसार मारी गई और दूसरी शेरनी जो उन्होंने मारी वह उप-अरण्यपाल, रामनगर द्वारा कैटिल लिफ्टर घोषित की जा चुकी थी और उक्त अफसर को उसे मारने की अनुमति दी जा चुकी थी। इस कथन में कि शेरनी के साथ बच्चे थे जो कि अब मारे मारे फिरते हैं, कुछ भी तथ्य नहीं पाया जा सका। यह सही नहीं है कि दूसरी शेरनी को जस्टीफाई करने के लिये पिछली तिथियों में उसको कैटिल लिफ्टर घोषित कराया गया। यह शेरनी उप-अरण्यपाल रामनगर के आज्ञा सं० मोमों(सी)९-३-२, दिनांक ३०-१२-१९६५ द्वारा कैटिल लिफ्टर घोषित की गयी थी।

शाहजहांपुर नगरपालिका भंग करने पर विचार

*२९—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हाल ही में शाहजहांपुर नगरपालिका को भंग करने के लिये जिला मैजिस्ट्रेट व कमिश्नर बरेली डिवीजन ने क्या कोई सिफारिश सरकार को भेजी है ? और क्या सरकार उसको जल्द भंग करने वाली है ?

श्री चरणसिंह—

जी हां।

प्रश्न विचाराधीन है।

*३०-३१—श्री शुकदेव प्रसाद—

[६वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

ग्राम सभा, दहगहां को स्कूल के लिए टीन

*३२—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)—

२० सितम्बर, १९६५ के तारांकित प्रश्न २४ के उत्तर के क्रम में क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टीन जिन भवन निर्माण के लिये दी गई है उसका अभी तक निर्माण नहीं हुआ है ? अस्तु क्या टीन वापस लेने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

श्री अशर्फी लाल, प्रधान, ग्राम सभा दहगवां को जो टीन स्कूल के निर्माण के लिए दी गई थी उसका उपयोग हो गया है। अतः टीन वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता।

*३३—श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या यह सत्य है कि उक्त टीन उनको इसीलिये बी० डी० ओ० द्वारा दी गयी क्योंकि वह ब्लाक प्रमुख के भाई तथा प्रधान हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी हां।

*३४-३५--श्री मुरलीधर कुरील--

[६वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

*३६--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

[६वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

कुम्भ मेला क्षेत्र, इलाहाबाद

*३७--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद के कुम्भ मेले में कितनी वर्ग जमीन मेले के लिये निर्धारित है तथा उसमें से कितनी जमीनें सरकारी कर्मचारियों को तथा कितनी जमीन दुकानें और कल्पवासियों के लिये हैं?

श्री चरणसिंह--

कुम्भ मेला, इलाहाबाद के लिए ९६,८०,००० वर्ग गज भूमि निर्धारित थी जिसमें से ४,२६,२६२ वर्ग गज भूमि सरकारी विभागों एवं उनमें काम करने वाले कर्मचारियों के प्रयोगार्थ ५९,६५९ वर्ग गज दुकानों तथा ४,६८,७७२ वर्ग गज कल्पवासियों के लिए दी गई।

कानपुर महापालिका में प्रशासक की नियुक्ति

*३८--श्री कल्याणचन्द मोहिले--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कानपुर महापालिका को अधिक्रान्त करके अपने कब्जे में लेने जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री चरणसिंह--

सरकार ने कानपुर महापालिका को अधिक्रान्त की कार्यवाही नहीं की है। कानपुर महापालिका का तथा अन्य महापालिकाओं का कार्यकाल ३१-१-६६ को समाप्त हो गया था नई महापालिका के गठन के लिये निर्वाचन हो नहीं पाये थे। इस कारण नगर प्रशासन को संभालने के लिए उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) अध्यादेश, १९६६ जारी कर के सरकार ने एक विशेष व्यवस्था का प्रबन्ध कर दिया जिससे अन्तर्गत दो साल की अवधि के लिये या जब तक कि महापालिकाओं का पुनः संगठन न हो जाय, जो भी पहले हो, महापालिका प्रशासन सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक के अधीन चलाया जायगा।

*३९--श्री कल्याणचन्द मोहिले--

[६ वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

*४०--श्री चन्द्रबली सिंह--

[६ वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

सीमेंट का भाव

*४१--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीमेंट पर से कन्ट्रोल कब हटाया गया है तथा कितना भाव केन्द्रीय सरकार ने प्रति क्विंटल सीमेंट का मुकर्रर किया है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

१ जनवरी, १९६६ से सीमेंट पर से कन्ट्रोल हटा लिया गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित सीमेन्ट के भाव की सूचना सरकार को नहीं है।

बी० एस-सी० कृषि उम्मीदवारों की उन्नति

*४२—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिन बी०एस-सी० कृषि उम्मीदवार की नियुक्ति कृषि विभाग में निर्देश संख्या ९९४१/१००९४/३-१ (नियुक्ति) बी० एस०सी० एग्री०, तिथि १२ नवम्बर, १९६० के अनुसार थर्ड ग्रुप में पैकेज स्कीम के अन्तर्गत हुई है, उनके नियुक्ति पत्र में साफ लिखा है कि जैसे ही द्वितीय ग्रुप के स्थान रिक्त होंगे उन्हें सीनियारिटी के हिसाब से प्रोमोट कर दिया जावेगा ?

श्री गेंदासिंह—

जी हां। किन्तु उल्लिखित आदेश की वास्तविक तिथि १६—११-१९६४ है।

*४३—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या यह सही है कि तब से बराबर द्वितीय ग्रुप की नियुक्तियां की जा रही हैं, परन्तु उपरिलिखित कर्मचारियों को प्रोमोशन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गेंदासिंह—

जी हां। सीनियारिटी के अनुसार इन कर्मचारियों की पदोन्नति का अवसर अभी नहीं आया है।

*४४-४५—श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

[६वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

सीतापुर तथा फैजाबाद नगरपालिकाओं के चुनाव

*४६—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर तथा फैजाबाद आदि जिन नगरपालिकाओं के चुनाव नोटीफिकेशन करने के बाद भी आपात्कालीन स्थिति की गम्भीरता के कारण रोक दिये गये थे उनको सरकार पुनः कब कराने का विचार कर रही है ?

श्री चरण सिंह—

इस संबंध में अभी कोई निर्णय सरकार ने नहीं लिया है।

चावल उगाहने का आदेश

*४७—श्री जगन्नाथ राय (जिला जौनपुर)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २९ जनवरी, १९६६ अथवा उसके आस-पास धान की लेवी के सम्बन्ध में जो आदेश प्रसारित किया गया है उसकी पूर्ण रूपरेखा क्या है तथा यह आदेश क्यों निकाला गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उत्तर प्रदेश चावल (उगाहने का) (संशोधन) आदेश, १९६६, २० जनवरी, १९६६ ई० को जारी किया गया। इस आदेश के अन्तर्गत लाईसेंस प्राप्त मिल वाले और लाइसेंस प्राप्त व्यापारी के अलावा प्रत्येक अन्य व्यक्ति को जो किसी चावल मिल में चावल कुटवाता है राज्य

सरकार को अनुचित मूल्यों पर इस प्रकार कुटवाये गये चावल का ३३, १/३ प्रतिशत बेचना होगा। इस चावल को राज्य सरकार क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रण द्वारा नियुक्त किये गये क्रय एजेन्ट द्वारा खरीदेगी। यह आदेश चावल की सरकारी खरीदारी के उद्देश्य से निकाला गया है।

*४८—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि एक न्यूनतम सीमा के जोत वाले काश्तकारों को उक्त आदेश से मुक्त कर दिया जाय? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सरकार हाथ कुटाई उद्योग को बढ़ाने की नीति रखती है। छोटे-छोटे काश्तकार जो कम जमीन जोतते हैं अपना धान बिना लेवी दिये हाथ से कुटा सकते हैं। इसलिये सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं समझती।

खीरी जिले में सुरक्षा कोष में अन्न दान

*४९—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि खीरी जिले में प्रत्येक ग्राम सभा में ३० मन के लगभग गल्ला अनिवार्य रूप से सरकार द्वारा वसूल किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी नहीं। वस्तुस्थिति यह है कि लखीमपुर खीरी में इस जिले की बहुत सी ग्राम सभाओं ने यह प्रस्ताव पारित किया कि २५ से ३० मन तक गल्ला सुरक्षा कोष में दान करेंगे। किसी व्यक्ति अथवा ग्राम सभा पर अनुचित दबाव नहीं डाला गया।

*५०—श्री राजेन्द्रसिंह—

[प्रश्नकर्ता द्वारा वापस ले लिया गया।]

अतारांकित प्रश्न

गन्ने की उपज

१—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

कृपया कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष से इस वर्ष (वर्तमान सीजन) में अलग-अलग प्रदेश में कितने एकड़ खेत में गन्ने की बुआई हुई तथा कुल कितना गन्ना अलग-अलग पैदा हुआ?

श्री गेंदासिंह—

वांछित आंकड़े इस प्रकार हैं :—

			१९६४–६५	१९६५–६६
क्षेत्रफल (एकड़ों में)	..	..	३४,३२,९६८	३६,८०,०३६
उत्पादन (टनों में)	..	..	५,५३,५३,४८७	४,५२,४९,२७१

१९६५–६६ के आंकड़े द्वितीय अनुमान पर आधारित हैं। इनमें परिवर्तन हो सकता है।

राज्य सरकार के कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

एक कामरोको प्रस्ताव जो सरकारी कर्मचारियों के बारे में है, माननीय जेड०ए० अहमद, माननीय चन्द्रजीत यादव, माननीय नेकराम शर्मा, माननीय बी०डी०मायर, माननीय खेमचन्द और माननीय लखपतराम शर्मा का आया है । इसे मैंने अस्वीकार किया है ।

श्री जेड०ए० अहमद (जिला आजमगढ़)—

अभी प्रश्नों के जो उत्तर हुये थे, उनसे मालूम होता है कि यह कितना अहम सवाल है । यह भी मालूम हुआ कि सदन के मेम्बरान इसके लिये बहुत चिंतित हैं । कर्मचारियों में बड़ा असंतोष है । सरकार का काम एक तरीके से बकता जा रहा है और आगे यह बात बढ़ेगी । अगर आप कामरोको प्रस्ताव नहीं लेते हैं तो कम से कम २ घंटे की बहस इस पर कराने की कृपा करें । हम चाहते हैं कि सुलह हो जाय, चूंकि गरीबों का मसला है । ७२२ इन्डेक्स नम्बर को आप कहते हैं कि न्यूट्रलाइज हो गया है । सेंट्रल गवर्नमेंट ने डी०ए० बढ़ा दिया है । यह बहस हो जाय कि यहां का भी सेंटर के बराबर होगा या नहीं, इसके ऊपर सरकार को सदन के विचार सुनने चाहियें ।

श्री अध्यक्ष—

इस पर नियम ५० में वार्ता हो चुकी है । एक संकल्प कुंवर श्रीपाल सिंह ने दिया है, वह भी विचाराधीन है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने व सरकार के विचार रख दिये हैं । अब कामरोको या नियम ५३ के रूप में इस पर बहस में उचित नहीं समझता हूं । सामान्य प्रशासन के समय इस पर बात कर लें ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, आपको स्मरण होगा कि जब वेतन समिति की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की गयी थी तो उस समय सरकार ने आश्वासन दिया था कि उसके ऊपर सदन में विचार होगा । यह सदन का अधिकार है । लेकिन चूंकि रिपोर्ट अंग्रेजी में थी, मुख्य मंत्री जी ने हिन्दी में देने का वायदा किया था । सदन को आश्वासन सरकार की तरफ से मिला हुआ है । रिपोर्ट आने के बाद सदन स्थगित हो गया था । इसके ऊपर सरकार की अनामली कमेटी बैठी, उसकी भी रिपोर्ट आ गयी । सरकारी कर्मचारियों के प्रदर्शन चले जा रहे हैं । सामान्य प्रशासन के समय इस पर विचार करना उचित नहीं होगा । जो आश्वासन सरकार की ओर से सदन को मिला हुआ है उसको आप कृपया पूर्ति करावें । सरकार इस पर कमिटेड है कि सदन इस पर विचार करेगा । संकल्प के विचाराधीन वेतन समिति की रिपोर्ट नहीं आती है । जो ग्रेड्स निर्धारित किये गये हैं, हम उन पर भी बहस करना चाहते हैं । संकल्प से वह बात पूरी नहीं होगी ।

श्री अध्यक्ष—

२ घंटे की बहस कराने के लिये तो मैंने इस पर विचार नहीं किया था लेकिन कामरोको प्रस्ताव के रूप में स्वीकार नहीं हो सकता है । डाक्टर साहब ने जो दृष्टिकोण रखा है, उस पर मैं सोचूंगा ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, कुंवर तेजभान सिंह अनशन कर रहे हैं, आज सातवां दिन है । उनको मचली आ रही है । स्वास्थ्य काफी गिर गया है । सारे प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार, मालगुजारी पर ४ आने आपातिक अधिभार और आयुर्वेदिक कालेज के छात्रों पर जो ज्यादती की जा रही है, उसके सिलसिले में वह अनशन कर रहे हैं । राज्य कर्मचारियों के बारे में

भी उन्हें परेशानी है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस दिन कहा था कि उनसे हम लोग बात करें, लेकिन वह दिल्ली चली गईं। एक सदन का एक माननीय सदस्य उपवास कर रहा हो, अनशन कर रहा हो, और सरकार उस की ओर से उदासीन हो, यह मा० सदस्य तथा सदन की उपेक्षा है। उनकी स्थिति गम्भीर होती जा रही है। इस उपेक्षावृत्ति के विरुद्ध हम अपने दल के साथ ३ मिनट के लिये सदन का त्याग करते हैं।

(श्री केशरीप्रसाद पांडेय ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का परित्याग किया।)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

आपने कहा कि श्रीपाल सिंह जी क संकल्प पर बहस हो सकती है। मार्च में नान-आफीशल डेज उन्होंने ले लिये हैं। आप माननीय विरोधी दल के नेता और संसदीय मंत्री को बुलाकर कोई रास्ता निकाल लें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्रीपाल सिंह के संकल्प पर सारे दिन बहस हो चुकी है। इसी विषय पर नियम ५० के अन्तर्गत आधे घंटे बहस भी हो चुकी है। अब सामान्य प्रशासन का विषय आय-व्ययक के अन्तर्गत बहुत नजदीक आ रहा है, उस समय भी इस पर विचार हो सकता है। आज आधे घंटे के करीब प्रश्नों का समय इस पर दिया कि सरकार की स्थिति स्पष्ट हो जाय। मैं समझता हूं कि ऐसी दशा में हम सोचेंगे।

मुरादाबाद जिले में ओला वृष्टि से फसल को क्षति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब माननीय टम्बेश्वर प्रसाद, गंगाप्रसाद वर्मा, रामसिंह, और लोकपालसिंह की एक सूचना नियम ५२ के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार हुई है। वह इस प्रकार से है—

"मुरादाबाद जिले के विभिन्न भागों की ओलावृष्टि एवं वर्षा से खड़ी फसल को भारी क्षति हुई है। इस सप्ताह हवा का भी काफी जोर रहा है। किसानों में हाहाकार मचा है।"

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

एक मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में दिया था। उस पर वक्तव्य ही दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

नेता विरोधी दल की बात का आदर करते हुए भी उसे, एक स्वशासित संस्था के संबंध में होने के नाते, मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत लेना उचित नहीं समझा। आप अल्पसूचित प्रश्न कर लीजिये।

सैनिक परिवारों से बढ़ा हुआ लगान वसूल करने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार अधिनियम, १९६०, की धारा ३ व उसके अधीन बनी नियमावली के नियम ३ के अनुसार आपातिक अधिभार निम्नलिखित वर्ग के क्षेत्रपतियों द्वारा देय नहीं है:—

(१) ऐसे क्षेत्रपति जो देश की प्रतिरक्षा में लगे रहते हुए चीनी या पाकिस्तानी आक्रमण द्वारा आरोपित युद्ध के फलस्वरूप स्थायी रूप से अशक्त हो गये हैं,

[श्री रामकुमार शास्त्री]

(२) उक्त युद्ध में मारे गये क्षेत्रपतियों के उत्तराधिकारी, और

(३) ऐसे क्षेत्रपति जो भारतीय संघ की वैमानिक, नाविक अथवा स्थल सेना की लड़ाकू सेवा में लगे हों या लगे रहे हों।

इस प्रकार आपातिक अधिभार से छूट केवल उन खातों के संबंध में दी गई है जो किसी स्थायी रूप से अशक्त हुये फौजी का है या जो किसी वीर गति पाये फौजी के उत्तराधिकारियों का है, अथवा जो किसी वर्तमान फौजी के नाम दर्ज है। इनसे अन्य किसी व्यक्ति के नाम दर्ज भूमि के बारे में आपातिक अधिभार से छूट नहीं दी गई है।

२—माननीय रामचन्द्र विकल ने सदन में जो यह शिकायत की थी कि सैनिक परिवारों से भी आपातिक अधिभार वसूल किया जा रहा है, उसकी मैंने जांच कराई है। जिला मेरठ की तहसील बागपत के गांव बावली के सर्वश्री सीताराम व टीकाराम ऊपर बताई गई श्रेणियों में नहीं आते और वे आपातिक अधिभार से मुक्त नहीं हैं। जिला अधिकारी ने रिपोर्ट की है कि उनके जिले में ऐसे किसी फौजी से जो अधिनियम के अनुसार मुक्त हैं अधिभार की वसूली नहीं की गई है।

३—जिला बुलन्दशहर की तहसील अनूपशहर के गांव सलामतपुर के निवासी श्री रघुबीर सिंह पुलिस के रिटायर्ड इन्सपेक्टर हैं अतः उनके नाम जो खाता है, वह आपातिक अधिभार से विमुक्त नहीं है। श्री रघुबीर सिंह के बड़े पुत्र मनबीर सिंह जिन्होंने चीन के युद्ध में वीरगति पाई थी, के उत्तराधिकारी से अधिभार की वसूली नहीं हुई है।

४—बुलन्दशहर के ग्राम उस्तरा के श्री बहादुरसिंह स्वयं सैनिक नहीं हैं। इसलिये अधिभार उनके द्वारा देय है। उनके एक पुत्र सैनिक हैं, जिनका नाम संयुक्त खाते में है। इस खाते में जो हिस्सा सैनिक का है उस पर अधिभार वसूल न होना चाहिये था लेकिन हो गया है। यह भूल हुई है। जो रुपया गलती से वसूल हो गया है, वह वापस कर दिया जायगा।

५—सभी जिला अधिकारियों को ताकीद कर दी गई है कि सभी सम्भव प्रयास इस बात का करें कि उन खातेदारों से जो अधिभार से मुक्त हैं, उसकी वसूली नहीं होती। मगर जिलाधीश बुलन्दशहर को खास तौर से हिदायत की गई है कि इन गलतियों को देखें और भविष्य में ऐसी गलती न हो।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या उन्होंने कोई ऐसी लिस्ट बनायी है, जिसमें उन लोगों के नाम हों जिनसे लगान वसूल होना नहीं है? अगर नहीं बनायी है, तो क्यों?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह बिसेन)—

कलेक्टर ने जो बात कही है, उसी के आधार पर जवाब दिया गया है।

श्री रामचन्द्र विकल—

जैसा बुलन्दशहर जिले का उदाहरण दिया है और माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि रुपया वसूल हुआ, ऐसे बहुत से उदाहरण और भी हैं, जिनसे वसूली हुई है?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—

उनके लिये हिदायत कर दी गयी है कि वह वापस कर दिया जाय।

श्री रामचन्द्र विकल—

मेरी सूचना यह है कि कल तक जिलों में ऐसे आर्डर्स नहीं पहुंचे हैं। वसूली हो रही है। और जो वसूली हो चुकी है उनके बारे में सरकार का क्या विचार है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सब का पैसा वापस होगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, इसमें क्षेत्रपति की परिभाषा दी हुई है कि जिसका नाम दर्ज हो। अब इसमें कानून की स्थिति यह है कि पैतृक संपत्ति में चाहे लड़के का नाम दर्ज हो या न हो उसका अधिकार हो जाता है, लेकिन आप, क्योंकि उसका नाम दर्ज नहीं है, इसलिये उसको क्षेत्रपति नहीं मानते। जब कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की इस बारे में साफ रूलिंग हो चुकी है। इसी आधार पर पट्टे का बटवारा हुआ है तो इस आधार पर कानून की दृष्टि में वह भी क्षेत्रपति हुये यद्यपि उनका नाम दर्ज नहीं है और जो जल, थल, वायु सेना में काम करते हैं तो सरकार क्या उसको छूट देगी और नहीं, तो क्या उनके केस पर पुनर्विचार करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह हाईपायेटिकल सवाल है, डेफिनिट बताइये तो हम बतायें।

श्री अध्यक्ष—

आप से बहस तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन अगर ज्वाइंट फैमिली प्रापर्टी है तो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं कहा जा सकता कि उसका अमुक हिस्सा है, इस तरह की कठिनाई हो सकती है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

सवाल यह है कि वह क्षेत्रपति है या नहीं ? और है तो उसे छूट मिलेगी या नहीं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या माननीय मंत्री जी इस सूचना को सही मानकर कि जिला मुजफ्फरनगर के फौजियों से वसूली याबी के संबंध में यहां से स्पष्ट आर्डर जाने के बाद भी फौजियों से वसूलयाबी की जा रही है और जिन किसानों के बेटे फौज में हैं और जिन फौजियों की पत्नियों के नाम जमीन हैं, उन सब से वसूलयाबी की जा रही है, इस का मद्देनजर रखते हुए कोई नया आर्डर फिर से जारी करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मद्देनजर रखते हुए ही तो आर्डर कर दिये हैं कि कहीं ऐसी वसूलयाबी न हो।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि सिपाहियों की कोई सूची उपलब्ध नहीं है जिस के कारण यह तमाम अनियमिततायें हो रही हैं, तो क्या सोलजर्स बोर्ड से या मिलिटरी हेडक्वार्टर्स से कोई सूची मंगाकर जिलाधीशों को हिदायतें सरकार देगी कि उनसे वसूली न हो सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जहां तक डिफेंस डिपार्टमेंट का संबंध है, वहां तो सब कांफिडेंशियल रहता है उसकी इत्तिला तो हमें मिलती नहीं, सोलजर्स बोर्ड को हमने हिदायत दी है कि जहां तक मुमकिन हो सही फेहरिस्त तैयार की जायं और वह कलक्टर वगैरह को पूरी मदद करें।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि जिस ज्वाइंट फैमिली का एक आदमी सेवा में है, उसके अंश को छोड़कर ही मालगुजारी वसूल की जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जो कायदे में होगा, वह करेंगे ।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या मंत्री जी हिन्दू ज्वाइंट फेमिली को देखते हुये जिन के संबंधी शहीद हुये हैं, उनके बच्चों को रियायत देंगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जो कानून में आ जायगा, उन सब के साथ रियायत करेंगे ।

श्री जगदीश प्रसाद पाण्डेय—(जिला बस्ती)

क्या मंत्री जी सैनिक परिवार में सैनिकों के पिता और उनकी आगे की दो पुश्तों के लोगों को भी जोड़ने की हिदायत कर देंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह तो जिलाधिकारियों का फर्ज है देखने का । जो जायज वारिस हैं, उन सब का नाम उसमें होता है ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

इस बात को देखते हुए कि क्षेत्रपतियों में से किसी आदमी से भी मालगुजारी वसूल हो सकती है, कोई लिस्ट ऐसी बनायेंगे, या कागजात में संशोधन ऐसा करायेंगे कि जो लोग फौज में हैं या युद्ध में मारे गये हैं, उनसे यह लगान न वसूल हो ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—

सेना में काम करने वालों से नहीं वसूल होता है ।

श्री रामचन्द्र विकल—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने मेरठ का जो उदाहरण दिया है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि श्री सीताराम सेना में रहे, उनका लड़का सेना में है और उनके पिता भी सेना में रहे हैं, फिर भी उनसे लगान वसूल किया गया है तो मैं माननीय मंत्री जी से निश्चित उत्तर चाहता हूं कि जो आज सेना में भरती हैं या जो शहीद हो गये हैं, उनके पिता या प्रपौत्र को भी वे मालगुजारी में रियायत देने को तैयार हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—

जो कानूनन मुस्तहक होंगे, उनको रियायत दी जायगी ।

इलाहाबाद जिले में अनावर्षण से हुई क्षति तथा लगान वसूली के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

श्री कल्याणचन्द मोहिले, श्री सालिगराम जायसवाल व श्री सत्यनारायण पांडेय तथा श्री नाथूराम शिक्षक व श्री रक्षपाल सिंह ने इलाहाबाद तथा फतेहपुर जिले की खागा तहसील में

सूखे से उत्पन्न क्षति के संबंध में सूचना दी है। संबंधित जिलाधिकारियों से वास्तविक स्थिति की जानकारी की गई है और प्राप्त सूचनाओं के अनुसार स्थिति निम्नलिखित है:—

२—इलाहाबाद जिला सूखे से पिछली खरीफ से प्रभावित है। पिछले सत्र में इस संबंध में मैं सदन में वक्तव्य दे चुका हूं। रबी में बोवाई तो लगभग सब जगह हो गई थी, क्योंकि अक्टूबर, सन् १९६५ में इस जिले में आवश्यकतानुसार वर्षा हो गई थी। बाद में रबी की खड़ी फसलों के लिये जितनी शीतकालीन वर्षा की आवश्यकता थी, उतनी नहीं हुई। परन्तु फरवरी माह के पहले पक्ष में लगभग १६ मिलीमीटर वर्षा जिले भर में हुई। इस वर्षा से जो खड़ी फसल सूख रही थी, उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है। साधारणतया पर्याप्त पानी न बरसने के कारण इलाहाबाद जिले में कुछ सिंचित क्षेत्रों को छोड़कर रबी की फसल की स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती, विशेष रूप से तहसील मेजा व करछना में इन दो तहसीलों की भौगोलिक स्थिति जिले के और क्षेत्रों की तुलना में भिन्न है क्योंकि यह इलाका अधिकतर पहाड़ी और पथरीला है। ऐसी भूमि में बारिश का पानी सूखता नहीं है। यहां सिंचाई के साधन भी कम हैं। शासन द्वारा इन दोनों तहसीलों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है और खास तौर से इस बात का खयाल किया गया है कि आपदाग्रस्त लोगों की, जहां तक संभव हो, सहायता की जाय। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि शासन ने मेजा और करछना तहसीलों में मालगुजारी की वसूली ३१ मार्च, १९६६ तक के लिये स्थगित कर दी है। इसके अतिरिक्त २,९५,००० रुपये की धनराशि इस जिले में टेस्ट वर्क्स खोलने के लिये स्वीकृत की है। शासन ने ७,२८,२९० रुपये की आपातकालीन तकावी भी स्वीकृत की और इस रकम में १,५९,५०७ रुपये तहसील करछना तथा १,१०,००० रुपये तहसील मेजा में वितरित किये गये। अहैतुक सहायता के लिये ५०,००० रु० दिये गये जिसमें से ७,५०० रुपये तहसील मेजा और करछना प्रत्येक को दिये गये। २०० कम्बल तहसील मेजा में असहाय लोगों को वितरित किये गये। सूखे से प्रभावित स्थानों पर सस्ते गल्ले के वितरण की भी व्यवस्था की गई। सूखे के कारण चारे की जो कमी उत्पन्न हुई थी उसको दूर करने के लिये सरकार ने २५ वैगन भूसा मेजा तहसील में भिजवाया और ३ वैगन करछना तहसील में। २५ वैगन और तहसील मेजा में भेजने का प्रबन्ध किया गया है। सूखे के कारण इन तहसीलों में सर्वसाधारण के लिये पीने के पानी की कमी की भी आशंका है। इस मुश्किल को दूर करने के लिये सरकार सतर्क है। प्रभावित गांवों का, अधिशासी अभियंता सर्वेक्षण कर चुके हैं और इस कठिनाई को दूर करने का प्रयत्न किया जावेगा। राजस्व परिषद् के अधिकारी भी इस जिले की ४ तहसीलों मेजा, करछना, फूलपुर हंडिया के गांवों में घूम-घूम कर स्थिति का अध्ययन कर आये हैं और जो भी कार्यवाही आवश्यक है, की जा रही है।

फतेहपुर

फतेहपुर जिले में इस वर्ष अपर्याप्त वर्षा के कारण खागा तहसील के ५५ गांवों में लगभग ९,८९० एकड़ क्षेत्र में खरीफ की बोवाई न हो सकी थी। इन गांवों में २८,९९८ रुपये १८ पैसे की मालगुजारी की वसूली कलेक्टर ने स्थगित कर दी है। रबी की फसल बोने से पूर्व पर्याप्त वर्षा हुई, जिसके फलस्वरूप रबी की फसल की बोवाई ठीक रूप से हुई है। तहसील खागा में शीतकालीन वर्षा न होने के कारण जहां पर सिंचाई के साधन नहीं हैं वहां की फसल पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है परन्तु जहां सिंचित क्षेत्र है वहां फसल की दशा संतोषजनक है। सामान्यतया रबी की फसलों की स्थिति संतोषजनक ही है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने उस रोज भी आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना की थी कि सरकार का कोई आदमी चल कर वहां पर अपनी आंखों देखले। माननीया मुख्य मंत्री जी ने किसी मंत्री जी को वहां पर भेजने के लिये स्वीकार कर लिया था। केवल वक्तव्य देने से काम नहीं चलने वाला है। अतः कृपानिधान, आपसे पुनः प्रार्थना करूंगा कि वहां पर अनावर्षण के कारण कुयें सूखे पड़े हैं, वहां पर पानी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आप तो बहस कर रहे हैं। प्रश्न कीजिये।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

मैं चाहता हूं कि सरकार का कोई भी मंत्री चल कर देखले कि वहां पर हजारों आदमियों के भूखों मरने की नौबत आ गयी है। कुएं सूख रहे हैं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, जवाब तो दिलावें ?

श्री अध्यक्ष—

यह कोई प्रश्न नहीं है। सरकार तो इनकार करती है।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में यह कहा है कि रबी की बुवायी लगभग हो गयी। तो क्या माननीय मंत्री जी इस पर पुनः जांच कराने की कृपा करेंगे कि रबी की फसल के लिये मेजा और करछना तहसीलों में ऐसी हजारों एकड़ भूमि है जो, अभी तक बोयी नहीं गयी है ? उन लोगों की खरीफ की फसल भी खराब हो गयी थी। तो क्या सरकार ने जो ३१ मार्च तक लगान वसूल करना स्थगित कर दिया था, वहां के जिलाधीश की रिपोर्ट के आधार पर कि वहां पर दो साल से फसलें खराब हो रही हैं, खरीफ के लगान को स्थगित करने के स्थान पर माफ कर दिया जाय ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

इसको तो हम नहीं कर सकते हैं। कानून की पाबन्दी करना हमारे लिये जरूरी है।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश ने इस बात की सिफारिश की है कि यह देखते हुये कि फसल खराब हो गयी है, वर्षा पर्याप्त न होने के कारण सूखे की स्थिति है, इसलिये वहां पर मालगुजारी माफ कर दी जाय, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जो इस वक्त हम कर सकते थे, हमने किया है। आगे भी जो जरूरी होगा वह भी करेंगे।

श्री बैजनाथ पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि हंडिया तहसील इलाहाबाद के अन्तर्गत है और उसके बारे में आप के पास वहां के जो तहसील के अधिकारी हैं, जिलाधीश और आयुक्त महोदय, श्री जी० डी० शुक्ला है उन्होंने भिन्न-भिन्न रिपोर्ट दी है और खतरनाक हालत बतायी है ? इसके अलावा आप के आर० आर० सिंह जनवरी में दो मर्तबा गये और वहां की स्थिति को देख कर आये हैं, हम लोगों से बिल्कुल किसी प्रकार से सम्पर्क न रखते हुए अधिकारियों से बात करके उनके ऊपर दबाव डाल कर कि इस तरह की कैसे रिपोर्ट दे दी है, क्या यह आप को ज्ञात है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

लोग देख आये हैं, रिपोर्ट आयी है, उस पर विचार करेंगे।

श्री बैजनाथ पांडेय—

बहुत भयंकर हालत है।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

अगहनी फसल के बारे में भी हमने यह बात कही थी। मंझनपुर तहसील में कोई सिंचाई का साधन नहीं है और हमने यह शिकायत की है कि जबरन लोगों से लगान वसूल किया जाता है, मेरे पास लिखित शिकायत आयी है, तहसील मंझनपुर के कर्मचारी....

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछें।

श्री नाथूराम शिक्षक—

हमने पूरे जिले की बात कही थी, जिसमें तहसील मंझनपुर आ जाती है। तो सरकार बतायेगी कि पिछली अगहनी फसल में कितने लगान की छूट मंझनपुर तहसील के अन्दर दी गई थी, उस छूट को किसानों को बतला करके बाकी वसूल किया जा रहा है या सम्पूर्ण वसूल किया जा रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कोई खास गांव बतावें तो हम बता दें।

श्री नाथूराम शिक्षक—

मैं बता सकता हूं, भिलसा गांव में गिरफ्तारी की गई, मौलाना साहब से गाली गुफ्ता हुई, पाता गांव में किसानों को खाना नहीं दिया जाता है जिनको बन्द कर दिया जाता है, तो क्या मंत्री जी चैती फसल में पूरा लगान माफ करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यदि परची हमें दे दी जाय तो मैं तहकीकात करूंगा और जिसकी गलती होगी उसको ठीक कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

कृपया अपने सवाल मेजा और मंझनपुर तहसील तक ही सीमित रखें।

श्री नाथूराम शिक्षक—

श्रीमन्, नियम ५२ में हमने प्रश्न दिया था जो आपने स्वीकार किया था।

श्री बैजनाथ पांडेय—

समूचे जिले में हंडिया आ जाता है।

श्री रामकमार शास्त्री—

पांडे जी, अभी हंडिया तहसील के बारे में कह रहे थे तो हमारे पास जो उत्तर आया है, उसी के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि वहां टेस्ट वर्क की व्यवस्था की गई। करछना, मेजा में, चायल और मंझनपुर, हंडिया और फूलपुर में टेस्ट वर्क चल रहा है।

श्री अध्यक्ष—

आपने पहले पढ़ क्यों नहीं दिया ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

कई स्थानों पर जैसे उपरवहा ताल है, इन जगहों पर यह व्यवस्था आप की कठिनाई को दूर करने के लिये हमारी तरफ से की जा रही है और कोई ब्योरा चाहते हों तो उसके लिये भी व्यवस्था की जा सकती है।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी वाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

मंत्री जी ने वक्तव्य में बताया कि वर्षा की कमी के कारण मेजा तहसील में कुयें भी सूख रहे हैं। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि अभी गरमी आने वाली है तो सरकार ने उन कुओं की रीबोरिंग करने के लिये क्या व्यवस्था की है और क्या उनके आंकड़े इकट्ठा कराये गये हैं कि कितने कुएं इस गरमी में सूख सकते हैं, इनकी सम्भावना है और उसके लिये सरकार क्या निश्चित कदम उठाने जा रही है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

हमारी परिषद के एक अधिकारी जांच करने गये थे। इसमें कोई शक नहीं है कि जिले भर में मेजा तहसील की स्थिति संकटापन्न है और वहां के जमीन पहाड़ी, पथरीली है। २३ गांव ऐसे हैं जहां कि कुवों में बहुत कम पानी रह गया है। वहां एक नदी टोंस पड़ती है, जिससे ९ गांव का इन्तजाम तो हो जायगा लेकिन शेष १४ ग्राम जो रह गये है, उनके लिये टंकी लगा कर गरमी में खच्चरों से पानी की व्यवस्था की जायगी। जहां तक बोरिंग का प्रश्न है, जमीन बहुत पथरीली है। इरीगेशन डिपार्टमेंट के जो अभियन्ता थे वे सर्वेक्षण करके आये हैं। जितना संभव हो सकेगा वहां के संकट को दूर करने के लिये सरकार प्रयत्नशील है।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार ने वहां के अन्न संकट को भी दूर करने के लिये कदम उठाया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सस्ते गल्ले की दूकानें खोली हैं।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

कितनी खोली है और कहां-कहां खोली हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह इत्तिला इस समय हमारे पास नहीं है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

सस्ते गल्ले की दूकानें दो महीने के बाद बन्द कर दी गयीं और वहां भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है, तो क्या सरकार जांच करा कर फिर सस्ते गल्ले की दुकानें चलाने की कोशिश करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मेरी इत्तिला है कि चल रही हैं। अगर नहीं चलती होंगी तो चलेंगी।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

मेजा तहसील में कितने गांव ऐसे है, जिनमें कुओं में बिलकुल पानी नहीं है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

२२ कुओं का जिक्र था और उन में २ इंच तथा १ इंच का ब्योरा दिया गया है। पानी भी गंदला है। वही स्पेसिफिक नम्बर मैंने बतलाया था।

श्री बैजनाथ पांडेय—

तहसील हंडिया में आपके विभाग के अधिकारी श्री आर० आर० सिंह ने क्या वहां की स्थिति को देख कर सरकार को रिपोर्ट दी है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

उन्हीं अधिकारी की रिपोर्ट हमारे पास है और उसी को आधार मान कर यह सूचना दे रहा हूं।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

क्या यह सत्य है कि स्थिति की विषमता के कारण बसहेरा गांव में बेनी कुशवाहा और भुगती वर्जी दो आदमियों की भुखमरी से मृत्यु हो गयी और तिगजा गांव के प्रधान यादव ने भुखमरी से आत्महत्या की कोशिश की? क्या माननीय मंत्री वहां स्वयं जाने की कृपा करेंगे और वहां की स्थिति को संभालने की चेष्टा करेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ये नाम और पता भेज दीजिये। मैं पूरी तहकीकात कराऊंगा और जो उपाय हो सकेगा, करूंगा।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

संबंधित तहसीलों की हालत बहुत नाजुक है और सरकार भी वहां की स्थिति बहुत नाजुक स्वीकार करती है। वहां पर १२ आने नुकसान हुआ है और रेवेन्यू ऐक्ट के मुताबिक क्या सरकार उस क्षेत्र को अकाल पीड़ित क्षेत्र घोषित करने को तैयार है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सारे उपाय मैं करूंगा, जो हो सकते हैं।

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि स्थिति काफी गम्भीर है दो आदमी मर गये हैं और एक ने मरने की कोशिश की है, तो वर्तमान स्थिति को देखते हुये वे उसे अकाल क्षेत्र घोषित करते हुये वहां सुविधायें देने के लिये तैयार हैं या नहीं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

श्रीमन्, मैंने जवाब दे दिया है।

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमन्, क्या यह जवाब है?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कह दिया है कि जो कुछ होगा हम करेंगे।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, जब विरोधी दलों की तरफ से प्रश्न किये जाते हैं तो मंत्रिगण यह जवाब देते हैं कि जो हो सकता है करते हैं या जो हो सकेगा करेंगे। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। आप अपनी व्यवस्था देने की कृपा करेंगे कि क्या आप इसको उचित उत्तर समझते हैं?

श्री रामकुमार शास्त्री—

श्रीमन्, आपको स्मरण होगा और माननीय सदस्यों को भी स्मरण होगा कि जितना भी ब्यौरा हमारे सामने उपलब्ध था अहेतुक सहायता का वह सब दिया हुआ है और बाकी जो माननीय सदस्य कहते हैं कि इसको अकाल क्षेत्र घोषित कर दिया जाय, इसका जवाब यह हो सकता है कि यह हाइपोथेटिक प्रश्न है। आप कहते हैं कि दो आदमी मर गये हैं, लेकिन इसकी हमें कोई सूचना नहीं है। तो इतना कहना काफी है कि जैसी स्थिति होगी कार्यवाही की जायेगी। क्या यह काफी नहीं है?

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह है कि अकाल क्षेत्र घोषित किया जा रहा है और वह कहते हैं कि हमारे पास सूचना नहीं है।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

श्रीमन्, मंत्री जी ने वक्तव्य देते समय जो रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें भी स्पष्ट है और जिला अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि मेजा तहसील की स्थिति संतोषजनक नहीं है। हम जन प्रतिनिधि हैं जो वहां रहते हैं। वहां की स्थिति काफी नाजुक है और हमारी इत्तला को सही मानते हुये और साथ ही सरकारी कर्मचारियों की रिपोर्ट को भी सही मानते हुये क्यों सरकार निश्चित रूप से वहां पर फेमिन रिलीफ के कार्य करने के लिये तैयार नहीं है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

श्रीमन्, मैंने टेस्ट वर्क के लिये प्रावीजन कर दिया है तथा तकावी और अहेतुक सहायता के लिये भी प्रावीजन कर दिया है और जितनी जरूरत होगी देता रहूंगा। यही मैं कर सकता हूं।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि अब तक मेजा तहसील के किन-किन गांवों में अहेतुक सहायता दी गई है?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने लिखा है कि ७,५०० रुपया मेजा और करछना तहसील को दिया है। आपने यह भी कहा है कि अहेतुक सहायता के लिये ५० हजार रुपया दिया है, जिसमें यह भी शामिल है।

श्री बांकेलाल—

अध्यक्ष महोदय, वहां की आबादी ढाई लाख की है, तो इतनी कम सहायता देना गैर मुनासिब है।

श्री अध्यक्ष—

यह ठीक है।

श्री नाथूराम शिक्षक—

श्रीमन्, हमने नियम ५२ का प्रश्न दिया था जो स्वीकृत हुआ परन्तु मंत्री जी की तरफ से जो उत्तर दिया गया है, उसमें तहसील मंझनपुर का कोई जिक्र नहीं है। मैं नोटिस देता हूं कि इस जवाब में कहीं इसका कोई जिक्र नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय शिक्षक जी, इतने नाराज न हों, आप प्रश्न कर लीजिये।

श्री नाथूराम शिक्षक—

श्रीमन्, मैं आध घंटे का विवाद मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कर लीजिये।

श्री नाथूराम शिक्षक—

मैं आध घंटे का विवाद मांगता हूं। यही मेरा प्रश्न है।

श्री रामकुमार शास्त्री—

अध्य महोदय, माननीय सदस्य फरमाते हैं कि मंझनपुर का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन शासन ने इलाहाबाद जिले में टेस्ट वर्क्स खोलने के लिये २ लाख ९५ हजार रुपया स्वीकार किया है और कुल रकम ६ लाख है। इसमें मंझनपुर तहसील भी शामिल है टेस्ट वर्क में अब माननीय सदस्य और क्या चाहते हैं ?

श्री नाथूराम शिक्षक—

अध्यक्ष महोदय, टेस्ट वर्क पांच साल से चल रहा है कुछ भी नहीं हुआ। सदन में झूठा बयान दिया जाता है। हमारे साथ धोखा किया जाता है और मंत्री जी कहते हैं कि यह लोग लफ्फाज हैं।

श्री लखपतराम शर्मा—

इस बात को देखते हुये कि टेस्ट वर्क में मजदूरों को इतना कम पैसा दिया जाता है कि उस पर कोई काम करने को तैयार नहीं होता, उन गांवों की गम्भीर हालत को देखते हुये क्या माननीय मंत्री जी उसे अकाल क्षेत्र घोषित करने को तैयार हैं ? और अकाल क्षेत्र में जो जो कानूनी सुविधाएं होती हैं वह देने को तैयार हैं ?

श्री अध्यक्ष—

पहले एक सवाल हो सकता है कि अकाल क्षेत्र घोषित करेंगे या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अभी इसकी जरूरत नहीं है।

श्री बैजनाथ पांडेय—

अभी माननीय मंत्री जी के वक्तव्य से मालूम हुआ कि श्री आर० आर० सिंह जी गये थे, उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसी के आधार पर वक्तव्य दिया है। वह केवल अधिकारी को लेकर हंडिया में गये, जब जनता के आदमी आ गये तो अधिकारी ने डांटा कि उनसे क्या मतलब, दावतें होती रहीं और उन्होंने जनता से कोई सम्पर्क नहीं किया, किसानों की फसल सूख गयी है, ट्यूबवेल खराब होने की वजह से और रेवेन्यू विभाग की तरफ से वसूली की जा रही है, इन सब बातों की क्या माननीय मंत्री जी निष्पक्ष जांच करवायेंगे ? हंडिया और मेजा के प्रत्येक गांव के बारे में जांच करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

यह सत्य है कि वहां के परगना हाकिम को लेकर जो हमारे अधिकारी जांच करने गये थे, दौरा करते रहे। लेकिन केवल उनकी रिपोर्ट के आधार पर उत्तर नहीं दिया गया। जिला मैजिस्ट्रेट से बराबर वहां की बिगड़ती स्थिति की खबर मिलती रही। इन तमाम बातों को सामने रख कर जो कुछ हो सकता था सुधार किया गया। हमारा मतलब यह नहीं है कि हम वहां के किसानों को परेशानी बढ़ाएं। अगर कोई सुझाव दें तो उस पर विचार करेंगे।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

सुझाव यह है कि उसे अकाल क्षेत्र घोषित करें। वह मानते नहीं।

श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)—

फतेहपुर जिले की खागा तहसील की पांच न्याय पंचायतों—बुढ़वन, फतौंघन, सिमौरी गढ़ा और कोटे में रबी की फसल बिलकुल नहीं बोई जा सकी। वहां के बारे में छूट दिलाने और सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने के बारे में मंत्री जी क्या कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इसे दिखा लेंगे। जरूरत होगी तो जरूर करेंगे।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

मैं यह जानना चाहती हूं कि मेजा तहसील में पथरीली जमीन होने के कारण कुयें बनाने में जो कठिनाई है, जो कुयें सूख गये हैं, उनसे पानी निकालने की रिंग मशीन लगाने की व्यवस्था की गयी है या वहां के सिंचाई विभाग द्वारा रिंग मशीन खरीदने के लिये कोई प्रबन्ध किया गया है, जिससे अविलम्ब कुओं में पानी लाया जा सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इंजीनियर देख आये हैं। उनकी रिपोर्ट आ जाय देख लेंगे। जहां तक सम्भव होगा करेंगे।

श्री बाबूनन्दन दत्त (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि जिन जिन स्थानों पर सूखा पड़ा है वहां वहां कितने टेस्ट बर्क्स खोले गये हैं और उन पर कितने लोग काम कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अभी हमने नहीं देखा है कोई।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

मैं माननीय मंत्री महोदय से बहुत सादर, सविनय, और करबद्ध निवेदन करूंगा कि उधर हमारे माननीय पांडेय जी को भी जांच से सन्तोष नहीं है और मैंने भी दो दिनों का दौरा किया और मुखमरी की रिपोर्ट आपको की है। तो सारी परिस्थितियों को देखते हुये क्या आप स्वयं वहां चलकर वहां की परिस्थितियों की एक फर्स्ट हैन्ड इन्फार्मेशन के रूप में जानकारी प्राप्त करने की कृपा करेंगे ? इससे हमको बड़ा सन्तोष हो जायगा। आप चले चलें, क्योंकि आपको उनसे बहुत प्रेम है, आप ठाकुरों के गांवों में वोट मांगने जाते हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मैं सूबे में कहीं भी जाने से घबड़ाता नहीं हूं। जहां पर मैं जरूरत समझता हूं वहां पर जाता हूं। वहां भी यदि जरूरत समझूंगा तो मैं स्वयं जाऊंगा आपके कहने की क्या जरूरत है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, जब जरूरत समझेंगे जायेंगे, आप लोग उनको जरूरत समझा दें।

(व्यवधान)

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या यही प्रजातान्त्रिक तरीका है और क्या यही आपकी राय है कि जब पूरा सदन कह रहा है, जब उधर के भी सदस्य चाहते हैं कि मंत्री जी स्वयं मौके पर जाकर देखें और यह हम सब विरोधी सदस्य यही चाहते हैं तो मंत्री जी का यह कहना कि जरूरत समझूंगा तो जाऊंगा क्या यह उचित है कि इस तरीके का उत्तर मिले यह आप बता दें ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने निवेदन किया कि माननीय मंत्री जी ने जो कहा, उस पर आपका अब कर्तव्य हो जाता है कि आप लोग मंत्री जी के साथ बातचीत कर लें और उसके लिये प्रयत्न कीजिये।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

मैंने तो कितनी बार कहा। मैं मंत्री जी की इस हठवादिता के विरोधस्वरूप सदन त्याग करता हूं।

(श्री सत्यनारायण पांडेय ने सदन का परित्याग किया।)

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

हजारों आदमी मिल गये, आपसे निवेदन किया, मंत्री जी नहीं मान रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

तो इसमें हम क्या करें, कोई नियम हो तो बताइये।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

यह सरकार हठवादी है, तो मैं भी सदन त्याग करता हूं।

(श्री कल्याणचन्द मोहिले ने सदन का परित्याग किया।)

श्री नाथूराम शिक्षक—

मैं भी दो मिनट के लिये इलाहाबाद जिले के मामले में सदन त्याग करता हूं। नियम ५२ मेरा स्वीकार हुआ, लेकिन उसका उचित उत्तर नहीं मिला, इसलिये मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री नाथूराम शिक्षक ने सदन का परित्याग किया।)

एटा जिले के अयारा ग्राम में डाके के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

दिनांक २०–२१ फरवरी, १९६६ की रात्रि में लगभग १२ बजकर १५ मिनट पर श्री तोताराम, पुत्र हरी किशन, निवासी अयार थाना सकीट जिला एटा ने थाने पर सूचना दी कि दिनांक २० फरवरी, १९६६, को लगभग साढ़े छः बजे सायंकाल वह और उनके परिवार के अन्य सदस्य भोजन कर रहे थे और सदर दरवाजा खुला हुआ था। कुछ व्यक्तियों के मकान में घुसने की आवाज सुनकर वादी के भतीजे सूबेदार ने टोका। इस पर महावीर अपने १९-२० अन्य साथियों के साथ जो आग्नेय अस्त्रों तथा लाठियों से सुसज्जित थे मकान में घुस आये और सूबेदार पर फायर किया। ठीक उसी समय रती राम के मकान से भी फायर की आवाज आने लगी। श्री तोताराम अपने दो बच्चों को लेकर मकान के कोठे में घुस गये। और उन्होंने किवाड़ों की दरारों से देखा कि महावीर और उसके साथी घरवालों को गोली मार रहे हैं। इन लोगों ने उस कोठे के किवाड़ों को भी तोड़ने का प्रयत्न किया जिसमें श्री तोताराम छिपे थे, परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली। उस समय एक व्यक्ति ने कहा कि बाहर किसी ने फायर किया। इतना कहने पर महावीर और उसके साथी यह कहते हुये कि काम समाप्त हो गया है, बाहर चले गये। जब श्री तोताराम बाहर निकल कर आये तो उन्होंने देखा कि सूबेदार, राम बहादुर, सूबेदार की गोद की लड़की, तेज राम, लीलावती, सुन्दरी तथा उनकी पत्नी दुलारी मरे पड़े हैं। जब वे घर से बाहर आये तो उनके भाई श्री कालीचरण

[श्री शिव प्रसाद गुप्त]

प्रधान ने बताया कि उन्होंने मारने वाले व्यक्तियों से मुठभेड़ करके एक व्यक्ति को मार दिया है। रतीराम के परिवार के लोग भी जिनकी संख्या ९ है मारे गये तथा वादी व रती राम के मकान में आग लगा दी गई। श्री तोताराम ने कुल व्यक्तियों को पहिचान लिया तथा उनका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिया गया है।

२—अपराधी महाबीर श्री तोताराम के परिवार के सदस्यों से इसलिये रंजिश मानते थे कि उसके परिवार के लोगों ने महाबीर और महाबीर के गैंग के कुछ सदस्यों के विरुद्ध डकैती में गवाही दी थी। वास्तव में घटनास्थल पर २ अभियुक्त ग्राम प्रधान श्री कालीचरण द्वारा मारे गये जिसमें एक व्यक्ति पहिचान लिया गया है तथा दूसरे की पहिचान करने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है।

३—श्री तोताराम अथवा श्री काली चरण प्रधान ने पुलिस को यह सूचना नहीं दी कि महाबीर का दल उनके घरों पर हमला करने का प्रयत्न कर रहा है। चूंकि यह दल श्री तोताराम तथा उनके परिवार के सदस्यों से वैमनस्य मानता था इसलिये इस ग्राम में पी० ए० सी० तथा ए० पी० गार्ड काफी समय तक नियुक्त रहे। इस समय कस्बे मलावन में जो गांव से केवल ६ फर्लांग पर है पी० ए० सी० तैनात है और यह पी० ए० सी० बराबर अयार गांव में गश्त में जाती रहती है। घटना के दिन गांव अयार में पी० ए० सी० दिन में ही गश्त करके चली गई; चूंकि उस दिन ग्राम परसौन में लगे मेले के कारण भीड़ की वापसी की सुरक्षा हेतु रात में गश्त करना आवश्यक था और उस रात में पी० ए० सी० का प्रोग्राम दूसरी ओर था। घटना के संबंध में विवेचना जारी है तथा अभियुक्तों को तलाश करने का यथाशक्ति प्रयत्न किया जा रहा है। उप महानिरीक्षक, आगरा, पुलिस अधीक्षक, एटा, जिला अधिकारी, एटा घटनास्थल पर हो आये हैं और उप महानिरीक्षक, आगरा एटा में ही कैम्प कर रहे हैं। पी० ए० सी० की ४ कम्पनियां भी गैंग की तलाश करने के लिये लगा दी गई हैं। पुलिस अधीक्षक, जिला मैनपुरी और फतेहगढ़ भी घटनास्थल का निरीक्षण कर चुके हैं और उन जिलों की पुलिस भी गैंग को तलाश करने का भरसक प्रयत्न कर रही है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, यह बहुत ही सनसनीखेज घटना है। इसमें १६ आदमियों की हत्या हो गई और पुलिस अधिकारियों और जिले के अधिकारियों की अयोग्यता और नालायकी के कारण बड़ा जबरदस्त वहां पर आतंक फैला हुआ है। एक भी क्राइम डिटेक्ट नहीं हो सका तो इस तरह से वहां पर सारे साक्षी मारे जायंगे। महाबीर गैंग के जो गंगू पकड़े गये थे उन्होंने अपने स्टेटमेंट में डी० एम० और एस० सी० के सामने यह बतलाया था कि ४० आदमियों की उनके पास लिस्ट है, जिनको वह मारने के लिये उद्यत हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुये गांव के ६ आदमियों ने लाइसेंस के लिये दरख्वास्त दी लेकिन उनको एक भी लाइसेंस नहीं दिया गया और उनसे बचत योजना के अन्तर्गत एक एक हजार रुपया मांगा कि दो तब लाइसेंस दिया जायगा। इसमें सूबेदार सिंह और रतीराम भी शामिल थे। पहले से पी० ए० सी० वहां पर थी लेकिन १६-६-६६ को मलावां में उसको रख दिया गया। इन सब गम्भीर बातों पर विचार करते हुये और उनकी दरख्वास्त को नामंजूर करने का विचार करते हुये मन्त्री जी बतायेंगे कि क्यों वहां से पी० ए० सी० को हटाकर मलावां में भेजा गया और इन गवाहों की जान की रक्षा को अच्छा नहीं समझा गया और जरूरी नहीं समझा गया?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

श्रीमन्, मैं वहां मौके पर गया था, देख कर आया हूं। मलावां और वहां पर यह डकैती पड़ी वह गांव और महाबीर के गांव के बीच में पड़ता है। जहां पर यह डकैती पड़ी है एक तरफ उसके महाबीर का गांव है और दूसरी तरफ मलावां है। यहां पर पी० ए० सी० पहले थी। मलावां गांव वालों ने और कुर्बे व बाजार के सभी लोगों ने, जैसा मुझे बताया तो

मालूम हुआ कि वहां पी० ए० सी० वहां रही। यह मालूम हुआ कि मरने वालों ने कहा था हमको भी खतरा है। चूंकि वह महाबीर के गैंग का आपरेशनल एरिया है इसलिये थोड़े दिन हुये वह पी० ए० सी० वहां दूसरी जगह मलावां में कर दी गई और अब फिर पी० ए० सी० इस गांव में रख दी गई है। चूंकि पी० ए० सी० रात में उन गांवों में गश्त करती थी किसी को यह खयाल नहीं था कि ६, ६॥ बजे शाम को इतने लोग मुसल्ला होकर किसी घर में घुस जायंगे इस वजह से यह घटना हो गई।

श्री रामसिंह शाक्य (जिला एटा)—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जिले की स्थिति के बारे में वहां के बार एसोशियेशन ने एक प्रस्ताव पास कर के आप को भेंट किया था और जिले की स्थिति के बारे में हमने भी बताया था कि जो शासक हैं उनके बस का यह रोग नहीं है कि महाबीर के गैंग को समाप्त कर सकें। इसलिये जिले की गंभीर स्थिति को दृष्टि में रखते हुये क्या सरकार उस बार एसोसियेशन के प्रस्ताव पर कोई अमल करने का विचार कर रही है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैंने तो प्रस्ताव पढ़ा नहीं और किसी प्रस्ताव की मुझे सूचना भी नहीं है।

श्री रामसिंह शाक्य—

उस प्रस्ताव में कहा गया था कि यह जिला हमेशा से क्रिमिनल एरिया रहा है और हमेशा इसमें योग्य और अनुभवी शासक रखे गये हैं। उस प्रस्ताव में यही मांग की गई है कि योग्य और अनुभवी शासक ही रखे जायं। तो सरकार उस पर क्या विचार कर रही है?

श्री हरगोविन्द सिंह—

सरकार जो नियुक्ति करती है, योग्य और अनुभवी समझ कर ही करती है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या गृह मंत्री जी को मालूम है कि एटा तथा अलीगढ़ में डकैतियां बहुत दिनों से बढ़ रही हैं और उनमें ऐसे लोग भी हैं कि जो केवल डकैतियां ही नहीं डालते वरन् व्यक्तियों को उठा भी ले जाते हैं और ऐसे गैंग आठ, दस साल से वहां आपरेट कर रहे हैं। तो सरकार ने उनकी गिरफ्तारी के लिये क्या किया और सरकार कब तक उनका इंतजाम कर सकेगी?

श्री हरगोविन्द सिंह—

सरकार इस मामले में बड़ी सक्रिय है और इस बात का इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन वहां जाने पर मुझे अनुभव हुआ और मुमकिन है कि वह गलत भी हो कि वहां की जनता को इस मामले में जितना सहयोग करना चाहिये वह कर नहीं रही है।

श्री रघुबीरसिंह (जिला एटा)—

इस बात को देखते हुये कि एटा जिले में चिरकाल से ऐसे गैंग बनते बिगड़ते आये हैं, क्या माननीय सदस्य की यह धारणा सही कही जा सकती है कि सरकार तथा प्रशासन के अधिकारी इस संबंध में उदासीन हैं?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मेरे कहने से नहीं यह आंकड़े बतलाते हैं कि वहां क्या काम हो रहा है। इनके अनुसार १९६३ में ३९ डकैतियां, ६४ में २७ और ६५ में वहां २९ डकैतियां पड़ीं। तो इससे स्पष्ट है कि वहां डकैती की घटनाओं में सुधार हो रहा है और वे कम हुई हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

१ दिसम्बर, १९६५ को गंगू के गैंग का एक सदस्य पुलिस ने पकड़ा था और उसने एस० पी० के सामने कंफेशन किया कि किस किस के यहां गैंग के सदस्य शरण पाते हैं और उनकी किन-किन के मर्डर की योजना है। उसे डी० एम० के सामने भी पेश किया गया और उनके सामने भी उसने वही कंफेशन दिया। उसके आधार पर जो लोग उस गैंग के सदस्यों को शरण दे रहे हैं उन पर दफा २१६ या दूसरी दफाओं के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की गयी और क्या उनकी सूची मंत्री जी सदन के सामने रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

यह बिलकुल जनहित में नहीं होगा कि जिन लोगों पर पुलिस को या अधिकारियों को संदेह है कि ये लोग डाकुओं को शरण देते हैं, उनकी सूची मेज पर रखें।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

जो नाम उसने बताये कि ये ये व्यक्ति उनको सब प्रकार की मदद देते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की, इसका उत्तर नहीं आया ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

उस कन्फेशन का मुझे इल्म नहीं है कि कब हुआ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

उसकी कापी आई० जी० के यहां आ गयी है, सन् ६५ में हुआ था।

श्री हरगोविन्द सिंह—

कापी आयी होगी, बहुत से कागज आते हैं, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि यदि उसने कोई कन्फेशन किया और कुछ लोगों के नाम बताये तो उन पर जो व्यवस्था हो सकती है जांच पड़ताल जरूर होती होगी।

श्री गंगा प्रसाद वर्मा (जिला एटा)—

एटा में यही घटना नहीं बल्कि बीसियों ऐसी घटनाएं हुई और दिनदहाड़े कई लोग पकड़े गये और गायब किये गये और मारे गये। तो क्या यह सत्य है कि जिस जाति का महाबीरा है, उस जाति के वहां के राजनीतिक लोग उन डाकुओं को पनाह दे रहे हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

इस प्रश्न का उत्तर देना जनहित में न होगा।

श्री बृजेश्वर सहाय (जिला मैनपुरी)—

मंत्री जी ने फरमाया कि पुलिस तो सतर्क है लेकिन जनता का सहयोग नहीं है। शायद मंत्री जी को पता नहीं होगा कि मल्लावां में जो दूरबीनसिंह नाम का क्लर्क है वह महाबीरा का सगा रिश्तेदार है जो कि सारी सूचना महाबीरा के पास भेज देता है कि आज पी० ए० सी० हटा दी गयी और उसी दिन शाम को डकैती पड़ती है। वह पुलिस का व्यक्ति है जो सूचना देता है। दूसरे, जो सहयोग की बात है तो हमारे बोर्डर पर कुरावली है वहां पर जो दरोगा थे महाबीरा ने उनको चैलेंज करके भेजा कि मैं अमुक ब्राह्मण को उठा ले जाऊंगा। पुलिस के पास सूचना दी गयी और फिर भी वह उठा ले गये। उस आदमी को ले जाकर उसी लड़की के सामने कत्ल किया गया और नंगा ले जाकर उसके बाप को मारा गया और दारोगा का ५ तारीख को तबादला कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

आप क्या कह रहे हैं ?

श्री बृजेश्वर सहाय—

मैं बतलाना चाहता हूं कि जो पुलिस के लोगहैं और महाबीरा के रिश्तेदार हैं और एक दरोगा जो कुरावली से भोगांव में ट्रांस्फर किया गया है उसके यहां तीन दिन पूर्व डकैती पड़ी है। क्या सरकार उन सरकारी अधिकारियों को जो कि महाबीरा से मिले हुये हैं और उसके रिश्तेदार हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

यदि यह स्पष्ट हो जायगा और सरकार को मालूम हो जायगा निश्चित रूप से कि कोई पुलिस का अधिकारी महाबीरा की मदद कर रहा है या उसको शरण दे रहा है उसके लिये कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायगी।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

मंत्री जी ने कहा कि पुलिस से वहां की जनता सहयोग नहीं कर रही है। श्रीमन्, माननीय मंत्री जी सही कह रहे हैं। वहां की जनता सहयोग नहीं करती है। वह जनता उस महाबीरा और गंगू गैंग का सहयोग करती है, और मैं आप से कहना चाहता हूं और माननीय मंत्री का ध्यान खींचना चाहता हूं कि वह क्या कार्यवाही करने को तैयार हैं ? उनके एक एम० एल० सी० साथी हैं ?

महाबीरा को जो आदमी शरण देता है उसके कारण वहां की जनता सहयोग नहीं दे पाती ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

गैंग से संबंध रखने वाले लोगों के पास यह सूचना होगी, मेरे पास तो यह सूचना नहीं है।

(व्यवधान)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

यह डाकू हैं और चोर भी हैं।

(व्यवधान)

श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)—

जब हम कुछ सदस्य माननीय गृह मंत्री के पास गये इस संबंध में और उनसे यह कहा कि वहां के एस० पी० को २ माह के लिये रोक दीजिये, तो उन्होंने कहा कि रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। तो यह जो १६ आदमी मारे गये हैं इनको सरकार कोई कम्पनसेशन देगी क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर रक्षा की जिम्मेदारी ली थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैंने सवाल कुछ समझा नहीं।

(व्यवधान)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, यह कुछ नहीं समझेंगे। हम सभी विरोधी पक्ष के लोग भी मार डाले जायेंगे इस तरह से।

(व्यवधान)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

यह डकैतों के सरदार हैं, खुद चोरी डकैती कराते हैं.....

(व्यवधान)

कुमार कृष्णकृष्ण नायर (जिला बस्ती)—

मंत्री जी ने मौके पर जाकर जांच की। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके इल्म में वहां पर यह बात आयी कि नहीं मंहगू नाम का कोई आदमी पकड़ा गया था नहीं, क्या उनके इल्म में यह बात आयी या नहीं कि उन्होंने एक आदमी को पकड़ा है, क्या उनके इल्म में यह बात आयी कि नहीं कि उसने जिन-जिन व्यक्तियों के नाम लिये हैं, क्या उनके इल्म में यह बात आयी कि नहीं कि अधिकारियों से उसकी क्या बात हुई ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

मैं श्रीमन्, किसी जांच के संबंध में नहीं गया था। (व्यवधान) चूंकि प्रान्त में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गयी थी, १६ आदमी एक ही परिवार के मारे गये थे, मैं वहां सांत्वना देने तथा लोगों का साहस बढ़ाने के लिये गया था। (व्यवधान) मैंने वहां लोगों से यह भी जानने की कोशिश की कि लोगों को पुलिस विभाग से तो कोई शिकायत नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि बावजूद इस दुर्घटना के वहां लोगों ने पुलिस विभाग के बारे में बताया कि जितना सम्भव हो सकता था, वह उसने किया और संतोष जाहिर किया।

(व्यवधान)

श्री गंगाप्रसाद वर्मा—

मैं वहां मौजूद था, यह सब गलत है, या तो मंत्री जी इस्तीफा दे दें, वरना मैं दे दूंगा, इसकी वे चल कर जांच करें।

श्री अध्यक्ष—

आप पहले उनको सुन लें, फिर प्रश्न करें। आप शान्ति से उन्हें पहले सुन लें।

(व्यवधान)

श्री हरगोविन्द सिंह—

मुझे वहां यह मालूम हुआ कि एक आदमी जो मारा गया वह पहिचान लिया गया। वह आदमी उन्हीं का रिश्तेदार था। चार-छः रोज पहिले वहां आया था और उसने शायद महावीरा के गैंग को बुलाया था। एक आदमी जो दूसरा मारा गया, करीब-करीब वह इस नौबत तक है कि पहिचान लिया जाय, लेकिन अभी पूर्ण रूप से निश्चय नहीं किया जा सकता कि वह कौन आदमी था।

(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह—

इस बात पर विचार करते हुए कि अभी माननीय सदस्य ने कहा कि एम० एल० सी० साहब संरक्षण देते हैं, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि ऐसी दशा में क्या सरकार, जितने भी विधायक हैं, चाहे वे कांग्रेस दलके हों उनकी एक कान्फीडेन्शियल इन्क्वायरी करवाने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

श्रीमन्, बहुत से लोगों की रिपोर्ट हमारे पास है, किन्तु इनके सम्मान में मैं उनको जाहिर नहीं करना चाहता।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय—

माननीय गृह मंत्री को मैं चुनौती देता हूं कि वे उस रिपोर्ट को सदन के सामने रक्खें, नहीं तो इस्तीफा दें। रिपोर्ट रखने के बाद ही कोई बात होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

माननीय केशरी प्रसाद जी, आप बैठ जांय। मैं यह निर्णय देने वाला नहीं हूं कि वे रिपोर्ट दें या न दें।

श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

जैसा कि माननीय गृह मंत्री ने बताया कि मैं गांव गया और वहां के परिवार के लोगों को सान्त्वना देने गया था। मान्यवर, यह जो कहकर आये हैं, वह मैं पढ़कर सुनाता हूं—हर एक की रक्षा का कोई इन्तजाम नहीं कर सकती है सरकार। ऐसा न कभी पहिले सम्भव हुआ है और न होगा। यह अखबार है जो कि इन्होंने बयान दिया। मैं गृह मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि जब छः फर्लांग पर पी० ए० सी० थी और तोताराम की लड़की पड़ोस के घर गई थी। इतने में महावीरा का गैंग आ गया, गोली चलने लगी तो वह लड़की पी० ए० सी० के लोगों के पास गई और सूचना दी कि गैंग आ गई है और गोली चल रही है। उनसे आरजू और मिन्नत की। फिर भी पी० ए० सी० के लोग क्यों नहीं आये। इसका कारण गृह मंत्री बतायें?

श्री हरगोविन्द सिंह—

श्रीमन्, जो अखबार पढ़कर सुनाया गया.....

श्री अध्यक्ष—

उस समाचार पत्र को मैं आउट आफ आर्डर घोषित कर चुका हूं।

श्री हरगोविन्द सिंह—

श्रीमन्, यह बात सत्य है कि वह लड़की भलावां गांव में जो ६ फर्लांग की दूरी पर है, गयी। उस दिन बड़ा भारी मेला था, उसमें से लौट कर लोग जा रहे थे। इन्तजाम के लिये ८–१० पी० ए० सी० के आदमी चले गये थे। जिस समय वह लड़की वहां गयी, ४ पी० ए० सी० के आदमी वहां खाना बना रहे थे। लड़की ने यह कहा कि मैंने उनसे कहा। लेकिन यह सारी घटना २० मिनट के अन्दर हो गयी। अब आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि ६ फर्लांग के आने जाने में कितना समय लगेगा। दूसरी बात दिक्कत की यह हुई कि जिस वक्त गांव में गोली चली, गांव के सभी लोग अपने-अपने घरों को छोड़कर भाग निकले। शाम का समय था, चारों तरफ लोग भाग रहे थे। डकैत भी वहां २–३ फर्लांग के पास के ही रहने वाले थे, इसलिये पी० ए० सी० किसी के ऊपर गोली नहीं चला सकी।

श्री गंगा प्रसाद वर्मा —

उस लड़की ने मंत्रीजी के सामने बयान दिया तो क्या उसने यह बताया कि वह भलावां गयी थी और पी० ए० सी० तब तक नहीं आयी। जब तक सारे घर जल नहीं गये। एक डकैत वहां छिपा हुआ था। गांव वालों ने कहा कि उसको पकड़ो लेकिन वह नहीं पकड़ा गया और दिन में वह वहीं से पकड़ा गया।

श्री रामसिंह शाक्य—

श्रीमन्, इस सरकार की अयोग्यता का उदाहरण यह है कि एक तो पी० ए० सी० उस गांव से तो हटा दी गयी जहां दो लाइसेंसी थे और उस गांव में नियुक्त कर दी गयी जिसमें १२ लाइसेंसी थे। दूसरा प्रमाण अयोग्यता का यह है कि गंगू जब स्टेटमेन्ट देने आया तो उसको पूरा रिकार्ड किया गया। जब वह डी० एम० के सामने गया तो उसने स्टेटमेन्ट लेने के लिये वहां एस० डी०

[श्री रामसिंह शाक्य]

एम० को न भेज कर एटा के एस० डी० एम०, श्री सोम प्रकाश गुप्ता को इसलिये भेजा कि नेताओं के नाम दफा १६४ की कार्यवाही में न आ जाय और जैसा डी० एम० चाहते थे वैसा वह लिख देंगे। देख यह जा रहा है कि जब से यह नये एस० पी० गये हैं वह वही करते हैं जो कलेक्टर चाहता है और कलेक्टर साहब इस कोशिश में रहते हैं कि नेताओं को खुश करें। यही कारण है कि इन नये एस० पी० साहब के यहां आ जाने से वारदातें ज्यादा हो गयी हैं। माननीय मंत्री जी यह जानते हैं कि यह शासक लोग जो पी० सी० एस० हैं इस कोशिश में हैं कि उनको आई० सी० एस० बना दिया जाय, इसलिये मंत्रीजी की खुशामद में सब तरह का काम करते हैं। क्या इसीलिये उनको वहां रखा गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

किस चीज का उत्तर दूं, यह मेरी समझ में नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—

यह कहते हैं कि नये डी० एम० जो आये हैं वे अपने पदोन्नति की दृष्टि से अपने सबार्डिनेट एस० पी० के साथ मिल कर नेताओं को खुश रखने के लिये ऐसे लोगों को पनाह देते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते ?

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, अभी तक हमने माननीय गृहमंत्री का यह बयान सुना। हमें तो उनके बयान को सुन कर लज्जा आयी, लेकिन उनको इस बयान को देते समय लज्जा नहीं आयी, जब कि आज किसी की जान सुरक्षित नहीं है, राजनीतिज्ञों की जान भी सुरक्षित नहीं है और इसके लिये पुलिस हर तरह से असमर्थ साबित हो रही है। इससे हमें अत्यन्त क्षोभ है और हम अपनी बेइज्जती समझते हैं कि ऐसी स्थिति में यहां मौजूद रहें। इस संबंध में मैंने मुख्य मंत्री को कहा था कि ऐसे होम मिनिस्टर को बदलकर इसका चार्ज किसी दूसरे को दिया जाय। लेकिन यह स्थिति आज नहीं है और सारी जनता को इससे बड़ा क्षोभ है। इसके विरोध में हम अपने दल के साथ सदन का त्याग करते हैं।

(जनसंघ दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

(व्यवधान)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, आज हमारे प्रदेश में चोरी व डकैती करने वालों की तादाद काफी बढ़ रही है और हमारे गृह मंत्री ठाकुर हरगोविन्द सिंह इन डाकुओं को पनाह देते हैं। ऐसी स्थिति में श्रीमन्, इस प्रदेश का प्रशासन अच्छी तरह से नहीं चल सकता है। इसलिये आपसे मैं आग्रह करता हूं कि आप माननीया मुख्य मंत्री से आग्रह करें कि ऐसे चोरों और डकैतों को शह देने वाले होम मिनिस्टर को निकाल दिया जाय। लेकिन अभी तक ऐसे तानाशाही करने वाले गैरजिम्मेदार होम मिनिस्टर को रखा गया है, इसलिये इसके विरोध में मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

(व्यवधान)

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय गृह मंत्री से आप इसका स्पष्टीकरण मांगें जो अभी उन्होंने इस आदरणीय सदन के सम्मुख बयान दिया कि एक लड़की पी० ए० सी०

के सम्मुख उपस्थित हुई जब कि चार सिपाही खाना बना रहे थे। माननीय मंत्री जी ने कहा कि जब ये चार सिपाही घटना स्थल पर पहुंचे तो उस समय २० मिनट के अन्दर यह घटना हो चुकी थी। तो मेरा निवेदन यह है कि जब गांव के अन्दर प्रथम गोली डाकुओं ने चलायी तो लड़की पी० ए० सी० के सम्मुख पहुंची और २० मिनट के अन्दर ही यह घटना घट गयी, तो मैं जानना चाहता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री लखपतराम शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि आप इस पर व्यवस्था दें और आप कहते हैं कि मैं बैठ जाऊं।

(व्यवधान)

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—

श्रीमन्, ८–१० साल से ये डकैत जुल्म ढा रहे हैं और आज हालत यह है कि कहीं पर किसी का रहना या किसी सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है और अक्सर डकैत लोगों को रैन्सम-मनी के लिये लोगों को उठा ले जाते हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। कहीं कहीं तो पुलिस भी उन डाकुओं से मिली रहती है। त. इसके विरोध में अपने दल के साथ २ मिनट के लिये सदन त्याग करता हूं।

(निर्दलीय सदस्य सदन त्याग कर बाहर चले गये।)

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

श्रीमन्, मैं भी इसके विरोध में ५ मिनट के लिये अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(कम्युनिस्ट दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमन्, मैं भी इसके विरोध में १० मिनट के लिये सदन त्याग करता हूं।

(श्री लखपतराम शर्मा ने सदन का परित्याग किया।)

झांसी तथा आगरा जिले में ओला वृष्टि से क्षति के सम्बन्ध में वक्तव्य

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी ने १४ फरवरी, १९६६ को झांसी जिले के विकास क्षेत्र तालबेहट में ओलावृष्टि से क्षति की सूचना दी है। श्री बनवारी लाल विप्र तथा श्री बालोजी अग्रवाल ने आगरे जिले की किरावली, बाह तथा फतेहाबाद तहसील में १६ फरवरी, १९६६ को ओलावृष्टि से रबी की फसलों की क्षति की सूचना दी है। संबंधित जिलाधिकारियों से वास्तविक

[श्री राम कुमार शास्त्री]

स्थिति की जानकारी की गयी है और जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार स्थिति निम्नलिखित है :—

(इस समय १ बजकर ३१ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुए।)

झांसी

झांसी जिले के ८० गांवों में जिसमें तालबेहट ब्लाक के ५० गांव शामिल हैं, रबी फसलों को ओले से क्षति पहुंचने का अनुमान है। क्षति का सही तखमीना अभी लगाया जा रहा है। सहायता के रूप में जिले में २९,६०० रु० की तकावी तथा ९९० रु० की अहेतुक सहायता दी जा चुकी है। तालबेहट क्षेत्र में २३ बोरी आटा बांटा जा चुका है। प्रभावित क्षेत्रों में ३०० टन ज्वार के वितरण का भी प्रबन्ध किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्थिति के निरीक्षण के पश्चात् और तकावी तथा अहेतुक सहायता यदि आवश्यकता हुई, बांटी जावेगी। तालबेहट ब्लाक में स्टेट वर्क खोले जाने पर भी विचार हो रहा है।

आगरा

आगरा जिले में खेरागढ़, फतेहाबाद तथा बाह तहसील के ९४ गांवों में ओलावृष्टि से अपेक्षित अधिक क्षति होने का अनुमान है वैसे जिले की सभी तहसीलों के अन्य २१२ गांवों में भी थोड़ी थोड़ी क्षति हुई है। क्षति के वास्तविक निर्धारण के लिये राजस्व अधिकारी प्रभावित ग्रामों का निरीक्षण कर रहे हैं तथा स्थिति के अनुसार आपत्कालीन तकावी और अहेतुक सहायता प्रदान की जावेगी। किसी पशु की मृत्यु की सूचना नहीं है।

श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)—

अधिष्ठाता महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता—

इस पर कोई प्रश्न नहीं होगा।

श्री बनवारीलाल विप्र—

मान्यवर, इसी सदन में २ तरह का मजाक हुआ है। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इससे सम्बन्धित बातों पर अपनी इच्छा प्रकट करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

यह समय नहीं है। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

बाराबंकी जिले की हैदरगढ़ तहसील में अवर्षण से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री राम किशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

अधिष्ठाता महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो सूचना मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत दी थी उस पर माननीय मंत्री जी जो वक्तव्य दे रहे हैं, उसके सम्बन्ध में उनका कहना है कि शीतकालीन वर्षा सन्तोषजनक हुई है। उनका यह भी कहना है कि फसलों की दशा सामान्य है लेकिन मेरा कहना है कि पिछली खरीफ की फसल में नुकसान हुआ है और वहां पर जो लगान है उसकी माफी होनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

आप किस प्रश्न के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ?

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

श्रीमन्, आइटम ११ के सम्बन्ध में ।

श्री अधिष्ठाता—

११ के सम्बन्ध में तो अभी कोई बयान नहीं हुआ है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

माननीय मंत्री जी के वक्तव्य की प्रति तो मेरे पास है ।

श्री अधिष्ठाता—

पहले आप सदन को तो अवगत हो जाने दीजिये । फिर मैं आपकी व्यवस्था का प्रश्न सुनूंगा ।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

श्री रामकिशोर त्रिपाठी ने बाराबंकी जिले की हैदरगढ़ तहसील में अवर्षण के कारण हुई क्षति की सूचना दी है । जिलाधिकारी से वास्तविक स्थिति की जानकारी की गई है और प्राप्त सूचना के अनुसार स्थिति निम्नलिखित है :—

बाराबंकी

बाराबंकी जिले में शीतकालीन वर्षा सन्तोषजनक हुई है । अक्टूबर मास में भी आवश्यकतानुसार वर्षा हो जाने के कारण रबी की बोवाई सन्तोषजनक रही । प्राप्त सूचना के अनुसार जिले में, जिसमें हैदरगढ़ तहसील भी शामिल है, रबी की फसलों की दशा सामान्य है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

अधिष्ठाता महोदय, मैंने जो प्रश्न उठाया था वह यह था कि बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ तहसील में बराबर २ फसलें खराब हो गयी हैं । अभी तक किसानों को फसल की क्षति के अनुसार जो छूट की व्यवस्था हुई है, वह भी नहीं मिल सकी है और बराबर लगान सिंचाई, तकावी तथा अन्य सरकारी ड्यूज एक साथ वसूल हो रहे हैं । उसके सम्बन्ध में कोई वक्तव्य नहीं हुआ है । मेरा यह सुझाव है कि आप इस प्रश्न को पोस्टपोन करें और माननीय मंत्री जी को आदेश दें कि वे डिटेल लाकर सदन को सूचित करें । मेरा यही व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता—

इन्होंने (माननीय मंत्री जी ने) तो स्पष्ट बता दिया है कि स्थिति सामान्य है । इसलिये उसमें छूट का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत यह निवेदन किया था कि लगान की वसूली स्थगित करें और उसमें छूट भी किसानों को मिलनी चाहिये ।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

श्रीमन्, मैंने वहां की स्थिति बता दी कि जब सामान्य स्थिति है तो छूट का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

झांसी तथा आगरा जिले में ओला वृष्टि से क्षति के सम्बन्ध में वक्तव्य—(क्रमागत)

श्री बनवारीलाल विप्र—

श्रीमन्, यह गलत तथ्यों पर आधारित है । मैं विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न का नोटिस देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

इस प्रश्न पर बहस नहीं होगी ।

श्री बनवारीलाल विप्र—

श्रीमन्, मैं कहता हूं कि जो सवाल मैं सदन में रखना चाहता था उसकी आपने अनुमति नहीं दी और आपने कहा कि आसन ग्रहण करें । मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा । आगरा और झांसी के संबंध में एक ही समय में दोनों का एक ही प्रश्न बना कर अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार किया था वक्तव्य के लिये । अधिकारियों की रिपोर्ट में झांसी और आगरा का हवाला दिया हुआ है जैसा कि मंत्री जी ने झांसी के संबंध में बताया कि ८० गांव आते हैं और आगरा में ५० गांव आते हैं और इनके लिये केवल २६ हजार की.....

श्री अधिष्ठाता—

उन्होंने वक्तव्य दे दिया । अब आप जो कहना चाहें कहिये ।

श्री बनवारीलाल विप्र—

श्रीमन्, जब तक मैं स्पष्टीकरण न दे दूं, कैसे कुछ कह सकता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

आप यह बता दें कि कौनसी अव्यवस्था हुई है जिस पर आप कहना चाहते हैं ।

श्री बनवारीलाल विप्र—

श्रीमन्, आप संक्षेप में चाहते हैं और मैं विस्तृत कहना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

नियम यह है कि जब कोई माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहें तो सब से पहले उस अव्यवस्था की ओर संकेत करना चाहिये जो हुई है और उसके बाद पक्ष में तर्क उपस्थित करना चाहिये । लेकिन आप पहले ब्योरा प्रस्तुत कर रहे हैं । मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं । आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री बनवारीलाल विप्र—

श्रीमन्, जो कुछ भी मैंने इस संबंध में कहा है.....

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री बनवारीलाल विप्र—

श्रीमन्, मुझे अपनी तकलीफ के संबंध में कहने का पूरा अधिकार है । जब कि स्पष्ट आंकड़े मौजूद हैं तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी व्यवस्था दीजिये कि जब २६ हजार रुपये की तकावी दी गई.....

श्री अधिष्ठाता—

आप अपना आसन ग्रहण करने की कृपा करें ।

१९६६–६७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १६—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १६—वैज्ञानिक शोध और सांस्कृतिक कार्य के अन्तर्गत २२,०७,३०० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य के अन्तर्गत २२,०७,३०० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २९—समाज कल्याण तथा अनुदान संख्या २८—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २९—समाज कल्याण के अन्तर्गत ५१,६२,२०० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

आप दोनों एक साथ प्रस्तुत कर दें ।

डाक्टर सीताराम—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २८—अनुसूचित और पिछड़ी जातियों के अन्तर्गत २,६५,७६,८० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

अधिष्ठाता महोदय, मैं समझता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्यों ने तखमीनों को अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा । मुझे आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है कि मैं अधिक कुछ कहूं क्योंकि मैं समझता हूं कि जितना अधिक समय सदस्यों को मिले और जितनी वे राय दे सकें उतना ही मेरे लिये और अधिकारियों के लिये अच्छा होगा। फिर भी बजट में जो खास खास बातें हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात कह देना ठीक समझता हूं । वित्तीय वर्ष १९६६–७ में हरिजन भाइयों के बजट के लिये २ करोड़ ६५ लाख ७६ हजार ८०० रुपये के प्राविधान का प्रस्ताव किया गया। उसके अन्तर्गत ५८ लाख ७४ हजार रुपये का प्राविधान योजना व्यय के लिये है और ३८ लाख ६३ हजार ७०० रुपये केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के लिये है । १ करोड़ ६८ लाख ३९ हजार रुपये का प्रावीजन योजना को भिन्न-भिन्न मदों के लिये किया है। इस के अलावा उत्तर मैट्रिक कक्षाओं में भारत सरकार का छात्रवृत्ति योजना के करीब १ करोड़ रु० क व्यय का अनुमान है जो कि इस बजट में नहीं दिया है। यह सप्लीमेंटरी में अगले साल ले लिया जायगा क्योंकि ९० लाख रु० जो इस बजट में दिखाया गया है उस से अधिक बढ़ने की सम्भावना है, ९० लाख की जगह १ करोड़ रु० की है और इस को केन्द्रीय सरकार मोट करेगी जो कि नेक्स्ट सप्लीमेंटरी में ले लिया जायगा और कार्य पूरा किया जायगा।

संकट कालीन स्थिति में हम जानते हैं कि सरकार के प्रत्येक विभाग में कुछ न कुछ कमी की गई है जिस से कि संचालित विभिन्न योजनायें सफलतापूर्वक चलायी जा सकें। अनुसूचित,

[डाक्टर सीताराम]

विमुक्त जातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों के लिए १,६४,१३,९०० रुपए वित्तीय वर्ष में खर्च किये जायंगे। इस के अतिरिक्त उत्तर मैट्रिक कक्षाओं में दी जाने वाली छात्रवृत्ति पर ९० लाख ६ हजार रु० के व्यय का अनुमान है। इसलिए अगले वित्तीय वर्ष में शैक्षिक योजनाओं पर १ करोड़ ८९ लाख ३२ हजार ५०० रुपये की व्यवस्था है।

अधिष्ठाता महोदय, पिछले पांच वर्षों में जो कार्यवाही हुई है, उस सम्बन्ध में कह देना उचित समझता हूं। १९६१–६२ से १९६५–६६ तक पिछड़ी हुई जातियों, अनुसूचित जातियों, विमुक्त जातियों तथा बराबर जातियों पर १ से लेकर १० वीं कक्षा तक छात्रवृत्ति और अनावर्तक सहायता जो दी गई है वह १ करोड़ ८५ लाख दी गई है। इस तरह से २ करोड़ २ लाख ४५ हजार छात्र लाभान्वित हुआ है। दसवीं कक्षा तक करीब ३ करोड़ ३४ लाख रुपये की व्यवस्था तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत है। जिसमें ३ करोड़ १२ लाख अनुसूचित जातियों के लिये थे और २२ लाख पिछड़ी हुई जातियों के थे, जो कि आय के आधार पर उन को दिया गया। इस तरह से हम देखते हैं कि १९६१–६२ से १९६५–६६ तक हरिजनों पर स्टेट और सेन्टर का कुल मिला कर ४ करोड़ ५ लाख रु० खर्च किया गया जिसमें करीब १ लाख ५०० विद्यार्थी लाभान्वित हुए। मतलब यह है कि छात्रों को वजीफे के रूप में वितरित किया गया।

इस तरह से पिछड़ी हुई जातियां जो पिछड़े वर्ग के आधार पर, यानी स्टेट में हमारे यहां जो आधार माना गया है वह जातियों के आधार पर माना गया है जिसे अगर माननीय सदस्य देखें, हरिजन कल्याण विभाग की योजनाओं का जो सिंहावलोकन १९६५–६६ का है, उसमें करीब ५८ जातियां हैं जिसमें से ३७ हिन्दू हैं और २१ मुसलमान हैं। इस तरह से हम देखते हैं १९६१–६२ से लेकर १९६५–६६ तक ६८ लाख रु० खर्च किये गये जिस से १९ हजार छात्रों को फायदा हुआ। ६८ लाख रु० में से २२ लाख रु० सेन्टर के हैं और बाकी रुपया स्टेट के शामिल हैं। इस तरह से हरिजन छात्र जो हैं उन्हें दर्जा १ से लेकर विश्वविद्यालय तक निशुल्क शिक्षा दी जाती है। लेकिन जो फीस का नुक्सान होता है, हरिजन छात्रों को पढ़ाने के लिए जो फीस दी जाती है वह फीस उन स्कूलों को रिइम्बर्स की जाती है। इस तरह से १९६१–६२ से लेकर १९६५–६६ तक करीब २ करोड़ ५५ लाख रु० व्यय हुए, जिस में ४ करोड़ ६४ लाख छात्र लाभान्वित हुए हैं।

मैं अब अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर अधिक समय लूंगा तो माननीय सदस्यों को समय नहीं मिलेगा। इस तरह से १९६६–६७ में शेड्यूल्ड कास्ट्स पर नान-प्लान्ड और प्लान्ड दोनों को लेकर के १ करोड़ ८५ लाख रुपये खर्च किये जायेंगे। इस तरह से बैकवर्ड क्लासेज पर ३८ लाख २ हजार रुपया खर्च किया जायगा। ड्राइव्स पर २७ लाख रुपया खर्च किया जायगा। मिसलेनियस जो खर्च होगा वह १४ लाख रुपया खर्च होगा। इस तरह से यह २ करोड़ ६५ लाख रुपया ७६ हजार की व्यवस्था १९६६–६७ में की गई है। इस तरह से मैंने यह ब्रेक अप माननीय सदस्यों के सामने रखा है।

परिगणित जाति पर १९६५–६६ में करीब ९२ लाख रुपया खर्च किया गया और २५ हजार विद्यार्थियों ने वजीफा पाया। इसी तरह से बैकवर्ड क्लासेज पर गवर्नमेंट आफ इंडिया के फंड को मिला कर और स्टेट के फंड को मिलाकर करीब १४ लाख २६ हजार रुपया खर्च हुआ। इसमें करीब ५,००८ विद्यार्थी हैं जो बैकवर्ड क्लासेज का वजीफा पाये हैं। बैकवर्ड क्लास के लिये गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से जो वजीफा मिला आमदनी के तौर पर वह ८०४ विद्यार्थी पाये और पिछड़े जाति के स्टेट फंड से रुपया दिया वह ४२०४ विद्यार्थी पाये हैं। इसी तरह से अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की संख्या में पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो वृद्धि हुई है, उसके आंकड़े भी मैं हाउस के सामने रखता।

चाहता हूं जिससे उन को आइडिया हो जाय और बहस करने में आसानी हो। वह इस प्रकार है :—

शिक्षा स्तर	पहली योजना १९५१–५२	दूसरी योजना १९५६–५७	तीसरी योजना १९६१–६२
	रु०	रु०	रु०
१–प्राथमिक शिक्षा कक्षा १ से ५ ..	४,६०,०००	५,६५,०००	६,४३,४७८
२–जू० हा० स्कूल कक्षा ६ से ८	५९,४३०	६७,१९७	७०,०२६
३–हायर सेकेन्डरी कक्षा ९ से १२ ..	८२,६५४	८७,५९५	९२,२८३
४–ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट ..	१३,४०	४,३५३	४,९०१
५–कानून	९	१७	१८
६–प्राविधिक (स्वास्थ्य तथा टैक्नीकल) ..	८७०	१,२६०	२,०३२
७–अन्य	५,८२७	७,०८१	८,००२
योग ..	६,१०,१३०	७,३३,३२५	८,२०,७४०

इस तरह से कुल विद्यार्थियों की संख्या करीब ९ लाख हो गई। तीसरी योजना के प्रारम्भ में और इस वक्त हम समझते हैं कि कक्षा १ से लेकर यूनिवर्सिटी स्टेज तक विद्यार्थियों की संख्या १३ लाख हो गई है। इस तरह से जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है परिगणित जाति की और बैकवर्ड क्लासेज के बारे में, डिनोटिफाइड ट्राइब्स, अनुसूचित जातियों के बारे में अलग-अलग आंकड़े देना चाहता हूं क्योंकि बजट के अन्दर जो प्राविजन किया गया है इन जातियों को अलग-अलग दिया गया है। इसलिये यह उचित होगा कि इनके बारे में अलग-अलग आंकड़े यहां दे दिये जांय। अनुसूचित जनजातियों के लिये दर्जा ९ से १० तक के विद्यार्थी जो साइंस ले कर पढ़ते हैं, विज्ञान की शिक्षा लेते हैं उन सभी विद्यार्थियों को वजीफा मिलता है। इन सब के लिये जो इस बजट में दिया हुआ है वह यह है कि प्राविधिक शिक्षा के लिये इनको २० लाख १० हजार रुपया दिया जायगा। तो इस तरह से इसमें विज्ञान और प्राविधिक शिक्षा लेने वालों की प्राथमिकता है। इसी तरह से प्राविधिक शिक्षा के लिये करीब एक लाख रुपये की व्यवस्था है, जिसमें से ५० फी सदी सेन्ट्रल गवर्नमेंट से आएगा और बाकी स्टेट का रुपया होगा। इसी तरह से सातवीं से लेकर १०वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की फीस के रिएम्बर्समेंट के लिये १० लाख रुपये की आवश्यकता है। पुस्तकालयों और वाचनालयों में तरक्की के लिये जो रुपया है वह एक लाख ६८ हजार के करीब रखा गया है। बहुत से परिगणित जाति के छात्र इंजीनियरिंग और मेडिकल क्लासेज में एडमीशन लेते हैं, उन छात्रों को आपरेटसों की कमी के कारण बड़ी परेशानी होती है। लेकिन अब जो इंजीनियरिंग और मेडिसिन में प्रवेश लेंगे, तो उनके लिये आपरेटसों की व्यवस्था करने के लिये करीब २५ हजार रुपये की व्यवस्था की गयी है। जिसमें से ३०० से लेकर ५०० रुपया तक देने की एक छात्र के लिये व्यवस्था की गयी है, जिससे कि वह आपरेटस खरीद सकें और उन्हें कोई दिक्कत न हो। इसी तरह से अधिष्ठाता महोदय, मैं आप की आज्ञा से कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में तृतीय पंचवर्षीय योजना में १२ लाख ८० हजार रुपये की व्यवस्था की गयी थी, जिससे १२४ होस्टल्स इस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बने हैं। छात्रों के साथ साथ छात्राओं की संख्या भी अब इस ओर बढ़ती जाती है। छात्रों के तो होस्टल्स हैं, लेकिन जो छात्राएं परिगणित या हरिजन जातियों की हैं, उन के लिये छात्रावास की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसको देखते हुए अब नये बजट में इस विषय पर २ लाख २५ हजार रुपये की व्यवस्था मैंने की है, जिससे

[डाक्टर सीताराम]

३ छात्रावास बालिकाओं के लिये कवाल टाउन्स में बनेंगे। एक-एक होस्टल पर ७५-७५ हजार रुपया खर्च होंगे।

इसी प्रकार से पिछड़ी हुई जातियों पर जैसा कि मैंने बताया है, केन्द्रीय सरकार से तो रुपया मिलता ही है, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेन्ट की तरफ से पहले ११ लाख रुपये की व्यवस्था थी, लेकिन इस साल के बजट में उस मद पर १९ लाख ५६ हजार रुपये की व्यवस्था की गयी है। इस तरह से ८ लाख ५६ हजार रुपये की इस कार्य के लिये इस बजट में वृद्धि हुई है, जिससे उनमें शिक्षा को अधिक से अधिक प्रसार हो सके।

उसी तरह से विमुक्त और जनजातियों के लिये ५२ हजार रुपये की व्यवस्था जो नवीं दसवीं कक्षाओं में विज्ञान की शिक्षा लेकर पढ़ते हैं, उनके लिये व्यवस्था है। इसी तरह हाई स्कूल से पहले के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिये १ लाख रुपया की व्यवस्था है। अब तक इस प्रदेश में करीब ७ विमुक्त जातियों के लिये आश्रम टाइप स्कूलों की व्यवस्था थी, इस साल ५ की व्यवस्था और की गयी है। यह आश्रम टाइप स्कूल गोरखपुर, हरिद्वार आदि नगरों में थे। लखनऊ में जो था वह केवल बालिकाओं के लिये ही थी। अब यह सब अपग्रेड किये जा रहे हैं। नवीं कक्षा से भी इस साल से वह हो जाएगा। फिर ५ हम नये आश्रम टाइप स्कूल और खोल रहे हैं जो कि मथुरा, गोंडा, झांसी, मुजफ्फरनगर और प्रतापगढ़ में खोले जायेंगे, जिनके लिये ३ लाख ६७ हजार रुपये के करीब व्यवस्था इस बजट में की गयी है। केन्द्रीय सरकार सेन्ट परसेन्ट देती है प्रान्तीय सरकार को। जो ३ होस्टल्स हरिजन गर्ल्स के के लिये कवाल टाउन्स में खुलेंगे, उनके लिये सौ फीसदी रुपया केन्द्रीय सरकार देगी। उसी तरह से प्राविधिक प्रशिक्षण के लिये २५ रुपये के हिसाब से ५० हजार रुपये की व्यवस्था है। पूर्व मैट्रिक क्लासों में विमुक्त जन जातियों को छात्रवृत्ति के लिये १ लाख ८१ हजार रुपये की व्यवस्था है। अनुसूचित जातियों के लिये बजट में ३ लाख ८० हजार रुपये की छात्रवृत्ति का प्राविधान है। इसी तरह से ऐग्रीकल्चर की तरक्की के लिये हरिजनों के लिये १ लाख रुपये की व्यवस्था है जिससे वह भूमि की तरक्की कर सकें, खाद व बैल वगैरह सब खरीद सकें। उसी तरह से विमुक्त जनजातियों के लिये ३ लाख रुपये बैल, बीज, खाद इत्यादि खरीदने के लिये हैं। इसी प्रकार से विमुक्त जनजातियों के पुनर्वासन के लिये ४ लाख रुपये की व्यवस्था है जिसमें ५ हजार रुपये एक फेमिली पर खर्च होंगे और इस तरह से ८० फेमिलीज के लिये यह रुपया है। उसी तरह से अनुसूचित जातियों के लिये ५० हजार रुपये का प्राविधान ऐग्रीकल्चर स्कीम के लिये है। हरिजनों के लिये और खासकर के मेहतर भाइयों के लिये ५ लाख रुपये की व्यवस्था है, इसमें से १५ सौ रुपये प्रतिघर के हिसाब से उनको दिया जायगा। इसी तरह से ५ लाख रुपये साइटस के लिये मेहतर भाइयों के लिये रखा गया है। आपने देखा होगा कि मेहतर भाई शहरों में अपने हाथों से गंदगी उठाते हैं। यह जनप्रिय सरकार के लिये शोभनीय नहीं है। इसलिये सरकार ने ५ लाख ७० हजार रुपये की रकम मेहतर भाइयों के लिये उन सामानों को देने के लिये रखी है, जिससे वे हाथ से वह काम न कर के उन औजारों से करें। इसके अलावा हरिजनों के लिये इंडस्ट्रीज में ३ लाख ३४ हजार रुपये रखे गये हैं। विमुक्त जनजातियों के लिये रोजगार के हेतु ३ लाख रुपये की व्यवस्था है। इसी तरह से हरिजनों के लिये शुद्ध पेयजल के लिये ५ लाख ५५ हजार रुपये की व्यवस्था की गयी है। यही चन्द चीजों में हरिजनों, पिछड़ी जातियों, विमुक्त जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता था।

अब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पर आता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

उसको तो आपने काफी काट दिया है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय ऊदल जी, आप सीधे बातें न करें। माननीय मंत्री जी अपना भाषण जारी रखें।

डाक्टर सीताराम—

कुछ रुपये जरूर काटे गये हैं, लेकिन इकानामी मेजर्स में कुछ करना जरूरी था। खैर, विकलांग व्यक्तियों के लिये १५ रुपये से ४० रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से देने के लिये ४० हजार रुपये खर्च होंगे। इससे जो छात्र मूक बधिर और अंध विद्यालयों में पढ़ रहे हैं उनको कुछ रुपया देने के लिये रकम पहले थोड़ी सी लेकिन अब ४० हजार रुपये का इस बजट में प्राविधान किया गया है। ग्राम सेविकाओं की ट्रेनिंग के सम्बन्ध में दूसरे राज्यों में प्रत्येक को अब तक ५० रुपये महीने भत्ता मिलता था लेकिन हमारे प्रदेश में ३५ रुपये मिलता था। उसको बढ़ाकर ४५ रुपया किया गया है यानी १० रुपये उनके प्रशिक्षण के लिये बढ़ाया गया है। इसके लिये इसमें ४० हजार रुपये की व्यवस्था है। महिला मंडलों की सहायता करने के लिये इस बजट में प्राविधान किया गया है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रान्त के ७१ ब्लाक्स में यह अब तक था अब २६ ब्लाक्स में यह और हो रहा है। यह यूनेस्को की एक स्कीम के अन्तर्गत है जिसका सौ फीसदी रुपया यूनीसेफ से मिलता है। इसपर ४५ हजार रुपया खर्च करने के लिये व्यवस्था है। इसमें से महिला मंडलों को ग्रान्ट दी जायगी। यह पोल्टरी कीपिंग, बागवानी और किचन गार्डन के लिये यह रुपया दिया जायगा। इसमें से उन महिलाओं को जिनके बच्चा होने वाला है या जो अन्डरनरिश्ड हैं उन के लिये इसमें से व्यवस्था की जायगी। इसके अलावा ५० हजार रुपये की व्यवस्था की गयी है जिससे एक होम इस्टैब्लिश्ड होगा जिसमें वह बच्चे रखे जायेंगे जो वार से पीड़ित परिवार के हैं या जो जो महिलायें डेस्टीटयूट हैं उनके बच्चे रखे जायंगे। उनके लिये ५० हजार रुपये का प्राविधान है जिसमें ५०, ५० परसेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेन्ट द्वारा क ट्रीब्यूट किया जायगा। इसके अलावा फिजिकली हैंडीकैप्ड परसन्स के लिये ३० हजार रुपये हैं अर्थात जिनके अंग टूटे हैं या जो अपंग हैं। तो अब तक हमारे पास सोशल वेलफेयर में इस तरह का प्राविधान नहीं था, लेकिन अब यह नई रकम रखी गयी है। इसके अलावा सन् १९६६–६७ के बजट में ३० हजार रुपये की व्यवस्था ऐसे बच्चों के लिये है जो मानसिक रूप से अविकसित हैं। कुछ बच्चे १० या १२ साल के हैं लेकिन उनकी बुद्धि २ साल जैसी होती है। ऐसा देखा गया है कि उनके साइकालोजिकल ट्रीटमेंट के लिये रुपये की आवश्यकता होती है। तो इस तरह का एक होम खुलेगा जिस पर ३० हजार रुपये की व्यवस्था है। अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जितने आइटम्स हैं यह सब नये हैं।

इस तरह से ग्रामीण महिलाओं में नेतृत्व की भावना जागृत करने के लिये कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग तथा गृह सम्बन्धी कार्य में उन्हें दक्ष बनाने के हेतु इस बजट में २ लाख २९ हजार रुपये का इसमें प्राविधान है। इन्हीं चन्द शब्दों के बाद मैं यह कहना चाहता हूं जहां तक हरिजन बजट का सवाल है उस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने कई बार इस बात को उठाया था कि हरिजनों का रुपया ब्लाक लेविल पर रखा जाता है और वह खर्च नहीं होता है। यह बिलकुल सत्य था। इसके लिये एक कमेटी माननीय आचार्य जुगलकिशोर की अध्यक्षता में बनायी गयी थी और उसने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट सितम्बर के महीने में दी थी जिस पर शासन विचार कर चुका है और विचार करने के पश्चात् सदन में माननीय सदस्य के प्रश्नोत्तर में बताया गया है कि ब्लाक में हरिजनों के उद्योग, कुटीर उद्योग और कुएं बनाने के लिये जितने रुपये थे वह अब जिलों में निहित कर दिये गये। यानी जिला परिषद् के अध्यक्ष के यहां निहित कर दी गयी अब माननीय सदस्य जैसे कि राज्यादेश निकल गया है उसके अनुसार एक कमेटी होगी जिसमें १३, १४ तथा १५ सदस्य होंगे, वे लोग अपनी राय देकर रुपये को वितरित करेंगे। बाकी फाइनल रिपोर्ट जैसे शिक्षा के बारे में और चीजों के बारे में वह ३१ मार्च तक

[डाक्टर सीताराम]
आ जायगी। उसके बाद और कदम उठाएंगे। इन चन्द शब्दों के साथ में यह बजट हाउस के सामने प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि हाउस उस पर विचार करेगा।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

मैं पूछना चाहता हूं कि अन्य पिछड़ी कौमें हैं, उनमें कितने लड़कों ने स्कालरशिप के लिए प्रार्थना-पत्र दिया और कितनों को मिली ?

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

१८ साल से सुविधाओं की किताबें छप रही हैं, लेकिन असली प्रश्न यह है कि अभी तक १९६५–६६ का वजीफा नहीं दे पाये।

*श्री जगन्नाथ राव (जिल जौनपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों पर अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २९ तथा २८ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने इस प्रदेश के अनेक जिलों में भ्रमण करते हुए समाज कल्याण की योजनाओं के कार्य को देखा और लगभग ४५ अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करके जानना चाहा कि समाज कल्याण का काम किस स्तर तक चल रहा है और किस प्रकार से पैसा व्यय हो रहा है। मैं उन सारी बातों को मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। समाज कल्याण विभाग का उद्देश्य यह है कि जो वर्ग सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से पीड़ित हैं, उनको इस प्रकार की सुविधाएं दी जायं जिससे वे आगे बढ़ सकें और मनुष्य-मनुष्य के बीच में छुवाछूत और ऊंच नीच का भाव पैदा है इसको मिटाया जाय। साथ ही साथ उनको इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जायं जिससे अपना जीवन यापन समान रूप से कर सकें। लेकिन मंत्री जी ने जो ग्रांट पेश किया उससे मुझे निराशा हुई। उन्होंने इस विभाग में ९० लाख ३४ हजार रुपया कम कर दिया। मंत्री जी ने कहा कि प्राइमरी शिक्षा में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ी जातियों के छात्रों की संख्या बढ़ी है। उनको छात्रवृत्ति देना और छात्रावास का प्रबन्ध करना अपेक्षित था परन्तु रुपये की कमी के कारण इसी विभाग में कटौती करने की आवश्यकता पड़ी।

मैंने इस विभाग की चीजों को समझने का प्रयत्न किया और उनमें से जो सब से आवश्यक बातें हैं, उनकी तरफ इस विभाग का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सब से पहले हमें यह चाहिए कि यह जो पिछड़े लोग हैं, भूखे हैं, नंगे हैं, इनको भूमि वितरण में प्राथमिकता दी जाय। दूसरे इनके परम्परागत धंधों और हस्तकलाओं को विकसित किया जाय। तीसरे, इनके लिये मकानों की व्यवस्था की जाय। चौथे इनको शिक्षा में विशेष सुविधाएं दी जायं। जहां तक भूमि वितरण में प्राथमिकता देने का प्रश्न है इस सदन में प्रश्नों के उत्तरों में बार-बार मंत्रियों ने कहा कि जितनी भूमि गांव समाज द्वारा प्राप्त हुई वह हरिजनों और पिछड़ी जातियों को नहीं मिली। गांव सभापतियों ने भिन्न-भिन्न रूप से पैसा ले कर दे दिया। दूसरी बात यह है कि चकबन्दी में, जिन लोगों के मकान नहीं हैं, जो लोग नालों और नलियों के किनारे रहते हैं, उनके लिये आबादी का भाग निकाल देने की व्यवस्था थी। परन्तु अधिकांशतः यह गरीब अब भी अपनी झोपड़ियों में दुर्दशा भोग रहे हैं। विमुक्त जातियों के लिये अब भी कोई व्यवस्था नहीं है। दो जिलों जौनपुर और वाराणसी को मैं जानता हूं वहां मुसहर जाति के लोग अब भी झोपड़ियों में रहते हैं। उनके लिए एक ही व्यवस्था है कि जब जिले की पुलिस को जेल के भंगी वगैरह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की जरूरत पड़ती है तो इनको निरपराध पकड़ कर ले जाते हैं क्योंकि उनकी कोई सहायता करने वाला नहीं है और उनको सजा दिला देती है। अनुसूचित जातियों के पुनर्वासन की योजना के सम्बन्ध में सरकार ने १९६४ में बताया कि इस बात की शिकायत आ रही है कि गांव समाजों ने हरिजनों की उस ढंग से और उस सीमा तक सहायता नहीं की जिस ढंग से और जितनी सीमा तक करना चाहिए था। इन शिकायतों को दूर करने के उपायों पर सरकार विचार कर रही है। जब आप के सामने यह रिपोर्ट आयी थी, १९६४ से ले कर आज तक इस कार्य में असफलता रही। हरिजन और पिछड़ी जातियों को भूमि उपलब्ध नहीं करायी जा सकी, जिससे वे गांवों में रह सकें।

दूसरी बात मैंने यह कही कि परम्परागत धंधों और हस्तकला को अधिक विकसित किया जाय। इस दिशा में कहा गया कि हर परिवार को पांच सौ रुपये और हर सरकारी समिति को पांच हजार रुपये देंगे। लेकिन इसमें आप को सफलता नहीं मिली। गांवों में हरिजनों के परम्परागत धंधे सहायता न मिलने के कारण वहीं पड़े हुये हैं। सरकार उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने में असफल रही। मेरा सुझाव है कि आप उनके पैत्रिक व्यवसायों और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये अधिक धन उनके पास तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। सरकार अनुदान के रूप में धन स्वीकार करती है लेकिन वह रुपया उन तक नहीं पहुंच पाता। मेरे जिले में लोग सिलाई का काम करते हैं। जिले की समिति ने पैसा स्वीकार करवा दिया लेकिन फिर भी चमड़े का काम करने वालों को सहायता इसलिए नहीं मिल पायी क्योंकि उनके पास जमानत देने के लिए कोई नहीं था। दो हजार रुपया स्वीकार होने के बाद भी उनको नहीं मिल सका। यह जिला अधिकारियों के पास जाने में हिचकते हैं। नेता लोग खाने के झगड़े में पड़े रहते हैं। कौन उनकी दिक्कतों को दूर करें। आपने कहा कि हम लघु सिंचाई के लिये सहायता दे रहे हैं। इसमें दिक्कत यह है कि पहले आप कहते हैं कि लघु सिंचाई के लिये कूप निर्माण हेतु दी जाने वाली सहायता का पहले ऋण प्राप्त कर लें। और ऋण प्राप्त करने के बाद आप उनको सहायता देते हैं। तो यह प्राविधान उन के लिये बहुत कठिन है। विकास क्षेत्रों से वह ऋण प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस संबंध में आपने क्या सुविधायें प्रदान की हैं वह कृपा कर आप बतावें।

तीसरी आवश्यकता उनको सुन्दर और स्वच्छ मकानों की है। पिछले साल आप उन को मकान के लिये ७५० रुपया देते थे' इस वर्ष आप उन को १०००. रुपया देने जा रहे है। लेकिन इस मंहगाई को देखते हुए यह अनुदान पर्याप्त नहीं है और आपके नक्शे के मुताबिक इस अनुदान से मकान बन नहीं पा रहे है। आप कहते है कि गृह निर्माण के लिये भूमि नहीं मिलती, इसलिये आप उन के लिये उद्योग धंधे नहीं चला सकते। यह आपके विभाग और अफसरों की उदासीनता है। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। १९६१ से १९६४ तक सरकार ने अंतरिम जिला परिषदों को १८.५८ लाख रुपया गृह निर्माण कार्य के लिये स्वीकृत किया था, जिस को उन संस्थाओं ने लेकर अपने व्यक्तिगत खाते में डाल दिया और इस रुपये में से केवल ३३ प्रतिशत रुपये का ही उपयोग किया जा है। बाकी ६६ प्रतिशत रुपये का उपयोग नहीं किया गया। ४७ प्रतिशत रुपया अलग अलग लाभार्थियों को वितरित भी नहीं किया गया और २० प्रतिशत रुपया अनुदान गृहीताओं के पास अनुपयोगी पड़ा हुआ है। लखनऊ में इस के लिये भूमि उपलब्ध हो गयी थी ४०,००० रुपया की, लेकिन उस के लिये आप ने कोई व्यवस्था नहीं की और २७,००० रुपये की नजूल की भूमि थी उस को भी आप खर्च नहीं कर सके। इस कारण आपने ८८ लाख रुपये का उपयोग ही नहीं किया। जो ६.२९ लाख रुपये की धनराशि इस विषय में दी गयी है उसके लिये आप कहते है कि उस का उपयोग कर लिया गया है, लेकिन उस के प्रमाणपत्र अभी नहीं मिल पाये है। इसके अतिरिक्त जो निर्माण स्थल खरीदा गया उन के विषय में भी उन के पास कोई आंकड़े नहीं हैं कि उस में किस सीमा तक गृहों तथा शेडों का निर्माण किया गया।

[श्री जगन्नाथ राव]

इसी प्रकार अनुसूचित तथा विमुक्त जातियों के लिये तथा भूमिहीन व्यक्तियों के लिये आप की तीन योजनायें हैं कि एक परिवार को ५ एकड़ भूमि दी जायगी, दूसरी कृषि उपकरण के लिये व्यवस्था की जाने के बारे में है, और तीसरी गृह निर्माण के लिये है। १९६४–६५ में इसके लिये २९.२ लाख रुपये की व्यवस्था थी जिस में से केवल १८ प्रतिशत का उपयोग किया गया, और ७६ प्रतिशत रुपया पड़ा रहा जिसका उपयोग नहीं किया जा सका। उस रुपये का आवश्यक भुगतान भी नहीं किया गया और १.७ लाख रुपया यानी ६ प्रतिशत उन के पास अनुपयोगी पड़ा रहा। इस में आप ने ४५ परिवारों को बसाने की व्यवस्था की थी उस में ७५ का टारगेट था, ४५ घर आप ने बनाये। लेकिन उसी अनुदान में १०,००० रुपया इलाहाबाद में जिला नियोजन कार्यालय के पंचायत निरीक्षक द्वारा दुरुपयोग किया गया है। इस का आप पता लगायें।

इसके अतिरिक्त आप ने पेय जल की व्यवस्था करने की बात कही है। वे योग कुंओं के अभाव में नालों तथा तालाबों का पानी पीते रहे हैं। १९५५ से आप की यह समाज कल्याण की योजना चल रही है और अभी आपने कहा कि हम इस के लिये काफी रुपया दे रहे हैं। १००० रुपया सरकार दे रही है और बाकी रुपया अनुदान गृहीता को लगाना चाहिये। आप को यह जान कर दुख होगा कि हरिजन परिवारों के लिये २०० रुपया अपने पास से लगाना संभव नहीं है और इसीलिये उन के लिये पेय जल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हैंडपाइप के लिये व्यवस्था है कि २५ से ७५ रुपये तक देगा पड़ेगा तब लगेंगे। लेकिन वह इतना रुपया कैसे इकट्ठा कर पायेंगे। होता यह है कि दिखाने के लिये एक दो महीने के लिये हैंड पाइप लग जाते हैं। बी०डी०ओ० ने मुझे बताया कि ग्राम सभा के सभापति उखाड़ ले गये और अपने दरवाजे पर लगा दिया। तो हरिजनों की भूख प्यास तृप्त नहीं हो रही है, कागज में इस प्रकार से हैंडपाइप बनते चले जा रहे हैं, कागज पर जल के कुयें बनते चले जा रहे हैं। बनते बिलकुल नहीं हैं मैं यह नहीं कहता, लेकिन दुर्लक्ष्य होता है। इस दिशा में जितना पैसा खर्च होना चाहिये, उतना पहुंचता नहीं है और उनकी स्थिति ऐसी ही पड़ी हुई है।

आपने कहा कि अब तो विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और विद्यार्थियों को शिक्षा में विशेष सुविधायें प्रदान कर रहे हैं। एक महीने पूर्व बताया गया कि हम अनुसूचित जातियों के छात्रों को छात्रवेतन देते हैं। यह इसलिये देते हैं कि ये विद्यार्थी जब एडमीशन कराते हैं तो पैसा नहीं रहता पुस्तकें वगैरह खरीदने के लिये और अनेक कठिनाइयां रहती हैं। जिलों में जो समितियां बनी बैठी हैं, वह जनवरी तक वह रुपया उनके लिये उपलब्ध नहीं करा सकीं जिससे बहुत से विद्यार्थी जिन्होंने जुलाई में प्रवेश ले लिया उनको स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि सितम्बर तक रुपया न मिल सका। तो समिति को सरकार आदेश दे दे कि अगस्त सितम्बर महीने के पूर्व छात्रों को जो वजीफे दिये जाते हैं, वह उनको मिल जाया करें।

श्री अधिष्ठाता—

आपका दो मिनट समय और है।

श्री जगन्नाथ राव—

मुझे १० मिनट और दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

आम तौर से १५ मिनट दिया जाता है। ५ मिनट आप और बोलिये। अन्त में भी आपको समय मिलेगा।

श्री जगन्नाथ राव—

तो छात्र वेतन के बारे में जो १०वीं से ऊपर के छात्रों के लिये है आपने बतलाया कि वह रिलीज नहीं हुआ। इस संबंध में मुझे यह कहना है कि १० रुपये तक जिनकी मासिक आमदनी

है उनको दिया गया है। जो गरीब हैं, जैसे एक मजदूर है, चपरासी है उसके लड़के को भी स्कालरशिप इसलिये नहीं मिल रहा है कि उसको ५० रुपये महीने मिलते हैं। इसलिये जो बड़े लोग प्रभावी हैं और गलत ढंग से प्रभावित कर रहे हैं वह सारे स्कालरशिप अपने लड़कों को दिलवा रहे हैं। इसलिये यह विशेष सुविधा किस माने में है, इसको स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

एक मंत्री के विवेकानुदान के संबंध में जो प्रश्न किया गया था उसके उत्तर में जो बतलाया गया, उसको सुनकर दुख हुआ कि सारा प्रदेश एक तरफ और ७३ प्रतिशत बलिया में दिया गया सारा प्रदेश सूखा रह गया। प्रौढ़ पाठशालाओं के बारे में जब मैं कुछ लोगों को साथ लेकर और रात में लालटेन लेकर देखने गया तो जिला हरिजन अधिकारी, देवरिया ने बतलाया कि बहुत सी चलती हैं। मैंने दो तीन पाठशालायें देखीं। अव्वल तो पाठशाला ही नहीं थी और अगर थी भी तो लड़के कहीं से बुलवा लिये और नाम कुछ लिख दिया, दूसरे गांव के लड़के और रजिस्टर में सब नाम फर्जी। विष्णुपुर में विमुक्त जातियों के लिये ४५ छात्रों के लिये खाने पीने और निवास के नाम पर आप पैसा देते हैं। और वहां पर फर्जी कागजात बनाकर लड़कों के नाम लिख रखे हैं। गोरखपुर में एक बिशुनपुरा है वहां पर भी इसी तरह का एक स्कूल बनाकर एक-एक लड़के पर काफी रुपया खर्च दिखाया गया है। मैंने जब पूछा तो कहा गया कि यह तो हम प्रचार करने के लिये चला रहे हैं।

आप जो यह हरिजनों के लिये प्रारम्भिक पाठशालायें चला रहे हैं इनकी कोई जरूरत नहीं है इन्हें तोड़ दिया जाय क्योंकि जिलापरिषदों द्वारा भी यह स्कूल चलाये जाते हैं। एक जगह आपका स्कूल है, उसके २ फर्लांग पर जिला परिषद का स्कूल है। तो आप अपने इन स्कूलों को तोड़ दीजिये।

अब मैं समाज कल्याण के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। रक्षागृह के नाम पर काफी रुपया सरकार खर्च कर रही है और प्रदेश में करीब १५ रक्षा गृह चल रहे हैं। इलाहाबाद के रक्षागृह में मैंने देखा, वहां पर कोई महिला नहीं थी, देहरादून के रक्षागृह में भी मैंने देखा और गोरखपुर के रक्षागृह में भी मैंने देखा वहां यह खाली पड़े रहते हैं और सरकार का पैसा व्यर्थ में खर्च हो रहा है। मैं यह नहीं कहता कि इनकी आवश्यकता नहीं है, यह योजना अच्छी है मगर इनकी व्यवस्था ठीक प्रकार से होनी चाहिये। मिर्जापुर, हरद्वार तथा इटावा रक्षागृह भी मार्च ६२ से १९६३ तक करीब करीब खाली पड़े रहे। मिर्जापुर में एक महिला रही है, हरद्वार में १ से ३ तक रही हैं और इटावा में १ से ३० तक रही हैं। सरकार अपने १६ रक्षागृह पर प्रतिवर्ष लगभग ९७ हजार रुपया खर्च कर रही है, और वहां रहने वालों की संख्या कुछ भी नहीं है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये।

मुरादाबाद जिले में बसे हुए भूतपूर्व अपराधिक जन जातियों की अपनी भूमि को सिंचाई सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से २ नलकूपों के निर्माण के लिये ४ लाख ७५ हजार रुपये स्वीकृत हुये और स्वीकृतियां प्रदान करने के बाद ही उसे कोषागार से निकाल भी लिया गया, किन्तु ७ वर्ष के बाद भी अभी तक एक नलकूप चालू नहीं हुआ, दूसरा १० वर्ष के बाद चालू किया गया।

कांठ, बस्ती में जिला नियोजन अधिकारी ने १९५७ में २७,५०० रुपये की धनराशि कोषागार से निकाली। परन्तु इससे कोई निर्माण का कार्य नहीं किया गया बाद में ११ कुओं के निर्माण के लिये पुनरीक्षित कर दिया गया। पर अभी तक कुओं का निर्माण प्रारम्भ ही किया गया। १९६२ में ९ पक्के कुयें गलाने की व्यवस्था की गयी, परन्तु ९ में से एक भी कुवां नहीं बना।

[श्री जगन्नाथ राव]

अभ्यस्त अपराधियों को सुधारने के लिये एक बस्ती की सन् १९६२ में व्यवस्था की गयी जेल विभाग, लखनऊ, ने अभ्यस्त अपराधियों के लिये एक बस्ती स्थापित की जो ४३३ एकड़ भूमि में, जो कृषि योग्य थी, स्थापित की गयी सन् ५७ में । इस बस्ती को चलाने के लिये एक मैनेजर, एक औषधिक, २ निम्न श्रेणी के कर्मचारी, एक मुख्य प्रहरी, ३ प्रहरी नियुक्त किये गये। सन् ६१ तक इस अधिनियम की शर्तों के अनुसार इस बस्ती की स्थापना के संबंध में कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गयी। जब से यह बस्ती स्थापित हुई थी तब से कोई भी अभ्यस्त अपराधी उसमें बसने के लिये नहीं आया। अतः सरकार ने इसे १९६४ में बन्द कर दिया। वह भूमि और भवन हरिजन छात्रों के लिये एक बहुधन्धी संस्था स्थापित करने हेतु हरिजन सहायक विभाग को लौटायी गयी। मार्च, १९५७ से अप्रैल, १९६४ तक इस बस्ती पर ०.८८ लाख रुपये व्यय किये गये। ०.५५ लाख कर्मचारियों आदि पर तथा ०.३३ भवन की मरम्मत आदि पर। यह सब बेकार गया। इसके अतिरिक्त इस बस्ती से सम्बद्ध जो ४३३ एकड़ भूमि थी उस पर कृषि नहीं की गयी। वह बेकार पड़ी रही।

ग्राम सेविकाओं के संबंध में भी कुछ निवेदन कर दूं। मैं इनके प्रशिक्षण केन्द्रों को देखने भी गया। माध्यवर, उनकी बड़ी दुर्दशा करते हैं। वह हाथ फैलाकार कहती हैं कि हमारा उद्धार इस तरह होगा कि हमें कहीं अध्यापिका कर दीजिये। आप ग्राम सेविकाओं की ट्रेनिंग में जो रुपया खर्च करते हैं, जो अब ३५ रु० से ४५ रु० कर दिया गया है, वह न खर्च करके इन्हें प्राइमरी स्कूलों में यदि अध्यापक बना दिया जाय तो वहां बड़ा अच्छा काम करेंगी। एक बात मैं अन्तिम रूप से कहकर समाप्त करूंगा कि समाज का स्तर नापने के लिये यह जो उठे हुए लोग हैं उन्हीं से इसके स्तर को मत नापिये। ये जो सब से नीचे स्थान पर हैं उनके जीवन स्तर से नापिये। उदाहरण स्वरूप, अगर आपने किसी आदमी की आमदनी को नापा कि वह एक हजार रुपये मासिक है और किसी मजदूर की दो या चार रुपये प्रतिदिन है। आप इसी से आमदनी को औसत निकालकर समाज का स्तर नाप ले तो यह गलत है। हमारा यह सिद्धान्त होना चाहिये कि ये मैले कुचैले और नंगे धड़ंगे जो लोग हैं, इनकी सहायता करने में इनको प्राथमिकता दें। इनके कष्टों को दूर करने के लिये साफ-सुथरे मकान, इनके बच्चों के पढ़ने के लिये सुविधायें, इनके बीबी बच्चों को मनुष्य की तरह जीवन यापन की सुविधा, इनके पैरों के बिवाइयों की मरहम पट्टी आदि काम यदि हम कर देंगे तो ही समाज कल्याण विभाग की उपयोगिता है। आपको इस दिशा में समाज कल्याण करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि जब आप प्रश्नों का उत्तर देने लेंगे तो इनका भी उत्तर देंगे। मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसी समिति बना दें कि जो रुपया आप दे रहे हैं उसका ठीक प्रकार से व्यय हो रहा है या नहीं और जिनके लिये रुपया दे रहे हैं उनके लिये वह लागकर हो रहा है या नहीं, इन सब बातों को देखें। इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सईद अहमद (जिला सहारनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने, जो महत्वपूर्ण बजट पेश है, उस पर मुझे बोलने का मौका दिया और मैं साथ-साथ ये भी अर्ज करूंगा कि माननीय जगन्नाथ राव जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, इससे उन्होंने हमदर्दी का सबूत नहीं दिया। क्योंकि यह एक ऐसा महकमा है जिसमें पैसा और ज्यादा मिलना चाहिये, आपने उलटे उसमें कटौती का प्रस्ताव पेश किया है। अधिष्ठाता महोदय, हमारे ऊपर उन महान नेताओं का बड़ा अहसान है जिनकी वजह से आज हम वैकवर्ड जाति के यहां बैठे हैं। इस माननीय सदन में बैठकर भाषण देते हैं, अपनी मांग रखते हैं, जिन्होंने हम एक जगह लाकर खड़ा कर दिया, उनका हमें अहसान मानना चाहिये। मुझे एक शेर याद आया जिसमें हरिजन कल्याण तथा समाज कल्याण का पूरा मतलब है। 'एक ही सफ में खड़े हो गये महमूद व अयाज न कोई बन्दा रहा और न कोई बन्दा नवाज।' इस देश में हरिजनों को बर्दाश्त नहीं किया जाता था, अगर उनकी

छाया भी पड़ जाती थी तो लोग यह महसूस करते थे कि नहाये नहीं तो अपवित्र हो गये। यह हमारे स्व० महात्मा गांधी जी का ही हम पर बड़ा अहसान रहा है। मुझे बड़ा दुःख होता है कि.... (व्यवधान) आप ड्रिंकिंग करना शुरू कर देते हो। आप जरा इत्मीनान के साथ सुनें।

श्री अध्यक्षता—

माफ़र जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यह बात अच्छी नहीं है। माननीय सईद मुजाहिद, आपसे भी आग्रह करूंगा कि अध्यक्षपीठ को एड्रेस करें।

श्री सईद अहमद—

हम अपने महान नेताओं का अहसान नहीं भूल सकते हैं। लेकिन हम गरीबों का भी उनके ऊपर कुछ अहसान है। वह ऐसा अहसान है जैसा कि एक बच्चा अपनी मां के पेट में नौ महीने रहे और वह बच्चा, अपनी मां को सारी उम्र गोद उठाये तो मां का यह अहसान पूरा नहीं कर सकता। जैसा कि मां ने बच्चे को नौ महीने अपने पेट में रखा। इसी तरह से अगर हम बैकवर्ड जाति वाले और हरिजन और जगह चले जाते तो हिन्दुस्तान से हिन्दुताई खत्म हो जाती। मालूम नहीं कि यहां का क्या होता और हमारे नेताओं का क्या होता। हमारे नेता भी जो कि सवर्ण जाति से ताल्लुक रखते हैं उन्होंने हमें ऊपर उठाया और उसका यह नतीजा निकला कि आज हम यहां बोल रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं।

उधर से यह कहा गया कि यह सरकार सोशलिज्म नहीं ला रही है। मैं सदन को बता देना चाहता हूं और उधर के मेम्बरान को भी बता देना चाहता हूं कि कोआपरेटिव सिस्टम हम केवल इसीलिये लाये हैं कि हम सब एक स्थान पर खड़े हो जावें। हिन्दुस्तान में पहले राजा नवाब रहते थे और अगर किसी विदेशी ने एक राजा को फतेह कर लिया तो बाकी जनता अपने आप ही बिना किसी लड़ाई झगड़े के अपना उसको राजा मान लेती थी उसका कारण यह था कि उनको बराबरी का दर्जा नहीं था और वे गुलामी की हैसियत से रहते थे। अब ऐसा नहीं हो सकता। कोआपरेटिव सिस्टम में यही खूबी है कि हर आदमी यह महसूस करने लगे कि गरीब अमीर सब बराबर हैं। अगर अब कोई विदेशी आता है तो हम हिम्मत रखते हैं कि हम एक-एक गज जमीन पर लड़ेंगे और यह साबित करके दिखावेंगे कि पिछड़ा वर्ग अन्सार क्या कर सकता है।

हमारे माननीय मंत्री जी और दीगर नेता चाहते हैं कि पिछड़ा वर्ग और शेड्यूल्ड कास्टस सब तरक्की करें। मुझे यह देखकर बड़ा दुख हुआ कि इस बजट में इस किताब में, यह लिखा हुआ है कि सेंटर से बैकवर्ड क्लासों के लिये इतना रुपया वजीफे के लिये मिला। लेकिन वह रुपया उनको दिया गया जो बैकवर्ड नहीं है। इसलिये मंत्री जी जांच करावें कि वह रुपया कहां गया, किन लोगों को दिया गया और माननीय कामराज जी और इन्दिरा जी को रिकमेन्ड करें कि सही मानों में यह रुपया बैकवर्ड क्लासेज को मिले। इसमें कोई शक नहीं चाहे किसी जाति का हो कमजोर कमजोर ही है, गरीब गरीब ही है। हमारी मंशा ये नहीं कि गरीब आदमी की सहायता न की जाय लेकिन पिछड़े वर्ग का रुपया उन्हीं को मिलना चाहिये। जो पिछड़े वर्ग के हों, आमदनी के हिसाब से रुपया दिया जाता है। ऐसे भी केसेज हैं कि किसी का बाप अमीर है या कलेक्टर है, उसकी डेथ हो गई, तो उसके बच्चे लिख देते हैं कि आमदनी निल, आमदनी कुछ नहीं। इस तरह वे वजीफे ले जाते हैं जो कि गरीब बैकवर्ड को ही मिलना चाहिये था। मेरी सरकार से नम्र निवेदन है कि वोकर सेक्शन के लिये बैकवर्ड की रकम से अलग रकम रखनी चाहिये, जिससे कि बैकवर्ड का रुपया अन्य बिरादरी को न दिया जाय जो बैकवर्ड न हो। फादर के रहते वे कुछ नहीं ले सकते थे लेकिन अब चूंकि फादर मर गया है तो

[श्री सईद अहमद]

फार्म में फादर इनकम का खाना वजीफ का होता है और दूसरे गार्जिन की इनकम का खाना नहीं होता अपनी आमदनी में जीरो दिखाते हैं चाहे उनके बाप ने लाखों रुपये की सपत्ति छोड़ी हो यह एक तमाशा बन गया है। वीकर सेक्शन के लिये मैं पुरजोर अलफाज में सिफारिश करता हूं कि उनके लिये रुपया अलग से रखें और उससे उन्हीं की सहायता की जाय। बैकवर्ड क्लासेज के सामने बहुत दिक्कतें हैं। गरीब आदमी केवल ५००-७०० रुपया इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंन्ट से परसनल बांड पर मांगता है कोई छोटा धंधा चलाने के लिये। लेकिन हमने सारे उत्तर प्रदेश में मालूम किया कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंन्ट से किसी को एक पैसा नहीं मिला है। बैकवर्ड के बजाय वह विभाग अपना कोटा पूरा करने के लिये लखपती को रुपया दे देता है जो लाखों की तादाद में रुपया मांगेगा। क्योंकि पूंजीपति आदमी सरकारी कर्मचारी को कुछ प्रतिशत देता है जिससे कि काफी तादाद में रुपया बन जाता है, और जितना रुपया होता है इंडस्ट्री आफिसर अपना रुपया पूरा दे देता है इस तरह से विभाग का कोटा जरूर पूरा हो जाता है, लेकिन गरीब आदमी वंचित रह जाता है और रुपया गरीबों को नहीं मिल पाता। हमारी सरकार ने वायदा किया था कि वह गरीब आदमी को ऊपर उठायेगी। इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इसे देखें और गरीब जरूरतमन्दों को भी रुपया मिले। अगर पिछड़ा तबका कमजोर रहता है तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। इसे हमारे पुराने नेता लोग भी मानते आये हैं। इसलिये मंत्री जी पिछड़े वर्ग की तरफ ध्यान देने की कृपा करें। हमारे देश में ५० फीसदी आबादी पिछड़े वर्ग की है। आपने कितना रुपया पिछड़े वर्गों के लोगों को दिया है? इसकी जरूर तुलना करें। महान नेताओं के स्वप्न धुंधले हो गये।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री नाथूराम शिक्षक—

व्यवस्था का प्रश्न है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि इलाहाबाद में ५० मील दूर तक सफर किया एक ब्लाक हरिजनों की समस्या को देखने के लिये, मुझे भी ले गये। इसे भी वह कह देते।

श्री अधिष्ठाता—

यह व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उसकी मंशा विभाग के कार्यों की आलोचना करना और सुझाव देना है।

मंत्री जी ने जो अपने विभाग के आंकड़े पेश किये और उनमें नयी मदों की चर्चा की उसे मैंने बहुत ध्यान से सुना। आंकड़े रोते नहीं हैं, भूखा बच्चा रोता है। वह परेशानी में हल्ला करता है। उन आंकड़ों के जाल में मैं नहीं जाना चाहता हूं। जो बजट उन्होंने पेश किया है उसके अन्तर्गत सारा काम होगा, यह सही है। सवाल यह है कि यह मसला इतने दिनों से क्या है कि एक विशेष जाति और वर्ग की समस्या उसी तरह से बनी हुई है। हर साल में एक दिन उस पर चर्चा करने का मौका आता है। यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है। इस समस्या को जड़मूल से खत्म करने का सरकार के पास कोई स्कोप नहीं है। माननीय अधिष्ठाता जी, इस प्रदेश में हरिजन और अछूतों की संख्या का सही आंकड़ा लगभग २ करोड़ होगा, जो कुल जनसंख्या का चौथाई है। भला चौथाई जनसंख्या की हालत अगर ऐसी बदतर हो, सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक हालत इतनी खराब हो तो यह एक गम्भीर प्रश्न ही तो है। हरिजनों और पिछड़े वर्ग

जिनमें मोमिन अंसार भी शामिल हो सकते हैं, इन सबकी समस्या का समाधान युद्धस्तर पर होना चाहिये। जिस देश में बार्डर पर ऐसा खतरा बना हुआ हो, एक कौम को इस हालत में रखना एक जुर्म है।

माननीय मंत्री जी ने सूचना दी कि हरिजन कल्याण परिषद,पूर्ववत,स्थापित हो गयी है। मैं इस विषय में माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या हरिजन कल्याण समिति के निर्णय जिला परिषद को जायेंगे उसकी स्वीकृति के लिये अथवा नहीं। अगर जायेंगे तो मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि फिर इस समिति की आवश्यकता नहीं है।

डाक्टर सीताराम—

नहीं जायेंगे।

श्री मंगलदेव—

हरिजन लड़कों को वजीफा दिया जाता है। २७ रुपया इंटरमीडियेट वालों को और यूनीवर्सिटी में पढ़ने वालों को ३५ रुपया और मेडीकल कालेज वालों को ७५ रुपया। यह वजीफा वही पुराना है जो कि सन ४९ में मिलता रहा है जबकि आज कल इतनी महंगाई बढ़ गयी है। आज कल की महंगाई को देख कर इस धनराशि को बढ़ाना चाहिये। अगर किसी के घर की हालत ठीक नहीं तो आपके इस वजीफे के देते रहने पर भी वह फेल होगा और पढ़ न सकेगा, इसलिये यथा शक्ति इस धनराशि को बढ़ाना चाहिये।

मैंने पिछले साल भी कहा था, और आज भी कह रहा हूं, कि आपके शिक्षा विभाग में तो नहीं लेकिन अन्य में बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आपके पास ऐसी शक्ति जरूर होनी चाहिये जिससे अगर किसी प्राइवेट संस्था के प्रिंसिपल और मैनेजर आप की बात नहीं मानते हैं तो उसकी ग्रान्ट को आप सस्पेंड कर दें। ऐसा न करने पर आपके डायरेक्टर के ईमानदार होने पर भी हरिजनों को उसका पूरा पूरा लाभ नहीं मिल पाता। जो धनराशि आप स्कूलों को देते हैं वह पूरी खर्च नहीं हो पाती है। कटौती पेश करने वाले हमारे साथी ने जो इस विषय में भ्रष्टाचार है उसका पर्दाफाश किया है। उस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। बनारस की आबादी को देखते हुए, वहां की शिक्षा संस्थाओं में हरिजनों की संख्या करीब ५ हजार होगी, इसको देखते हुए उनके हास्टिल बहुत कम हैं। कहीं से भी अनुदान काट कर आपको इसका प्रबन्ध करना चाहिये। जो अनुदान हरिजनों को दिया जाता है, वह शीत चाटने के समान है। सरकारी खजाने पर उनका पूरा अधिकार है, उनकी हालत को सुधारने के लिये इस अनुदान को आप को बढ़ाना ही होगा। कांग्रेस की कृपा से इधर के लोग नहीं बैठे हुए हैं। यहां लोग सरकारी नीति का बगावत करके बैठे हुए हैं। हम लोग किसी के टुकड़े के ऊपर यहां नहीं आये हैं। हरिजनों की समस्या यह है कि आज भी ये सड़े घरों में हैं, गन्दा पानी पीते हैं, और मैंने पिछली बार भी बतलाया था कि मैं माननीय मंत्री जी के इलाके में गया था, वहां आज भी डोम पानी खरीद कर पीते हैं। यह हमारे समाज के लिये, हमारे प्रदेश के लिये और हमारे लिये बड़े शर्म की बात है। आज आपको चाहिये कि अपने डिपार्टमेंट से प्रदेश का सर्वे करायें, जिस से मालूम हो सके कि कितने हरिजन कुओं के लिये कितने अनुदान की आवश्यकता है। मेरी सूचना है कि महज कुछ लोगों को खुश करने के लिये अनुदान दे दिया जाता है और जाली वाउचर बना कर झूठी रिपोर्ट कुएं बनाने की दे दी जाती है। इस तरह से आपके डिपार्टमेंट के अन्दर अनुदानों को लेकर भी काफी भ्रष्टाचार है। इन अधिकारियों के साथ आपकी मुरौवत रहती है और उसकी वजह से आप उन पर कड़ाई नहीं करते। यह काम ठीक नहीं है। आज हरिजनों की दशा इस प्रदेश में बहुत ही खराब है। इसके लिये बहुत बात हुई। बहुत से अनुदान दिये गये, लेकिन मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि पूर्वी जिलों में आज भी हरिजनों की मजदूरी २ आने, ४ आने, ६ आने या ८ आने है। अगर कहीं डेढ़ रुपया या दो रुपया है तो वह अपवाद है। आपके

[श्री मंगलदेव]

वजीफा देने से कोई हरिजन नहीं पढ़ सकता है जब तक कि उनके बाप या भाई को आप नौकरी नहीं देते हैं। जब माननीया मुख्य मंत्री जी आयीं तो मुझे आशा थी कि इस प्रदेश के हर डिपार्टमेंट में १८ प्रतिशत हरिजनों की भर्ती होगी। १८ प्रतिशत हो जाने पर हर डिपार्टमेंट में हरिजन काफी संख्या में मिल सकते हैं लेकिन आप उनको काम नहीं देते, उनको नौकरी नहीं देते, उनको खेत नहीं देते, उनको रोजगार नहीं देते, तो इस तरह से उनको भुलावे में रख कर काम नहीं चलने वाला है।

अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हरिजन सहायक आफिसर जो आपने रखा है, वह दफ्तर का बड़ा बाबू जैसा है, उसे कोई अधिकार नहीं है, लुंजपुंज आदमी है, जो भ्रष्टाचार को रोक नहीं सकता है। जब माननीय महावीर प्रसाद श्रीवास्तव मिनिस्टर थे, तब मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रैंक के आफिसर रखें। माननीय रामेश्वर प्रसाद जो पहले कांग्रेसी एम० एल० ए० थे, आपके साथियों में थे, गुंडे द्वारा उनकी नाक काट ली गयी, और माननीय मुख्य मंत्री ने जो उनको बाडी गार्ड दिया था उसे गृह मंत्री ने वापस ले लिया, यह शर्म की बात है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो हरिजनों के लिये अनुदान इस सदन में माननीय हरिजन मंत्री ने प्रस्तुत किया, इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। वे स्वयं इस पीड़ा में तपे हुए मंत्री हैं। किन्तु यह जो अनुदान है यह अनुदान कोई अनुदान नहीं है। जहां तक हरिजनों की समस्या का प्रश्न है, सरकार का उद्देश्य सभी के सहयोग से इस गरीब तबके को ऊपर उठाने का ही रहा है। चाहे कोई पार्टी हो, जनसंघ हो या कोई हो, सभी हरिजनों को उठाने की बात करते रहे हैं। कांग्रेस की नीति तो हरिजनों के सम्बन्ध में वर्षों से चलती रही कि किस तरह से उनको ऊपर उठाया जाय। जितने जनसेवी आर्य समाज में थे, वे सब आर्य समाज की बदौलत ही यहां पर आये हैं, बाबा अम्बेदकर की बदौलत यहां आये हैं।

श्रीमन्, यही नहीं, हमारे एक भाई ने अभी सहकारिता का ढंग बतलाया लेकिन आज सहकारिता में हरिजनों के साथ छोटे और बड़े का प्रश्न है। सहकारिता समिति में हरिजनों में से कोई क्लर्क नहीं है, कोई चपरासी तक नहीं है और उनकी कोई हैसियत नहीं है। वे उस सोसाइटी के मेम्बर तक नहीं बन सकते हैं। क्या समाजवाद का ढोंग है? यह है सरकार की नीति। आप चवन्नी देकर काम करवाते हैं। यह जनसंघ अठन्नी दे या रुपया दे। यदि तुम लोग ईमानदारी से देश का कल्याण चाहते हो तो उठना चाहिए। आज कांग्रेस वर्कर्स जो राजनीतिक पीड़ित हैं, उनकी दशा भी आज हरिजनों जैसी ही है। आज होता क्या है? मिनिस्टर लोग कारों में बैठे फिरते हैं और बंगलों में बैठे मजा करते हैं। मैं माननीय सदस्यों को समझाना चाहता हूं...

श्री अधिष्ठाता—

आप हमको समझाइये।

श्री हरी सिंह—

मैं आपको ही समझा रहा हूं। आप तो खुद भी चवन्नी देते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहां तक रिजर्वेशन का सम्बन्ध है, वह १८ प्रतिशत से २५ प्रतिशत हो गयी है लेकिन क्या किसी भी महकमें में यह प्रतिशत है? मैं जानना चाहता हूं कि क्यों सुरक्षित नहीं की गयी हैं। हरिजन विभाग के सेक्रेटरी बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस विभाग में कोई भी सुनने वाला नहीं है। इस विभाग में केवल आज पार्टीबाजी ही पार्टीबाजी है। जहां तक रुपये का सम्बन्ध है, वह खर्च नहीं हो रहा है। सारा रुपया पड़ा हुआ है। आज हरिजन कमेटियों में भी उनको ही रखा जाता है जो कि लोफर होते हैं। वास्तव में काम करने वाले और ईमानदार आदमियों को उसमें नहीं रखा जाता है। वे लोग खूब लूटते हैं। मैं तो यह कहूंगा कि यह जो लोगों को भीख मांगना सिखा रहे हैं वह समाप्त होना चाहिए। होना यह चाहिए कि हरिजनों को उद्योगों के लिए रुपया दिया जाय। उन्हें जूती बनाने के लिए रुपया न दिया जाय। आप उन्हें अपने विभाग के जरिये भीख न दीजिए, आप उन्हें अनुदान दीजिए। आज इससे उनके अन्दर पहले से गिरावट हो रही है। उनके लिए आप अपने बजट में १० या १५ करोड़ रुपया रखिये। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि हरिजन कल्याण और समाज कल्याण के लिए क्या ४ करोड़ काफी है। हमारे माननीय मंत्री जी सुन लें। वे हरिजन कल्याण विभाग के भी मंत्री हैं और केन के मंत्री भी हैं। उनके साथ ही क्या व्यवस्था है? केन विभाग के मंत्री हैं डाक्टर सीताराम जी और लाइसेंस देने वाले दूसरे ही लोग हैं। आज प्रदेश में कोई ऐसा पढ़ा लिखा इस सदन में नहीं है लेकिन जो वे अपनी इच्छानुसार करना चाहते हैं वे उसे संचालित नहीं कर सकते हैं। आज यहां पर भी अवसरवादी हैं। अगर उनको टिकट न दिया जाय तो उधर कूद जाते हैं। जो आपके दफ्तर हैं और जो आपके अफसर हैं उनके द्वारा पार्टीबाजी होती है। आपकी सब कलई नहीं खोलना चाहता हूं क्योंकि उससे कांग्रेस पार्टी की बदनामी है। इसलिये आप आगाह हो जाइये नहीं तो रिपब्लिकन पार्टी का बोलबाला होगा और जितने इधर बैठे हैं सारे टिकट के लिए बैठे हैं, सच्चे कांग्रेसी नहीं हैं और सन् १९६७ में सब उधर चले जायेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि हरिजनों का काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। आज तक इतना पता नहीं है कि हमारे प्रदेश में कितने ईसाई हो गये और कितने मुसलमान हो गये। बहुत से हरिजनों का धर्म परिवर्तन हो चुका है। आज तक आपने उद्योग धंधे के लिए एक पाई नहीं दी है।

जहां तक पढ़े-लिखों की बात है, आप ने नौकरियों में उनके लिए कुछ नहीं किया, कोई लिस्ट आपके पास नहीं है। पुलिस में भी इधर रखे जाते हैं और उधर निकाल दिये जाते हैं। रिजर्वेशन तो दरकिनार रहा, २ फीसदी भी हरिजन किसी विभाग में नहीं हैं। आप बताये हरिजन विभाग की क्या ड्यूटी है। हरिजन विभाग बताये कि कितने हरिजन ईसाई और मुसलमान हो गये किस-किस जिले में हुए हैं। धर्म का प्रचार नहीं, उद्धार का प्रचार नहीं, कुछ भी काम इस विभाग द्वारा नहीं हुआ है। अगर हरिजन विभाग को चलाना है तो सही ढंग से चलाइये वरना इसको तोड़ दीजिए और छात्रवृत्ति वगैरह का काम शिक्षा विभाग को दे दीजिये।

श्री ऊदल—

मान्यवर, जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है मैं उसका समर्थन करता हूं। जैसा और माननीय सदस्यों ने कहा, इस विभाग की जिम्मेदारी इतनी बड़ी है, नाम बहुत अच्छा है हरिजन पिछड़ी जाति समाज-कल्याण, इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इसका जो बजट है उसको देख कर पता चलता है कि इस विभाग के प्रति सचमुच में सरकार की तरफ से उदासीनता का व्यवहार हमेशा से किया गया है। प्रथम योजना में इस विभाग को तीन करोड़ रुपया दिया गया, दूसरी योजना में ६ करोड़ और तीसरी में पूरे कार्यकाल के लिये ९ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। अब इसकी जिम्मेदारी को आप देखें। जैसा अभी माननीय मंगलदेव ने कहा कि २ करोड़ शेड्यूल्ड कास्ट और दूसरी अपराधशील जातियां और जनजातियां आती हैं, ६० फीसदी के करीब पिछड़ी हुई जातियां आती हैं और इस बजट को अगर देखा जाय इसका मुतायला करें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि सरकार की तरफ से हमेशा उपेक्षा की नीति इन जातियों के उत्थान

[श्री उदल]

के प्रति बरती गई है। मान्यवर, इस विभाग के काम को देखा जाय। अभी मुझे दो, एक जगह जाने का मौका हुआ, मंत्री जी की रिपोर्ट में जिक्र है, तो मुझे अनुभव हुआ कि जो रुपया अलाट हुआ है उसको यदि देखें तो आप पायेंगे कि कहीं ३० परसेंट खर्च हुआ, कहीं २० फीसदी खर्च हुआ। भारत सरकार ने जो रुपया दिया अपराधशील जातियों को बसाने के लिए दिया है, उसका भी जिक्र इसमें है। मैंने भूतपूर्व मुख्य मंत्री माननीय गुप्ता जी को एक रिपोर्ट लिख कर भेजी। उन्होंने सहायक निदेशक, गोपीचन्द जी, को २२३ केसेज की जांच करने के लिये बनारस भेजी और उन्होंने एक स्कीम बना कर रिपोर्ट दे दी। उसमें एक क्लाज ऐसा है जिसके अनुसार जब तक ५ एकड़ जमीन नहीं मिलेगी तब तक अपराधशील जातियों को नहीं बसाया जा सकेगा। सारा का सारा रुपया पड़ा हुआ है। ५ एकड़ के प्रतिबन्ध वाला क्लाज जो है उसको निकालने की मैंने कोशिश की लेकिन आज तक वह क्लाज नहीं निकला जिससे लाखों रुपया पड़ा हुआ है। जो रुपया खर्च हुआ उसके में दो उदाहरण देना चाहता हूं। बड़ा गांव ब्लाक वाराणसी में मजहत गांव में दो आदमियों के नाम से और कठराय गांव में ३ सभापतियों को मकान बनाने के लिये रुपया दिया गया है। किस तरह से इस रुपये का दुरुपयोग होता है, यह देखने की बात है। हम लोग हमेशा मांग करते रहे हैं कि पानी पीने के कुंओं के लिये और एग्रीकल्चर के लिये जो सहायता दी जाती है वह जिले के स्तर पर कमेटी माननीय मंत्री जी ने इस व्यवस्था को कर दिया है। और यह जो काम अब हुआ है इसे बहुत पहले हो जाना चाहिये था। ६२ से हम इसको करने के लिये कह रहे थे। ब्लाकों में पार्टीबाजी होने से बहुत कम रुपया इसमें खर्च हुआ है और रुपया ज्यों का त्यों पड़ा रहता है और जो भलाई आप शेड्यूल कास्ट की करना चाहते हैं वह नहीं हो पाती है। आपने देखा होगा कि जिला परिषदों को बैकवर्ड क्लास तथा हरिजनों के बच्चों के लिये जो रुपया छात्रवृत्ति के लिये इस विभाग द्वारा दिया जाता है २० फीसदी भी रुपया उसमें खर्च नहीं हो पाता है। सारा का सारा रुपया रह जाता है। उस रुपये को भी इस कमेटी के सामने आना चाहिये।

१८ फीसदी रिजर्वेशन की बात है। उसे भी आप देखें। किसी भी मुहकमें को ले लें। चपरासियों की और क्लर्कों की नान-टेक्निकल भर्ती जो होती है यह सभी लोग जानते हैं। १८ फीसदी रिजर्वेशन जो संविधान से उनको मिला है वह मांगने की चीज नहीं है। संविधान में उसकी गारन्टी है। उसको पूरा करने को हम तैयार नहीं हैं तो कैसे यह सारी की सारी योजनायें पूरी हो जायेंगी? आपको ताज्जुब होगा कि १८ फीसदी रिजर्वेशन को लेकर पुलिस मुहकमें में पिछले दिनों थानेदारों के चुनाव हुए लेकिन ३०० हरिजन थानेदार निकाले गये। दूसरे लोगों के फीगर्स उठाकर देख लें। इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है माननीय मंत्री जी ने कहा कि पिछड़ी हुई जातियों के लिये जहां तक प्रशासन का सम्बन्ध है कुछ लाख रुपया रख दिया गया है, उससे काम चलने वाला नहीं है। जब तक प्रशासन में उन्हें बराबर का हिस्सा नहीं मिलता भारत सरकार का जो रुपया मिलता था वह भी आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर मिलने की बात हो गयी है। स्कालरशिप जो दिये गये हैं इसमें पिछड़े वर्ग को कितने मिले और दूसरे लोगों को कितने मिले, यह देखने की बात है। इस देश का दुर्भाग्य है कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तमाम तरह के शोषण इस देश में सदियों से चले आ रहे हैं और पहले को देखते हुए अब और ज्यादा हो गये हैं और उस स्थिति को अब पिछड़े वर्ग, हरिजन वर्ग और अपराधशील जातियां ज्यादा दिनों तक स्वीकार नहीं करेंगे। अगर हरीसिंह चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो तो आप इस चीज को देखें कि प्रशासन में सब को समान अधिकार मिलना चाहिये। इस अग्नि को ज्वाला ज्यादा दिन तक आप दबा नहीं सकेंगे। मैं यह देखता हूं कि हरिजन कल्याण विभाग में कुनबापरस्ती, पक्षपात और ४२०पना ज्यादा होता है। एक लड़के ने अपनी इनकम ४२० रुपये लिखी और इस विभाग ने उसे बना दिया ४,०२० रुपये। तलवार साहब, जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने उस फाइल को जब्त कर ली है। उसको इसी कारण स्कालरशिप नहीं मिल पाया।

मेरा निवेदन यह है कि इतना पैसा जो हरिजनों के लिये, पिछड़ी हुई जातियों के लिये और अपराधशील जातियों के लिये रखा जाता है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है खर्च करने की उन्होंने बड़ी गैर जिम्मेदारी से उसे खर्च किया। ६०, ७० हजार रुपये का पेट्रोल उन्होंने खर्च कर दिया या घर में मोटर रख ली। इधर उधर दौरा किया और एक निरपराध आदमी सस्पेंड हुआ। स्कालरशिप के लिये दावा किया गया कि अक्तूबर और नवम्बर तक बांट दिया जायगा लेकिन सब लोगों को ठीक से तथा वक्त से स्कालरशिप नहीं मिलती। बजट में समाज कल्याण का रुपया भी काट दिया गया है, उसे बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि उस रुपये से महिलाओं को सिलाई की मशीनें तथा गरीबों की तरह-तरह की मदद की जाती है।

श्री अध्यक्षता—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

माननीय अध्यक्षता महोदय, मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं। पिछले दो, तीन सालों से सभी विधायक इस सदन में मांग करते आये हैं कि क्षेत्रीय समिति द्वारा जो अनुदान दिया जाता है उसमें बहुत ही घपला तथा गड़बड़ी होती है। हमें खुशी है कि सरकार ने आचार्य जुगल किशोर जी की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की और उसके कथनानुसार यह अब जिले की हरिजन सहायक समितियों को अनुदान देगी। इसके लिये मैं सरकार को और मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। नवीं और दसवीं कक्षा में विज्ञान के छात्रों के लिये छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। इसके लिये भी मैं सरकार और मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं।

हायर सेकेंडरी स्कूलों में जो विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है और दसवीं तथा बारहवीं कक्षा में परीक्षा शुल्क दी जाती है, वह उन्हें कई महीनों को नहीं मिल पाती है, मेरा इसके सम्बन्ध में सुझाव है कि हरिजन कल्याण आफिस में हरिजन लड़कों को बुला लिया जाय या तहसील हेड क्वार्टर पर हरिजन अधिकारी चले जायं और लड़कों की सूची प्रिंसिपल से ले ली जाय और उसके अनुसार लड़कों को छात्रवृत्ति दे दी जाय। कालेजों में यह होता है कि लड़कों से एक एक महीने का युद्ध का चन्दा या इमारत की फीस ली जाती है। अगर वे नहीं देते तो उन लड़कों को फेल कर दिया जाता है। इसलिये वे जल में रह कर मगरमच्छ से बैर नहीं कर पाते हैं। जिन लड़कों ने आवाज उठाई वे फेल कर दिये गये। इसलिये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे लड़कों को छात्रवृत्ति समय पर मिल जाया करे।

अभी मंत्री जी ने कहा कि प्राइमरी शिक्षा से लेकर यूनीवर्सिटी शिक्षा तक निशुल्क शिक्षा की सुविधा दी गई है। जौनपुर नगरपालिका या अन्य जिला परिषदों में स्कूलों के जो लड़के प्राइमरी में अंग्रेजी पढ़ते हैं उनसे अंग्रेजी का शुल्क तीसरी कक्षा में चार आने, चौथी में आठ आने और पांचवीं में १२ आने लिया जाता है। मैं प्रार्थना करूंगा कि यह शुल्क सरकारी विधान को उन्हें देनी चाहिये।

अब तूकर कमेटी आई थी जिसका उद्देश्य था कि वह देखे कि ऐसी कौन-सी जातियां हैं जिनको लिस्ट में से निकाला जा सकता है। लेकिन अफसोस है कि जब यह कमेटी आई तो किसी कार्यकर्ता तक को पता नहीं चला और न जाने कैसे उसने सिफारिश कर दी कि कुछ जातियां सूची में से निकाल दी जायं। जिन जातियों को इस सूची में से निकाला गया है क्या छूताछूत की भावना उन जातियों के सम्बन्ध में खत्म हो गई है? अगर नहीं हुई है तो जो चुप-चुप रिपोर्ट चली गई है वह गलत है और अगर यह कार्यान्वित हुई तो यह न सरकार के लिये और न समाज के लिये हितकर होगा। अस्पृश्यता निवारण के लिये जो अधिनियम लागू किया गया है वह मखौल है और कहीं भी यह कार्यान्वित नहीं होता है। इसलिये सरकार को चाहिये कि इस सम्बन्ध में वह हरिजन कल्याण अधिकारियों को पावर्स दे और जब तक उनको पावर नहीं मिलेगी तब तक यह चीज खत्म नहीं होगी।

[श्री माता प्रसाद]

कुछ दिनों से हम लोगों की बराबर यह मांग रही है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक प्रतिनिधि अनुसूचित जातियों का होना चाहिये। मुख्य मंत्री के नाम मांगने पर हमने नाम भी दे दिया था लेकिन अफसोस है कि अभी तक कोई भी हमारा प्रतिनिधि लोक सेवा आयोग में नहीं रखा गया है। इसके अलावा सरकार ने पिछले साल रिजर्वेशन पूरा करने के लिये चतुर्थ श्रेणी में ४५ प्रतिशत कर दिया था। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता है बल्कि उल्टे नुकसान ही होता है। दूसरे लोगों में ईर्ष्या की भावना होती है कि सारी सीट्स उन्हीं को मिल रही हैं और दूसरी तरफ उनको रखा नहीं जाता है। इस तरह से उनमें हीनता की भावना पैदा होती है और दूसरे लोग जलते भी हैं। इसलिए ज्यादा अच्छा यह हो कि इसको कार्यान्वित करने वाले जो अधिकारी हैं उनके लिए यह शर्त लगाई जायं कि यदि वह उसे ठीक से कार्यान्वित नहीं करेंगे तो उन्हें दण्ड दिया जायगा। जब तक दण्ड की व्यवस्था नहीं होगी तब तक कभी भी यह इस प्रकार से कार्यान्वित न होगा कि उससे वास्तव में उन्हें लाभ पहुंच सके। उनका रिजर्वेशन चाहे १८ परसेंट हो, चाहे २५, ३०, ४० और ६० परसेंट कर दिया जाय, कभी भी उनका पालन नहीं हो सकता जब तक कि नियमों को कार्यान्वित करने वाले अधिकारियों से सख्ती से उसे पालन न कराया जाय।

मान्यवर, मैं इस संदर्भ में यह भी कहना चाहता हूं कि यह सरकार वास्तव में वर्ग-विहीन समाज की स्थापना करना चाहती है तो लोगों के नामों के आगे से जाति सूचक नामों को हटाये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए, इसके लिए नियम बनाया जाना चाहिए, बिना इसके वर्ग-विहीन समाज की इस देश में स्थापना नहीं हो सकती है। दुबे, चौबे, श्रीवास्तव, गुप्ता आदि सभी जाति सूचक नामों को वास्तविक नामों से निकाल देना चाहिए। मुझे खुशी है कि जो निर्वाचन आयोग है, उसने जाति-सूचक नामों को हटा दिया है। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के नामों को, जिससे किसी जाति का बोध होता हो, हटा दें। तभी वर्ग-विहीन समाज की स्थापना हो सकती है। माननीय मंत्री महोदय ने छात्रावासों के संबंध में बात कही। मेरा अनुभव है कि ज्यादातर छात्रावासों में जो उनके लिए बनाये जाते हैं अनुसूचित जातियों के छात्र नहीं रहते हैं, उसमें क्लासेज लगती हैं। यह लड़कियों के लिए जो छात्रावासों की व्यवस्था है यह उतनी उपयोगी नहीं होगी, इन छात्रावासों को डिग्री कालेजों और उन्हें वास्तविक लाभ पहुंचाने के लिए इन्हें डिग्री कालेजों और यूनिवर्सिटियों में ही बनवाया जाए। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र रूप से सरकार स्वयं उनकी व्यवस्था चलाए, संस्थाओं को दे दिया जाता है, तो वह उसका अपने निजी काम और लाभ के लिए उपयोग करते हैं।

श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हरिजन और पिछड़ी हुई जातियों का प्रश्न हमारी सरकार ने आजादी के पहले से उठाया, जबकि गांधी जी ने आन्दोलन किया, मगर उस समय उसका उद्देश्य यह नहीं था जो आज है। डाक्टर अम्बेदकर द्वारा उठाये गये आन्दोलन का भी उद्देश्य यह नहीं था। यदि सर्वोदय की तरह से जमीन के दान का उद्देश्य शोषितों के उत्थान को रोकने के लिए हो तो मुझे कुछ नहीं कहना है। पर हमारी सरकार को चाहिए था कि अछूतापन और पिछड़ापन जो सामाजिक ही है, कांस्टीट्यूशन में जो सोशली बैकवर्ड हैं, उसके पिछड़ेपन को मिटाने के लिए कोशिश करनी चाहिए थी। मगर अछूतपन को, ऊंच-नीच के भाव को, सामाजिक उतार; चढ़ाव और आर्थिक विषमता को रोकने के लिए यदि यह काम किया जाए और शोषितों को दान खाते में से कुछ दे दिया जाया करे, तो यह उसको उठाने के लिए काम नहीं हो सकता। इसी दृष्टि से इस विभाग के कार्यों को हमें देखना चाहिए। आजादी के १८ वर्षों में जहां इस प्रदेश में साढ़े सात करोड़ में से ५ करोड़ के लगभग पिछड़ी हुई जातियां हैं, जो किसान और दस्तकारों की जातियां हैं, जो मेहनत करने वाली जातियां हैं, जिनका कोई रिजर्वेशन नहीं है और २२ परसेंट केवल मजदूर जातियां (अछूत) हैं जिनमें १ परसेंट किसान भी होंगे। शोषित किसान-मजदूर जातियों में डाक्टर सीताराम जैसे योग्य व्यक्ति

भी पैदा हुए हैं। इन जैसे योग्य मंत्री वर्षों तक राज्य मंत्री रहने के बाद अभी मंत्रि-मंडल में कैबिनेट रैंक के होकर आए हैं। इसको आप देखिए। पर हाई कोर्ट का एक जज भी बैकवर्ड क्लास और हरिजन क्लास में से नहीं है। कुर्मी ऐसी जाति में सरदार पटेल ऐसे लोग भी पैदा हुए। यहां तो गुप्ताओं व ब्राह्मणों के हाथ में राज्य रहा, वे ही सब मंत्री बने रहे, जिससे हरिजन और पिछड़ी हुई जातियों का उनके द्वारा शोषण होता रहे, जब पंडितों के हाथ में शासन रहा, उन्होंने भी उनका सामाजिक व राजनीतिक शोषण किया। विरोधी पार्टियों में से आप जन संघ को देखिए जो बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें हरिजनों और पिछड़ी जातियों के लोग ही अधिक हैं।

लेकिन मैं कहता हूं कि आज वहां भी इनको किस तरह से दबाया गया। यही हालत एस० एस० पी० की है जिसके लिए डाक्टर लोहिया इतना कहते फिरते हैं। पी० एस० पी० के नेता हमारे बलवानसिंह जी हैं जो बहुत बैकवर्ड अहीर जाति से ही आते हैं। हमारे कमलासिंह जी भी हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का सात बटा आठ हिस्सा उन्हीं का है। झारखंडे राय और डाक्टर अहमद को छोड़कर बाकी सब उन्हीं के लोग हैं। निर्वलीय में आने से ज्यादा वे ही हैं। इसमें योग्य हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ा हिस्सा लिया लेकिन वे ब्राह्मण पंडित और गुप्ता इन्हें कब बढ़ने देते हैं? पंडित नेहरू के कुछ रिश्तेदार थे, जो गरीबों को लूटते थे, कलेक्टर थे, वे नेहरू जी द्वारा कमिश्नर बना दिए गए। पंडित पंत के कुछ रिश्तेदार थे, उनको भी इसी तरह से तरक्की मिली। वे भी उन्हीं गरीबों को लूटते थे। लेकिन शोषित बेचारा बहुत बड़ा तो कलम घिसनेवाला क्लर्क बन गया या चपरासी बना दिया गया। यह तो बनियों और ब्राह्मण लोगों के शासन की हालत है। नहर-विभाग तो बनिये इंजीनियरों से भरा पड़ा है। वहां किसी और की गुजर नहीं है। अभी मैं देखता हूं कि हाई कोर्ट के लिए सिफारिश की गयी। बिलकुल रद्दी आदमियों की। शराबी, सुरा, सुन्दरी पर ही न्याय करने वाले आगे बढ़ा दिए गए। न्याय विभाग जैसे पढ़े-लिखे विभाग में हर जिले के डी० जी० सी० को देखिए, ऐडवोकेट जनरल को देखिए, तो एक भी आपको बैकवर्ड क्लास का नहीं मिलेगा। पब्लिक सर्विस कमीशन में एक भी अछूत नहीं या बैकवर्ड। इधर श्री जयराम वर्मा, डिप्टी मिनिस्टर तो हो गए, बस इसी में खुश हैं। बैकवर्ड व अछूतों को लेखपाली चाहिए, ग्राम सेविकी चाहिए, चपरासगीरी चाहिए, वह मिल गया, बस खुश। मैं डाक्टर सीताराम जैसे योग्य आदमी से कहता हूं कि इस गुटबन्दी, इस कुनबापरस्ती और इस जातिवाद के शिकार आप भी हो रहे हैं। इसलिए इसको मिटाकर दूर फेंकिए। ये पंडित-बनिए जो गद्दार थे, वे भी हम पर राज्य करें और किसान मजदूरों को जिन्होंने सबसे बड़ा त्याग किया था उनको चन्द टुकड़े फेंक दें और समझें हमने इन पर बहुत अहसान कर दिया, यह नक्शा मेरे और, हरिसिंह जी, आपके चिल्लाने से दूर होने का नहीं है।

अभी चीन-युद्ध हुआ था। तब से जो केंद्र द्वारा चार सौ स्कालरशिप्स दी गयीं, इनमें से १११ तो पंडित जी ले गए। गजेटड आफिसर्स के प्रमाण-पत्र उनकी आय शून्य तक दिखा गए। आप जरा, इस बांबलो को छानकर देखिए, सब कमेटी बनाइए। राष्ट्रीय एकता की कमेटी की बांबली देखिए, जिसमें जय प्रकाश जी, अटल बिहारी बाजपेयी जैसे पंडित लोग उसके सदस्य थे। इन लोगों के दिल में वही पुराना राग था कि किस तरह से इन अछूतों व बैकवर्डों की उठान को हटावें। इसीलिए मैं कहता हूं हमको रोना नहीं चाहिए। हमारी जनता पिछड़ी है जैसे खेत में खर-पतवार होता है उसको निकाल कर फेंक दिया जाता है उसी प्रकार निर्भीक बनकर हम भी अपनी अच्छी पौधों के लिए एजेंटों को अपने में से हटावें, चाहे वे पी० एस० पी० वाले हों चाहे हों जनसंघी या कांग्रेसी। ऊंची जाति की भावना से ही जातियां-उपजातियां पैदा हुईं। यह बैकवर्ड, शिड्यूल्ड कास्ट का आन्दोलन भी पूंजीवादियों के यहां ठहरने वालों का आन्दोलन हो गया है। किसी को डिप्टी मिनिस्टर बना दिया, किसी को पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी, बस उसी में खुश। मैं मुसलमान भाइयों के लिए कहता हूं कि उन्होंने आन्दोलन में कब भाग

[श्री दीनानारायणसिंह]

लिया लेकिन हर जगह हमारे बैकवर्ड क्लासेज के लोगों ने आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा डंडे खाए लेकिन जैसे किसान फसल को बढ़ने देने के लिए क्या करता है। खर-पतवार की खुरपी से लेकर उखाड़ डालता है लेकिन हमारे भाई जयराम जी को क्या ? उन्हें तो पंडित नेहरू जी की हां में हां, हमें यह दे दो, वह दे दो। इस तरह से भीख मांग कर चन्द टुकड़ों को पाकर कब तक इस शोषण को स्वीकार करते रहोगे ?

बैकवर्ड क्लास ने पूरा भाग लिया था। पर आजादी के बाद बैकवर्ड क्लास ही दबाया व ठुकराया गया। मैं चाहता हूं किसी तरह से ये भंगी और चमार दबाए न जाएं। यह आमतौर पर देखा जाता है कि बहुसंख्यक जाति के लोग इन पिछड़े हुए लोगों को दबाते हैं। मैं सरकार से यह भी निवेदन करूंगा कि आबादी के हिसाब से बैकवर्ड और अछूतों को नौकरियों में होना चाहिए। इन जातियों का तनासुब के हिसाब से रिजर्वेशन हो और यह रिजर्वेशन उस समय तक रहना चाहिए जब तक कि वे अपनी संख्या के अनुसार सब के समान स्तर पर न आ जाएं। लेकिन यह सरकार तो कुछ लोगों को दाना डाल कर अपने में मिलाए रखती है। मेरा सरकार से यह भी निवेदन है कि यह एक इवैल्यूएशन कमेटी की स्थापना करे जो बैकवर्ड और पिछड़े हुए जाति के लोगों में इस बात की छानबीन करें कि उनमें कितने डाक्टर हैं, कितने इन्जीनियर हैं, कितने अफसर हैं, और कितने हर साल उनके लोग बड़ी नौकरियों में भर्ती होकर आते हैं। भगवान के यहां देर है अंधेर नहीं है। चमार और भंगी के यहां भी प्रतिभाशाली लड़के पैदा होते हैं। इस कारण मेरा निवेदन यह है कि छोटे आदमी को और पिछड़े हुए आदमी को उठाने की जरूरत है। जो प्रतिभाशाली होते हैं उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। अगर उनको पहले उठाया जाय तो देश बहुत तरक्की कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। देश के अन्दर हिम्मत भी पैदा होगी नहीं तो बड़े-बड़े गद्दीनशीं निकाल दिए गए। एन्क्वायरी निकाल दिए गए। अगर सभी को फौज में भर्ती किया जाय तो शोषितों में भी बहुत बहादुर लोग निकल सकते हैं। जातिवाद को हटाने की जरूरत है। अगर जातिवाद हट जाय तो अच्छे लोग उनमें से निकलेंगे और आगे बढ़ेंगे। अच्छे आदमियों को आगे बढ़ने में जो रुकावट हैं उनके दूर होने की जरूरत है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इवैल्यूएशन कमेटी की स्थापना कीजिए। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आप पिछड़ेपन को दूर नहीं कर सकते हैं। जय हिन्द।

श्रीमती शकुंतला देवी (जिला सहारनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे जो बोलने के लिए समय दिया है, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूं। माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। स्वतंत्रता के पश्चात् १८ साल के अन्तर्गत हमारी प्रांतीय सरकार ने, हरिजन समाज ने, जो उन्नति की है उसकी मैं प्रशंसा करती हूं। इस प्रसन्नता के साथ-साथ मुझे यह भी कहना है कि हमारे हरिजन समाज में जो कार्य प्रणाली हमारे विधान के अनुसार प्रारंभ हुई है वह वास्तव में अच्छी है। हमारे हरिजन समाज में जो अवनति और खामियां थीं, वह इस विभाग के द्वारा दूर की गईं। आज हमारे माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान अगले वर्ष के लिए प्रस्तुत किया है और उसमें जो धनराशि रखी गई है वह थोड़ी है। मैं समझती हूं उसमें और अधिक वृद्धि कर दी जाय तो अच्छा है क्योंकि छात्रवृत्ति कम होने के कारण पूरी उन्नति नहीं हो रही है। आज हरिजन समाज में बच्चे इतने अधिक संख्या में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कि यह धनराशि उनके लिए नाकाफी है। आज के समय में हमारे हरिजन बच्चे काफी संख्या में पढ़ रहे हैं तो इस वजह से वह छात्रवृत्ति कम पड़ती है। इस तरह से पिछड़े समाज में जितनी जातियां हैं और तरक्की कर रही हैं उसके हिसाब से यह धनराशि कम है। इस धनराशि को बढ़ाया जाय। गरीब और पिछड़ी जाति में दर्जी, कहार सभी आते हैं, जो कि बहुत गरीब हैं। वह लोग पढ़ नहीं पाते हैं। उनके बच्चे यदि फर्स्ट क्लास भी होते हैं तो उनको किसी प्रकार से छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती है। इसका कारण यही होता है कि धन की कमी होती है यानी यह धनराशि इसमें कम रखी जाती है दूसरे मेरा यह निवेदन है कि अस्पर्शता निवारण

के लिए जो धनराशि यहां से दी जाती है वह ठीक तरह से प्रयोग में नहीं लायी जाती । इसका कारण यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो प्रचार थोड़ा बहुत करते हैं और काम कुछ नहीं करते इस लिए मेरा निवेदन है कि हमारे हरिजन विभाग को यह प्रयत्न करना चाहिए कि जो धन दिया जाय उसका सदुपयोग हो ।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि नगरपालिकाओं और जिला परिषदों की जितनी संस्थाएं हैं उनमें हरिजन बच्चों को वही छात्रवृत्तियां नहीं दी जाती हैं जो सरकार से उनको आमतौर पर मिलती हैं । उनके लिए सरकार को इस प्रकार के आदेश भेजने चाहिए कि वहां के हरिजन बच्चों को उसी प्रकार की पूरी सुविधाएं मिल सकें ।

चौथी बात मुझे यह कहनी है कि हमारे यहां जो धनराशि रखी गयी थी वह दो कामों के लिए थी, एक आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए और दूसरे उनकी शिक्षा की स्थिति ठीक करने के लिए । शिक्षा की स्थिति उनकी बहुत मात्रा में ठीक हो गयी है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति आज ज्यों की त्यों है । उस दिशा में हमारे विभाग की तरफ से उनके छोटे बच्चों को तथा महिलाओं को उद्योग-धंधा सिखाने के लिए कोई या किसी प्रकार की संस्था कायम नहीं की गयी जिनमें वे अनपढ़ होते हुए भी अपनी आजीविका कमा सकें ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके । इसके लिए सरकार को स्वयं प्रयत्न करना चाहिए ।

पांचवीं बात मुझे यह कहनी है कि गृह निर्माण के लिए जो धनराशि हमारे हरिजन विभाग की ओर से दी जाती है, वह काफी नहीं है । आज ७५० रुपए में हमारे पक्के मकान नहीं बन सकते । अगर इतने पैसे में वे पक्के मकान बना सकते होते तो उन्होंने स्वयं अपने मकान बना लिए होते, उनको आपकी मदद की आवश्यकता ही न पड़ती । उनके लिए मेरा सुझाव है कि कम से कम २ या डेढ़ हजार रुपए की व्यवस्था मकानों के लिए की जानी चाहिए, तभी वे अपना मकान ठीक तरह से बना सकेंगे ।

छठीं बात मुझे यह कहनी है कि विमुक्त जातियों के बच्चे जब पढ़ लिखकर निकलते हैं तो उनको आगे नौकरी प्राप्त करने में या आगे बढ़ने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है । लोग उनके माता-पिता के बारे में तरह-तरह की बातें कहते हैं कि वे चोर हैं अथवा वे नीच काम करते हैं । इस कारण उनको नौकरी नहीं मिलती । मेरा सुझाव है कि उनके लिए कुछ इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि जिससे उनके माता पिता के व्यवसाय का कोई प्रभाव उनके भावी जीवन पर न पड़े और वे अच्छी तरह नौकरी आदि पा सकें ।

अब मैं समाज कल्याण विभाग के बारे में कुछ निवेदन करना चाहती हूं । इस विभाग के कारण हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो अवनति हो रही थी वह रुकी है और हम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं । बड़ी उम्र में भी लोगों को इस समाज कल्याण विभाग से ही यह प्रेरणा मिली कि वे भी इंसान हैं और आगे बढ़ सकते हैं ।

दूसरी बात समाज कल्याण के विषय में मुझे यह कहनी है कि बहिष्कृत बच्चों की स्थिति को सुधारने के लिए इस विभाग की ओर से आश्रम खोले गए और उनमें इन बच्चों को पाला जाता है । ऐसा होने से उन बच्चों की समाज में इज्जत होती है । लेकिन इसी में मेरा सुझाव यह है कि जैसे पहले गोद लेने की प्रथा थी, उसके अनुसार ही यदि कोई सज्जन इन बच्चों को गोद लेना चाहें तो उसके लिए अवश्य प्रबंध होना चाहिए ताकि इन बच्चों का लालन-पालन ठीक प्रकार से हो सके ।

तीसरा मेरा सुझाव यह है कि हमारे समाज कल्याण विभाग की तरफ से शरणालय खोले गए हैं, जिनमें स्त्रियों को रखा जाता है और उनको उनमें इधर-उधर से लाकर इकट्ठा कर दिया जाता है । वे स्त्रियां अधिकतर अपने घर से निकाली हुई होती हैं और बुरे रास्ते को पकड़ लेती हैं । उनको सुधारने के लिए ही उनको शरणालय में रखा जाता है । उसके लिए

[श्रीमती शकुंतलादेवी]

मेरा सुझाव यह है कि वहां उनकी रसोई बनाने के लिए एक महिला रहती है। मैं चाहती हूं कि रसोई बढ़ाने वाली महिला के स्थान पर उनके लिए वहां एक शिक्षक नियुक्त की जाय और रसोई बनाने का काम उनसे स्वयं लिया जाया करे। एक क्राफ्ट टीचर या क्लास टीचर होने से उनको अच्छी शिक्षा मिल सकेगी और खराब भावनाओं से वे दूर रह सकेंगी।

एक बात और रह गयी थी। जो प्रचार कार्य के लिए हरिजन कल्याण विभाग की ओर से प्रयत्न किया जाता है और जो रुपया खर्च किया जाता है उसका सदुपयोग नहीं होता बल्कि वह एक मद में खर्च कर के कई मदों में संस्था के द्वारा चार्ज कर लिया जाता है। मेरा सुझाव है कि उस धन का पूरी तरह से सदुपयोग होना चाहिए। एक जलसे में एक सभा ही अपना खर्च लें, भिन्न भिन्न नहीं।

श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। जो मंत्री महोदय ने अनुदान पेश किया है वह पूंजीपतियों के लिए ही बनाया गया है और इसमें उनके लिए पक्षपात की भावना रखी गयी है। इसका उदाहरण मैं उनकी पार्टी से ही देना चाहता हूं। अभी जो पार्लियामेंटरी बोर्ड का चुनाव हुआ उससे उनकी नीति स्पष्ट हो जाती है। यह पार्टी जातिवाद, भाई भतीजावाद और बिरादरीवाद पर टिकी हुई है। अभी जो पार्लियामेंटरी बोर्ड बना है उसमें १२ मेम्बर रखे गए हैं, जिनमें ६ ब्राह्मण हैं, दो बनिए हैं और एक बेचारा अछूत।

श्री अधिष्ठाता—

यह आप किस पार्लियामेंटरी बोर्ड की बात कर रहे हैं?

श्री मन्नालाल—

यह मैं उनकी नीति की आलोचना कर रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—

व्यवस्था हो चुकी है कि किसी दल के संबंध में इस तरह की बात नहीं की जानी चाहिए। इस अनुदान से इसका संबंध नहीं है।

श्री मन्नालाल—

मैं सत्तारूढ़ दल की नीतियों की आलोचना कर रहा हूं। मैं एक दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। उनकी पार्टी में इतना भाई भतीजावाद बढ़ रहा है कि वे समाज का कल्याण कर ही नहीं सकते। वे तो अपना कल्याण करने वाले हैं। इसी दल में मैंने देखा है कि...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग बहुत शोर मचा रहे हैं। आप लोग शांत रहें।

श्री मन्नालाल—

इस पार्टी में भी बिरादरीवाद के आधार पर ही मिनिस्टर रखे जाते हैं। डाक्टर लोताराम जी थे, अमरीका रिटर्न हैं, कृषि के विशेषज्ञ हैं और दूसरी जगहों का भी भ्रमण किया है, लेकिन उनको केवल अछूत होने के कारण पहले पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी बनाया गया, फिर डिप्टी मिनिस्टर और राज्य सभा के मंत्री और बाद में मिनिस्टर बनाया गया इतने वर्षों के बाद लेकिन दूसरी ओर देखिए अभी ही गेंदासिंह जी मिनिस्टर बन गए सीधे ही कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर बना दिए गए। यह पार्टी हरिजनों का कल्याण क्या करेगी? यह तो अपना कल्याण कर रही है।

यह बिलकुल धोखा देने वाली बात करती है। अधिष्ठाता महोदय, सन्, ६५-६६ में हरिजनों के लिए ३५० लाख रुपया अनुदान का रखा गया था जो इस साल घटा कर २६५ लाख रुपया कर दिया गया है और इस प्रकार इसमें ९० लाख ६४ हजार की कमी की गयी और इसमें से भी ३२ लाख रुपया इन सरकारी अधिकारियों पर खर्च किया जायगा। तो इन अछूत जातियों को क्या मिल सकेगा? जो है वह सब उन्हीं के खर्च में जायगा। हरिजनों का एक सोशल सीक्योरिटी डिपार्टमेंट सरकारी बना था। उसकी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इन योजनाओं से पिछड़े वर्ग के लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ है।

हाई स्कूल और कालेज में २,७०७ कुल अध्यापक हैं जिनमें से केवल ३० अछूत जाति के हैं। यह रिजर्वेशन है आपका और कहते हैं कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं। यह शिक्षा मंत्री ने उत्तर दिया था एक प्रश्न का। नौकरियों की बात कही जाती है। जितनी नौकरियां दी गयी हैं वह किसी खास व्यक्ति को दी गई हैं जिससे उनको कोई खास लाभ हो सकता है। छोटी नौकरियों में रिपोर्ट के अनुसार डेढ़ फीसदी से ढाई फीसदी तक अछूतों को दी गयी हैं जबकि संविधान का आदेश है कि १८ फीसदी दी जाएं। जिनको मिली भी हैं उनको भी अलग किया जा रहा है। मोहम्मदी में कलेक्शन विभाग में २-३ केवल अछूत चपरासी थे। वहां एक तहसीलदार, नायब-तहसीलदार जो कि सवर्ण जाति के हैं, उन्होंने अपनी बिरादरी के नौकर रखने थे, इसलिए उन्होंने उन अछूतों को निकाल दिया जो कि ८-८ साल के काम करते थे और उनकी जगह एक ब्राह्मण और एक कायस्थ को उन्होंने नौकरी में रखा। यह है इनका समाजवाद पिछले वर्ष ४०-४५ फीसदी की गवर्नर महोदय ने रिजर्वेशन की बात कही थी। हमारे कांग्रेसी भाई कम करते चले जा रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि हमारे डाक्टर साहब इसके लिए कड़ा कदम उठाएं। इसके साथ-साथ अगर कहीं कोई जगह होती भी है और अछूत लोग दरख्वास्त देते हैं तो उनको न लेकर सवर्ण जाति वालों को लेते हैं, क्योंकि उच्च अधिकारी सवर्ण जाति के ही होते हैं। साथ ही छोटी नौकरियों में ऐसी जातियों के लोग अधिकतर लिए जाते हैं जो उनकी सेवा कर सकें। अछूतों को इसलिए नहीं ले सकते हैं कि उनके हाथ का पानी कैसे पीयेंगे। आज भी, जैसा कि अंग्रेजों के जमाने में स्थिति थी वैसी ही आज छुआछूत है, बल्कि उससे भी बदतर है। कहीं छुआछूत नहीं मिटी है। देहात में अछूतों को अभी भी चारपाई पर नहीं बैठने दिया जाता है। पिछली बार मैंने प्रश्न रखा था कि एक अदालत का सरपंच एक गांव गया, वह अछूत था। एक चारपाई पर बैठ गया तो उसे लाठी और डंडों से मारा और खदेड़ कर गांव से बाहर कर दिया गया। हमने दरख्वास्त दी तो कहा गया कि मामला न्यायालय में ले जाओ, यहां कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या यही समाजवाद का निर्माण हो रहा है? ये तो अपना ही निर्माण कर सकते हैं।

इसी तरह से हमारे जिले में एक गांव में पी० ए० सी० के ७ जवानों ने ४ अछूत बहू बेटियों के साथ बलात्कार किया। वह एक गांव गदमापुर (खीरी) में जबरदस्ती घुस गए। उसकी रिपोर्ट लिखायी गयी। डी० एस० पी०, एस० पी० और गृह मंत्री को लिखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तरह-तरह के जुर्म होते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं और कहते हैं कि हम समाजवाद ला रहे हैं। ये क्या लायेंगे?

एक मंत्री महोदय जिन्होंने अपने रिश्तेदार का ३६ हजार का बंगला कूता गया और ९६ हजार में खरीदा गया। वह रुपया लेकर पाकिस्तान भाग गए। और हमारे मंत्री महोदय अछूतों के लिए कुछ करने में असमर्थ हैं, क्योंकि अछूतों के लिए कुछ करें तो कल ही निकाल दिए जाएं, लिहाजा मजबूर हैं। मैं तो उनसे पूछता हूं कि आप इतने योग्य हैं, अगर किताबें लिख-लिख कर अपना प्रचार करते तो मालामाल होते और संसार में नाम होता। लेकिन वह बैठे हैं, न अपना भला कर सकते हैं, न हरिजनों का कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा कि वह इस्तीफा दें और निकलें और हम उनके साथ होकर एक संगठन बनायेंगे, और संगठन करके इन सत्ताधारी

[श्री मन्नालाल]

जो कि पूंजीवादी हैं, बिरादरीवादी और भाई-भतीजेवादी हैं इनको हम नीचा दिखायेंगे और तभी हम दम लेंगे। लेकिन न मालूम वह क्या समझते हैं, क्यों ऐसी जगह पड़े हैं, मेरी समझ में नहीं आता।

१८ वर्षों की आजादी के बाद भी अछूत जहां था वहीं है। भूमिहीनों को भूमि देने के लिए घोषणा की गयी, मगर सीलिंग से बची हुई भूमि एक इंच भी हरिजनों को नहीं दी गयी। चकबन्दी कानून में यह है कि जो भूमि चकबन्दी से गचेगी वह हरिजन भूमिहीनों को दी जायगी। मगर उस से बची हुई भूमि सब बड़े बड़े लोगों को मिली, किसी भी हरिजन को एक इंच भूमि नहीं मिली। किसी भी हरिजन को मकान बनाने के लिए दो हाथ जमीन तक नहीं दी गयी। सारी बची हुई जमीन पर बड़े बड़े लोगों ने कब्जा कर लिया।

१८ प्रतिशत का जो रेजर्वेशन है उसका भी मन्त्री जी को कड़ाई के साथ पालन कराना चाहिये। जो अधिकारी उसका ध्यान न रखे उस के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये। इस के लिए डाक्टर सीताराम जी को चाहिये कि वे कड़े बनें। पिछले वर्ष चतुर्थ श्रेणी के जितने कर्मचारी थे उन की संख्या घट कर अब और कम हो गयी है। छुआछूत का एक उदाहरण मैं और दे दूं। जिला खीरी में जंगबहादुर गंज एक बस स्टेशन है। वहां के एक कांग्रेसी नेता, श्री बाबूराम शर्मा, के एक भतीजे बुकिंग क्लर्क हैं। एक ला ग्रेजुएट तथा एक हरिजन छात्र ने जो बी० एस० सी० का छात्र था, वहां रखे हुये सरकारी लोटा बालटी से पानी पी लिया। उस बुकिंग क्लर्क ने उसके लिए उन्हें अपमानित किया।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस हरिजन अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। हरिजन समस्या इस प्रदेश और देश की बड़ी जटिल एवं कठिन समस्या है। हमारे प्रदेश में साढ़े ७ करोड़ लोग भी सवा लाख गांव में रहते हैं, हरिजन निवास करते हैं। हर ५ आदमी के पीछे एक हरिजन आता है। जो अनुदान इन के लिए रखा गया है वह इतना कम है कि एक हरिजन के लिए प्रतिवर्ष एक रुपया आता है। सदियों से गिरी एवं दबी हुई गरीब हरिजन जनता के उत्थान को यह सरकार केवल एक रुपया प्रति व्यक्ति रख कर करना चाहती है। बजट में जो धनराशि रखी गयी है इनके उत्थान के लिए, वह बहुत कम है। जो भी जनता के प्रतिनिधि यहां बैठे हुये हैं, चाहे वह जन संघ के सदस्य हों, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, समाजवाद के, किसी भी दल के हों, सभी यह कहते हैं कि हम छुआछूत नहीं मानते, हम समानता चाहते हैं। हम समानता का दर्जा चाहते हैं। फिर भी इन १८ वर्षों के बाद यह छुआछूत जिन्दा है। यह छुआछूत जीवित है और वह छुआछूत बढ़ी है, श्रीमन्, घटी नहीं है। जब हम गरीबों में धन, और धरती के बटवारे की बात करते हैं कि धन और धरती बटकर रहेगी, गरीबों से हम कहते हैं कि सरकार तुम्हारी गरीबी मिटाना चाहती है, सरकार समाजवाद देश में लाना चाहती है, तो गरीब कहते हैं कि यह सब सरकार का ढोंग है। सरकार हमारी गरीबी मिटाना नहीं चाहती, सरकार समाजवाद लाना नहीं चाहती। श्रीमन्, मैं आपसे स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि गरीब को अगर यह विश्वास हो जायगा कि सरकार हमारी गरीबी मिटाना चाहती है, मैं पार्टी के हर एक सदस्य से कहना चाहता हूं कि यदि आप गरीब को यह विश्वास दिलवा दें कि हम गरीबी मिटाना चाहते हैं, और देश में समाजवाद लाना चाहते हैं, यदि यह सरकार समाजवाद नहीं ला पायेगी, यह समाजवाद गरीबों की झोंपड़ी से निकलेगा जिस दिन गरीब यह समझ लेगा कि ये मेरी गरीबी को मिटाना चाहते हैं। लेकिन गरीब को विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, किसी पार्टी के आदमी पर।

वोट का अधिकार है गरीब के पास, इसलिए जन संघ के लोग गरीब के घर जाते हैं। सोशलिस्ट के लोग, प्रजा समाजवाद के लोग गरीब के घरों में जाते हैं। वोट के अधिकार ने गरीब की गन्दी बस्तियों में घुसना इन्हें सिखाया है, वोट ने उस बदबू को सूंघना सिखा ा है। जब अमीर जनता का प्रतिनिधि बन कर गरीब की गलियों में घुसता है तो पता चलता है कि गरीब किस दशा में रहता है वरना राजे महाराजों को पता नहीं था कि वे गरीब किस दशा में रहते हैं। उस गरीब को रहने को केवल एक झोंपड़ी है। उसी झोंपड़ी में वह गरीब खुद रहता है, बेटा रहता है, बेटे की बहू रहती है और पांच छः बच्चे रहते हैं, बकरी भैंस सब उस में बंधते हैं। गोबर, बदबू, कीड़े मकोड़े सारे उस झोंपड़ी में निवास करते हैं। यह है गरीब की दशा। अगर गरीब की गरीबी मिटाने का, छुआछूत को मिटाने का यदि ये प्रतिनिधि, जो साढ़े सात करोड़ जनता के प्रतिनिधि हैं, संकल्प करते हैं तो मेरा विश्वास है कि इस गरीब समाजवाद में चेतना आ सकती है। इस समाज से गरीबी मिट सकती है। यह समाजवाद कहने से या लेक्चर से नहीं आने वाला है। समाजवाद गरीब की झोंपड़ी से निकलेगा। उस वक्त हर आदमी यह सोचता है कि समाजवाद लाये, कैसे लाये, आप भी सोचते हैं, समाजवाद के नारा देने वाले भी सोचते हैं, और समाजवाद की बात करते हैं जिन को समाजवाद की जरूरत नहीं है, समाजवाद चाहिये गरीब को। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे साढ़े सात करोड़ जनता के प्रतिनिधि उस गरीब में विश्वास पैदा करें यदि इस देश और प्रदेश में समाजवाद लाना चाहते हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारी गरीबी को और अमीरों के भेद को मिटाने वाले हैं, हर तरह से सरकार तुम्हें सहयोग प्रदान करेगी। श्रीमन्, यह मैंने थोड़ी सी चर्चा समाजवाद पर कही।

अब मैं शिक्षा के मामले में हरिजनों के ऊपर आना चाहता हूं। आज प्रदेश में १३ लाख छात्र शिक्षा पा रहे हैं इस को माननीय मन्त्री जी ने बताया। १३ लाख छात्रों के पढ़ने के बावजूद हर साल तरक्की होगी, शिक्षा से ही यह समाज उठेगा। शिक्षा से ही समाज में यह क्रान्ति आयेगी लेकिन जितना रिजर्वेशन का ढोंग इस सरकार में इस वक्त है जितनी बेकारी इस समय में हरिजनों में है, दसवीं और ११वीं पास हजारों लड़के गांवों में घूमते हैं, उनकी दशा देखते नहीं बनती है, दसवीं पास लड़का, जो बीस साल पहिले हरिजनों में नहीं मिलते थे, नहीं आज हर गांव में दस दस, पांच पांच हैं जो एक रुपये की मजदूरी या बारह बारह आने की मजदूरी करते हैं। उन को नौकरी नसीब नहीं है, उन को चपरासी की नौकरी नसीब नहीं है। सरकार के हर विभाग में अगर रिजर्वेशन की बात है तो यह रिजर्वेशन का कोटा लड़ाई लड़कर पूरा किया जायगा, यह मेरी समझ में नहीं आता। सेन्ट्रल गवर्नमेंट का आदेश भी आया था कि कमेटी बनायी जाय जो रिजर्वेशन का कोटा पूरा करेगी। हर सेक्रेटरी से पूछेगी कि आप पूरा क्यों नहीं करते? मैं मन्त्री जी से पूछूंगा कि वह कमेटी बनी या नहीं बनी। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने हरिजनों का कोटा पूरा करने के लिए जिस कमेटी के निर्माण की बात कही थी, वह यदि बनी तो उस की कितनी मीटिंग्स हुयीं? उस की अवहेलना करने पर कितने सेक्रेटरीज का जवाब तलब हुआ? यदि रिजर्वेशन पूरा हुआ तो वह गरीब जो आज मैट्रिक और इन्टर पास हैं, जो गांवों में आज टोकरी ढोते हैं, उनको चपरासी की नौकरी या कोई और क्यों नहीं मिली?

आपने टेकनिकल स्कूल खोले हैं, यह बहुत अच्छा किया है। उन के खुल जाने से अवश्य ही हरिजन छात्रों की दशा में सुधार होगा, वह ऊपर उठेंगे। जब हमने राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ा और यह देखा कि इंजीनियर और ओवरसियर के स्थानों पर लिखा है कि वे मिलते नहीं हैं तब डाक्टर साहब ने यह बहुत अच्छा काम किया और कहा कि जो हरिजन लड़का मैट्रिक में साईंस लेगा उस को हम वजीफा देंगे। इस से हरिजन लड़के भी डाक्टर और ओवरसियर निकल सकेंगे। इसके अतिरिक्त एक चीज और डाक्टर साहब की सराहनीय है, वह है ब्लाक स्तर पर हरिजनों की जो लूट होती थी, वह रोकी गयी है।

इसके अलावा बजट में एक चीज को देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। छात्रावास के खर्चे को ८ लाख के बजाय ६ लाख कर दिया गया है। दो लाख रुपया उसका काट दिया गया

[श्री जसराम सिंह]

है। ८ लाख के बजाय १० लाख या १५ लाख कर दिया गया होता, तब तो समझ में आने वाली बात थी, लेकिन यह छात्रावास के अनुदान को काट देने वाली बात समझ में नहीं आयी। जो शिक्षा हरिजनों में क्रान्ति ला रही है, उसी में अनुदान में कम कर दिया जाना, लोगों को खटकने वाली बात है। मैं चाहता हूं कि शिक्षा का रुपया किसी भी हालत में नहीं काटा जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस ग्रान्ट का अनुमोदन करता हूं।

चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप ने इस अनुदान पर बोलने का जो मुझे मौका दिया है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। सरकार की तरफ से यहां ढिंढोरा पीटा जाता है कि हम हरिजनों के हक़ के लिए सब कुछ कर रहे हैं, यह बिलकुल गलत दावा है। यह सिर्फ कागजात की खानापूरी की बात है। मिसाल के तौर पर सीलिंग से जो जमीन बस्तेयाग, हुई है वह हरिजन और पिछड़ी जाति के लोगों को बिलकुल नहीं दी गयी है, सिर्फ कागजात में दर्ज है। इसी तरह से ग्राम समाज से जो नये नये पट्टे हुये हैं, उन में भी हरिजनों को अपने हक से महरूम रखा गया हैं, दूसरे काश्तकारों के नाम पट्टे कर दिये गये हैं।

इसके अलावा देहात के अन्दर हरिजन और पिछड़ी हुई जातियों में छुआछूत और ऊंचनीच अब भी मौजूद है। जहां तक उन की माली हालत का सवाल है देहात के अन्दर अगर किसी हरिजन के यहां शादी विवाह होता है और वह २००–३०० रुपये उधार ले लेता है तो वह और उस के बच्चे तमाम जिन्दगी उस के सूद को देते रहते हैं। जहां तक शिक्षा का सवाल है, सरकार की तरफ से उन को पढ़ाई लिखाई के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है, लेकिन उस में भी जो उसका हक है वह उसे नहीं पहुंच पाता है और वह उस से महरूम रह जाता है। होस्टल में रहने के लिए जो उन की रियायत है वह भी उन्हें नहीं मिल पाती है। जहां तक सरकारी नौकरी में उन को लेने का जिक्र है, सरकारी नौकरियां हरिजनों को नहीं मिल पातीं, और वे अपने हक से महरूम रह जाते हैं। मैं ज्यादा न कह कर इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं अपने बहराइच जिले की बात कहता हूं। मेरे जिले में ४ ऐग्रीकलचरल फार्म्स हैं और पिछले आंकड़ों को देखने से मालूम होता है कि सन् ६२ से अब तक उन में घाटा ही घाटा आ रहा है। इसके अलावा हमारे यहां जंगलात की करोड़ों, लाखों, एकड़ जमीन परती पड़ी हुई है जिन में न कोई प्लान्टेशन हो रहा है, न कोई जंगल ही लग रहा है। अगर फार्म्स वाली जमीन तथा जंगलात की जमीन उन हरिजनों या पिछड़ी जाति के लोगों और भूमिहीनों को दे दी जाती तो उससे उनकी भी गुजर हो सकती है और उसके साथ-साथ अनाज की जो कमी है वह कमी भी दूर हो कर अन्न की पैदावार बढ़ जायगी और सरकार की आमदनी भी बढ़ जायगी और वह भी अपने हक को पा जायेंगे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि क्लाक्स लेबिल पर कोई बैंक ऐसा हो जो हल चलाने वाले हरिजनों और पिछड़ी जाति के लोगों को बिना सूद पर दो चार सौ रुपया कर्जा दे सके, तो वे गांव के पैसे देने वाले महाजनों के चंगुल से बच जायेंगे, जो उनको अधिक सूद पर कर्जा देते हैं और उम्र भर सूद लेते हैं और हल जुताते हैं।

जो यह कहा जाता है कि अपोजीशन वाले ख्वाहमख्वाह सरकार के ऊपर एक ऐब लगाते हैं, इसके लिए और मैं कुछ न कह कर माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि वे खुद अपनी आडिट रिपोर्ट १९६४ की देख लें, उससे साफ हो जायगा कि ४ करोड़ ३२ लाख में से एक करोड़ रुपया खर्च होने से रह गया और चार साल से बराबर यह रुपया एक खाते से दूसरे खाते में बदलता रहा, लेकिन अब तक वह खर्च नहीं हो पाया। इसका कारण यह है कि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारी मोटरों पर इधर उधर घूमते रहते हैं और उन तक नहीं पहुंच पाते जिनको वाकई इन पैसों की जरूरत है या जो पीछे पड़े हुये हैं। लोकतन्त्र के युग में साफ बात यह है कि हर शख्स चाहता है कि वह ऊंचा उठे, तरक्की करे। मान्यवर, हरिजनों और पिछड़ी जाति के

लड़कों के लिए, शिक्षा की मद में योग्यता के आधार पर जो ५० फी सदी रुपया रखा गया है और लड़कियों के लिए २५ फी सदी, वहां गरीबी के आधार पर हरिजनों और पिछड़ी जाति के लड़कों को आगे बढ़ाने के लिए २५ फी सदी रुपया रखा गया है, यह हक उन के पास जाना चाहिये और कोशिश यह होनी चाहिये कि जिसका जो हक हो, वह उसे पा जाय।

अधिष्ठाता महोदय, आखिर में मैं एक शेर पढ़ कर अपनी बात समाप्त करता हूं, जो इस तरह है :—

"जुल्म पर जुल्म बहर हाल किये जाते हैं।
हक भी हकदारों को पामाल किये जाते हैं।।

इस सिलसिले में एक और शेर अर्ज करना चाहता हूं। मंत्री जी ध्यान दें :—

"तुम्हारे रहम पर मौकूफ है मौतो हयात इनकी।
मजदूरी फकत और चाकरी है कुल कायनात इनकी।।"

श्री माताप्रसाद—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उस का समर्थन और विरोधी दल की ओर से जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है, उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

(इस समय ४ बजकर १६ मिनट पर अधिष्ठाता श्री कमलासिंह यादव पीठासीन हुये।)

जहां तक इस अनुदान का सम्बन्ध है और माननीय डाक्टर सीता राम जी का सम्बन्ध है मेरा निवेदन है कि आज समाज में सही रूप से हरिजनों का भला या उत्थान या उन की तरक्की समझने वाले हरिजन-पुत्र ही उस गद्दी पर बैठे हैं, जिन को बैठना चाहिये था, लेकिन, अधिष्ठाता महोदय, आज १८ साल का समय हुआ, सदन में हरिजनों के सम्बन्ध में जब अनुदान आते हैं, तो यहां के राजा महाराजा, इधर और उधर के बैठने वाले, सुनकर और अनुदान पर अपने इजहार कर के चले जाते हैं। पहले हरिजनों की बातें होती थीं, लेकिन आज गुटबन्दी के आधार पर पार्टीबन्दी होती है, आज दफ्तरों में हम देखते हैं कि उनमें १८ प्रतिशत का रिजर्वेशन भी पूरा नहीं होता है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वे अपने विभाग में भी आज १८ परसेंट का रिजर्वेशन पूरा करें, तभी हम लोगों का उद्धार हो सकता है। माननीय मन्त्री जी के हाथ में बहुत बड़ी पावर है। उन्हें साइंस विभाग भी मिला है। अगर ये हरिजनों के बच्चों को साइंस में लगा दें, उन को टेकनिकल स्कूल में भरती करावें, तो ये शिक्षा पा कर के आगे बढ़ेंगे और डाक्टर साहब का नाम और इज्जत बनाये रक्खेंगे। रूस में एक बार क्रान्ति हुई। वहां पर दो पार्टियां थीं, एक थी बोलशेविक और दूसरी थी मैन्शेविक। पहली पार्टी के नेता थे लेनिन और दूसरी पार्टी के नेता थे राष्टपुटीन। आज लेनिन का नाम ही संसार में लिया जा रहा है। अगर आपने इस गिरे हुये समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गंगा प्रसाद]

किया तो यह लेनिन का पद आपको मिलेगा और आज ८० फीसदी हरिजन और बैकवर्ड इस प्रदेश में रहने वाले हैं लेकिन उस अनुपात में उनको उचित प्रतिनिधित्व किसी स्थान पर नहीं मिलता है। एक भाई ने कहा कि कांग्रेस में पार्टीबाजी है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उनकी पार्टी में भी तो यही हाल है तो नक्शा आज बदल रहा है, हरिजन जाग रहा है। माननीय मन्ना लाल जी ने कहा कि हरिजन का अभी तक कोई उद्धार नहीं हुआ। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि गांधी की छत्रछाया में और कांग्रेस की छत्रछाया में हरिजन आगे बढ़ रहे हैं, वे जागृत हैं और अपने अधिकारों को पहचान रहे हैं।

अब, श्रीमन्, कुछ शब्द मैं विमुक्त जातियों के बारे में कहना चाहता हूं क्योंकि मैं उनका प्रतिनिधि हूं। हमारी हालत अंग्रेजी राज्य में अच्छी थी और आज हालत यह है कि विमुक्त जातियों को जहां जहां बसाया गया, वहां पुलिस उनको धारा ३९५, ३९६ और ३७९ में रोजाना घेरती है। खीरी लखीमपुर, गोपालपुरा, मुजफ्फरनगर की शिक्षाना जगह पर जो बावरिया कालोनी है वहां की औरतों को पकड़ कर थाने में लाया गया और उनके शील भंग किये गये। ये सारी चीजें आज डाक्टर सीताराम के पास पहुंच चुकी हैं और हमारे डायरेक्टर साहब भी इन्क्वायरी कर के आये हैं। आज उनको सताया जा रहा है। अभी बहराइच में कुछ लोग गोंडे के बल खरीदने गये थे, १,६०० रुपया उनके पास था वह रुपया उनसे छीन लिया गया और छीनने के बाद उनको ३२५ में बन्द कर दिया गया और वहां के दारोगा साहब ने छापा मारा और एक आदमी के यहां से ९०० रुपया ले गये, कम्बल ले गये, शाल ले गये और चीजें छीन ले गये। तो यह पुलिस का रवैया उनके प्रति है, अब आप ही बतायें कि कैसे उन का उत्थान होगा।

माननीय सीताराम जी ने जो ऐलान किया कि १९६६–६७ में गोंडा में आश्रम टाइप का स्कूल खोला जायगा, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। पर साथ ही इतना निवेदन है कि ऐसा न हो कि जिस प्रकार १९६५–६६ में यही चीज आयी थी, और वह रुक गयी थी, यह योजना पूरी नहीं हुई थी, उसी प्रकार इस बार भी हो। इसको कार्य रूप में परिणत किया जाय।

बमरौली में जो विमुक्त जातियों की कालोनी है उसका आप निरीक्षण करें। वहां आज बंगाल और बिहार के आदमियों को विमुक्त जाति के नाम पर बसाया गया है। विमुक्त जाति के लोग वहां नहीं हैं। मैं डाक्टर सीताराम और उनकी सभा सचिव, तारा भाभी जी, को बधाई देता हूं कि गोंडा में उन्होंने तुलसीपुर के मेले में जहां सैकड़ों वेश्यायें आती थीं उस को अधिनियम लगा कर के बन्द कर दिया। साथ ही साथ यह कहना चाहता हूं कि गोंडा में हमारे डायरेक्टर गये थे उन्होंने देखा है कि गोंडा की जो वेश्यायें हैं उन्होंने अपना एक संगठन बनाया है और उसका रजिस्ट्रेशन भी करा रही हैं। वह चाहती हैं कि उनकी जीविका का साधन आपके विभाग की तरफ से हो। मैं चाहता हूं कि एक शरणालय उनके लिए गोंडा जिले में खोलने की मन्त्री जी कृपा करें ताकि उन की आजीविका इज्जत के साथ चल सके और जो उनका व्यापार है, उसमें कमी हो और उनकी लड़कियों को पढ़ने के लिए एक-आधा स्कूल खोल दें।

आज समाज में हरिजन लोग नौकरी पा जाते हैं, लेकिन विमुक्त जाति के लोग नहीं पाते। उनको यह कह कर निकाल दिया जाता है कि तुम चोर हो और बदमाश हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर क्या विश्वास किया जाय? इसलिए मैं चाहता हूं कि इन जातियों के लिए १८ फीसदी का रिजर्वेशन पूरा किया जाय।

श्री रघुबीरसहाय कंधवार (जिला फतेहपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं, कि आपने मुझे हरिजन अनुदान पर बोलने का समय दिया। श्रीमन्, हमारे प्रदेश में हरिजनों की संख्या लगभग

१/४ है और पिछड़ी जातियों की संख्या ५५ फी सदी है। इस १९६६–६७ के वर्ष का बजट २९२ करोड़ का है और प्रदेश की इस ८० फीसदी हरिजन व बैकवर्ड जनता के कल्याण के लिए इस सरकार ने जो २ करोड़ ६५ लाख के लगभग रुपया रखा है वह पूरे विशाल बजट का १/१०० से भी कम है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यही इस सरकार के समाजवाद और हरिजन कल्याण का द्योतक है। बड़े दुःख की बात है कि जिस समाज पर आज प्रदेश आश्रित है, जिस बहुसंख्यक पिछड़ी जनता के परिश्रम की कमाई पर आज प्रदेश की जनता व सरकार अठखेलियां कर रही है, उसी की ही अवहेलना की जाय और उसे सुविधायें न दी जायं। यदि आप वास्तव में हरजिन कल्याण चाहते हैं तो आपको उसी तरह मजबूत बनना होगा जिस तरह से डाक्टर अम्बेदकर थे और आज श्री जगजीवन राम जी हैं। श्री जगजीवन राम ने अपने विभाग में रिजर्वेशन निशंक हो कर दिया जिससे उन्हें मन्त्रिमण्डल से भारत सरकार ने हटाया किन्तु उनकी मजबूती के कारण उन्हें विवश होकर पुनः भारत सरकार को मन्त्रिमण्डल में लेना पड़ा। अस्तु आप भी मजबूत बनें। दूसरी बात मैं शिक्षा के सम्बन्ध में बतलाना चाहता हूं। आज शिक्षा तथा नौकरी के लिए रिजर्वेशन हैं लेकिन शिक्षा में सौतेली मां जैसा व्यवहार होता है। योग्य छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, जो नालायक होता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने की क्षमता नहीं रखता, उसे ही शिक्षा संस्थायें छात्रवृत्ति दिलाती हैं। इसी से हरिजनों में शिक्षा की प्रगति नहीं होती। हरिजनों का वजीफा साल के अन्त में दिया जाता है जिससे उनको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वे फेल हो जाते हैं।

नौकरी का जहां तक सम्बन्ध है, थर्ड डिवीजन में पास होने वाले हरिजन रखे ही नहीं जाते। फर्स्ट तथा सेकिंड आने वालों को जिला परिषदों में रखा जाता है जो वास्तव में सरकारी नौकरियों में रखे जाने चाहियें और थर्ड को जिला परिषदों में रखना चाहिये। इन्हीं तिकड़मों के कारण हरिजन रिजर्वेशन पूरा नहीं हो रहा है। अभी हाल में मैंने सवाल किया था कि उत्तर प्रदेश में कितने जिलाधीश हैं। तीन वर्षों के अन्दर ५ जिलाधीश बतलाये गये और पांचों निकाल दिये गये और मेरे प्रश्न पर १–२–६६ को ३ जिलाधीश रखे गये बताये गये जिन में से दो पी० सी० एस० हैं और १ आई० सी० एस० और जब १३ आई० ए० एस० हैं तो पी० सी० एस० को रखने का मतलब यही है कि सरकार संरक्षण देने के पक्ष में नहीं है। जब यह हाल जिलाधीशों का उत्तर प्रदेश में है, तो बैकवर्ड हरिजन को मामूली शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को रखने की कौन कहे? परन्तु माननीय मन्त्री जी को सोचना होगा कि सरकार के पक्षपात के कारण ही फतेहपुर में ६ सीटों में से ५ इसीलिए हरिजन व बैकवर्ड द्वारा जीती गयीं। अगर सरकार ने इधर ध्यान नहीं दिया तो कागजी प्रलोभन से काम चलने वाला नहीं है और अगर हरिजन कल्याण और उन के अधिकारों का इस तरह से अवहेलना करने का प्रयास किया गया तो स्थिति गम्भीर हो जायगी, और हरिजन-बैकवर्ड मिल कर सरकार का तख्ता पलट देंगे। इस लिए इस पर मन्त्री जी को भी ध्यान देने की आवश्यकता है श्रीमन, अस्पृश्यता निवारण की बड़ी धूम मची हुई है, कानून बना हुआ है। लेकिन मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में इसको लागू किया गया है और किन जिलों में यह कामयाब हुआ है। मैं समझता हूं कि शायद ही किसी जिले में २/४ केस चलाए गए हों लेकिन वह भी नाकामयाब हुए हैं। और इसलिए नाकामयाब हुए हैं कि आज जो गद्दी पर बैठे हैं और जो काम कर रहे हैं वे सामन्तवादी वर्ग के हैं और वे लोग हरिजनों का कल्याण नहीं चाहते हैं और हमारी सरकार नौकरशाही की गुलाम है। इसलिए वह अपनी बात इनसे मनवा नहीं पाती है और नौकरशाही अपनी मर्जी से काम करती है।

श्रीमन, जहां तक समाज कल्याण की बात है, सवर्ण वर्ग के लिए तो बहुत विशाल बजट है ही, साथ ही उसके और हरिजन (बैकवर्ड जनता) समाज कल्याण के नाम पर धन दिया गया है। उसे भी आर्थिक हैसियत निर्धारित करके उसी के आधार पर अधिकतर रुपया सवर्ण वर्ग को

[श्री रघुवीरसहाय कैथवार]

दिया जाता है। माननीय मन्त्री, मैं आपको फतेहपुर जिले की हालत बताऊं। वहां पर श्री हरिशंकर तिवारी जिलाधीश थे। उनसे हमने लड़कर के हरिजनों को नौकरियों में रखाया और किन्हीं अंशों में उन्होंने हरिजन संरक्षण बढ़ाया लेकिन आजकल जो श्री अनिरुद्ध पांडेय जिलाधीश हैं उन्होंने हरिजनों को रखने की कौन कहे, जो नौकरी में थे उन्हें निकाल दिया। चपरासियों, अमीनों, लेखपालों, क्लर्कों को भी उनके सुरक्षित स्थान से निकाल दिया गया। मैं तो यहां दावेसे कहने के लिए तैयार हूं कि चपरासियों में भी मुश्किल से ५ फीसदी हरिजन होंगे। इसलिए यह हरिजन व समाज कल्याण नहीं बल्कि उनके साथ एक खिलवाड़ हो रही है। फतेहपुर जिले के श्री अनिरुद्ध पांडेय जी ने छांट-छांट कर हरिजनों को निकाला है। उन्होंने हरिजनों के सुरक्षित क्लर्कों, चपरासियों, अमीनों, ग्राम सेवकों, मन्त्रियों और लेखपालों के पदों पर भी ब्राह्मणों को ही रखा है। यह कार्यप्रणाली समाज कल्याण की नहीं है, हरिजन कल्याण की नहीं है, बल्कि शोषक सामन्ती और जातिवादी है। लेकिन हरिजन इसको सहते चले आ रहे हैं। किन्तु सरकार व उसके लाडले अधिकारियों के ऐसे कारनामों का नतीजा आप स्वयं देख रहे हैं कि उधर शासक दल की ओर कितने हरिजन विधायक जीत कर आए हैं और विरोधी पक्ष के कितने आए हैं; और यही रवैय्या रहा तो ६७ में आप सही नतीजा देखेंगे। इसलिए आप सरकार को मजबूर करें कि वह हरिजन बैकवर्ड के आनुपातिक अधिकार स्वेच्छा से देने में तत्परता करें।

श्रीमन्, पारसाल मन्त्री जी ने घोषणा की थी कि ४५ फीसदी चपरासियों की जगह, २५ फीसदी क्लर्कों की और १८ फीसदी अन्य जगहें हरिजनों को दी जायेंगी। लेकिन इस साल तक उसका उल्टा हुआ है और नौकरियों में पिछले साल से उनकी संख्या में कमी हुई है। इसलिए, मान्यवर, बहुत जरूरी है कि इस पद दलित पिछड़े हुए बहुसंख्यक समाज को उठाने के लिए मन्त्री जी सरकार से टक्कर लें, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस सरकार से हरिजन कल्याण की कतई आशा नहीं है। हरिजन कल्याण के लिए प्रदेश में एक क्रान्ति होनी चाहिए और यह हरिजन व सवर्ण सभी विधायकों के करने से ही हो सकता है। माननीय जगजीवन राम जी को क्यों दुबारा रखना पड़ा? उनको इसलिए निकाला गया था कि उन्होंने हरिजनों के कोटे को पूरा करने की कोशिश की थी। लेकिन उनके बल का अन्दाजा लगा कर सरकार ने फिर उन्हें मन्त्रिमण्डल में लिया। यह सरकार तो प्रभुता में मदान्ध है। इसलिए यह सोचती भी नहीं है कि उसकी संख्या डेढ़ आना है और हरिजन बैकवर्ड १४ आने हैं इसलिए आप सरकार से लड़ें और हरिजनों के अधिकार दिलायें। यह मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप श्री अनिरुद्ध पांडेय, जिलाधीश फतेहपुर को, जिन्होंने जातिवाद का विष फैला कर हरिजनों के अधिकारों का हनन किया है और मेरे द्वारा विरोध करने के कारण मेरे ऊपर कई झूठे मुकदमे चलाए तथा मुझे खतरा पहुंचाने के प्रयास में हैं और मेरा रिवाल्वर का लाइसेन्स मंसूख करने की फिक्र में हैं तथा हरिजनों की प्रगति की स्वजातीय हरिजन कल्याण अधिकारी की मिली भगत से उपेक्षा की है, जिलाधीश के पद से हटवावें। अन्यथा फतेहपुर में तो किसी प्रकार का हरिजन कल्याण नहीं हो सकता। मान्यवर, भारत सरकार ने गरीबों और बैकवर्ड क्लास के लिए समाज कल्याण के अन्तर्गत छात्रवृत्ति की ग्रांट दी लेकिन उस प्रदेशीय सरकारों ने प्रतिबन्ध लगा दिया है कि आर्थिक हैसियत के आधार पर दी जाय। इस प्रकार सवर्ण वर्ग को ही अधिकतर ग्रांट देकर बैकवर्ड समाज की भी उपेक्षा हो रही है। माननीय मन्त्री जी जिलों से आंकड़े मंगा कर देखें कि इस समाज की किस प्रकार उपेक्षा हो रही है। माननीय माल मन्त्री ने बहुत लम्बी चौड़ी घोषणा की है कि भूमिहीनों को जमीन दी जायगी लेकिन सारी भूमि बड़े-बड़े काश्तकार अपनाए हुए हैं। हरिजनों को जो कुछ भूमि दी भी गयी है उसको बड़े-बड़े काश्तकार जबरन छीन रहे हैं और यदि हरिजन बोलते हैं तो उन्हें गांव से भगा दिया जाता है और उनका चालान करवाया जाता है। उनको अपने दरवाजे पर भी चारपाई पर नहीं बैठने दिया जाता। गांवों में हरिजनों को साफ कपड़ा पहनने नहीं दिया जाता। इसलिए मैं उपस्थित माननीय माल मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे कमसे कम भूमिहीनों को

भूमि तो दिला दें और अपने विभाग में हरिजन संरक्षण पूरा करा देवें। इन शब्दों के साथ में ठाकुर साहब से यही आशा करूंगा कि आप हरिजन कल्याण के लिए ठाकुर का वास्तविक रूप अख्तियार करेंगे और हरिजन अधिकार देने को तुल जावेंगे तो जरूर हरिजनों का कल्याण देहातों में दिखाई देगा।

श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

अधिष्ठाता महोदय, जो माननीय माल मन्त्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। उधर के बैठने वालों ने बहुत सी बातें कहीं और यह कहा कि १७–१८ साल में आजादी प्राप्त होने के बाद, हरिजन उत्थान का कोई कार्य नहीं हुआ। कम से कम मैं उस बात को नहीं मानता। कार्य हुआ है। यह बात हो सकती है कि जितना कार्य होना चाहिए था उतना नहीं हुआ।

आज बड़ा दुख होता है जब हम देहात की तरफ जाते हैं। अभी गंगा प्रसाद जी बैठे हुए थे। माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित किया गया। औरतों को इकट्ठा किया गया एक थाने में, नंगा किया गया और नंगा करने के बाद उनके साथ क्या-क्या नहीं किया गया। सरकार का ध्यान दिलाया गया। इसकी जांच हुई। जांच होने के बाद आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। हरिजनों के लिए, आज भी पानी वगैरह का इन्तजाम नहीं हो पाया। जिस देश में पानी की व्यवस्था न हो जो इंसानियत के लिए पहली चीज है, जिसका आज तक सर्वे न किया गया हो, कि कहां-कहां पर आवश्यकता है, तो और क्या कहा जाय हरिजन कल्याण के सम्बन्ध में? क्या इंसानियत ने कभी सोचा है कि एक बाल्मीकि महिला पाखाने का टोकरा सुबह चार बजे ले जाती है, उसकी नाक, आंख और हाथ से उसका केवल तीन फीट का फासला होता है, एक तरफ उस पाखाने को समाज नफरत करता है दूसरी तरफ उसी समाज का एक व्यक्ति उसे अपने सर पर रखता है। यह कौन-सी समाजवाद की व्यवस्था है? क्या सरकार को यह मालूम नहीं है कि आज जिसको इंसान कहते हैं वही इंसान आज भी गोबर से अन्न निकाल कर सुखा कर खाता है? क्या है आपका समाजवाद, क्या है हमारा जनतन्त्र? हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना बनायी, द्वितीय पंच वर्षीय योजना बनायी और तृतीय पंच वर्षीय योजना बनायी जो विषमता—आर्थिक और सामाजिक—चली आती थी उसकी खायी दूर-दूर तक होती गयी। आखिर प्लानिंग किस के लिए है? आज इंसानियत को यह चैलेन्ज है कि एक आदमी का परिवार है। एक छोटा-सा मकान है। उसी में वह सोता है, उसमें उसकी लड़की सोती है, उसी में खाना बनता है और उसी में वह भैंस पालता है। न रहने का इन्तजाम है न कोई प्रबन्ध है। तो १८ साल आजादी के बाद इन चीजों का भी इंतजाम नहीं कर पाए तो समाजवाद या जिस जनतन्त्र की हम दुहाई देते हैं उससे कोई लाभ हुआ है? आज भी रिजर्वेशन का पालन नहीं होता। क्या कोई ज्वाइन्ट रेस्पांसिबिलिटी नहीं है? क्यों नहीं होता सरकार के नियमों का पालन, जब कि हरिजन विभाग का कम्युनीकेशन निकला? आज मनोवृत्ति खराब है। जी०ओ० निकलते हैं लेकिन नीचे जा कर वह बिलकुल बेकार हो जाते हैं। उनका पालन नहीं होता। माननीय मंत्री जी एक विभाग का नाम भी बतला दें जहां पर चपरासी से ले कर ऊंची नौकरियों तक रिजर्वेशन का पालन हुआ हो। जिन सरकारी कर्मचारियों ने उस जी० ओ० का पालन नहीं किया उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई? गांधी जी कहा करते थे कि हमें जुल्मों के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। आज समाज में सामाजिक और आर्थिक विषमता कैसे दूर हो, यह सोचना है और करना है। अगर दूर नहीं होती तो आपका समाज, जनतन्त्र और प्लानिंग बेकार होगा।

अब मैं थोड़ा सा प्रोबेशन आफिसर्स के बारे में कहना चाहता हूं जिनके पद सरकार समाप्त कर रही है। उनका महत्व है। एक ऐक्ट के अन्तर्गत जो कार्य किया जाता है उसकी परम्परा है। यह बहुत पुराना मुहकमा है। यह हरिजन विभाग में लगाने के बाद, हरिजन विभाग के कार्य करने की पद्धति का सवाल है। उसको भी सरकार नहीं चाहती। इन चन्द शब्दों के साथ में माननीय मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय धर्मसिंह जी ने जो कुछ अपने बयान में कहा उसको मैंने सुना, पहले उन्होंने कहा कि हरिजनों या पिछड़ी हुई जातियों का बहुत बड़ा काम हुआ है, किन्तु जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। लेकिन बाद को जब उनका भाषण मैंने बड़े ध्यान से सुना तो उसमें मुझे बड़ी ही विरोध सा दिखाई दिया। हां, इतना अवश्य हुआ कि कांग्रेसी शासन ने १८ वर्षों में हरिजन की दशा का जो भीषण चित्र उन्होंने खींचा है, उसको छिपाने के लिए बहुत सुन्दर-सुन्दर फूल कीचड़ से खिलाए हैं, जिसमें डाक्टर सीताराम, गिरधारी लाल जी और भाई धर्मसिंह जी भी उन्हीं फूलों में से एक हैं, जिनको हर आफत के समय में दिखा कर हरिजनों के भीषण जीवन चित्र को सरकार छिपाना चाहती है। और उनको सामने रखकर उन दबे हुए लोगों को अपने पंजों में सरकार रखना चाहती है और अपनी गद्दी को बनाए रखना चाहती है। यदि आजादी के १८ वर्षों में आप उन्हें लखपती न बनाते, जमीन न देते, तो कोई परवाह की बात नहीं थी, लेकिन उनकी मान-मर्यादा और इज्जत की यदि रक्षा इस शासन में हो गई होती तो सब हो जाता। कांग्रेसी शासन में उनके इज्जत और मान-मर्यादा की कोई गारन्टी नहीं हुई है। उनकी मान और सम्मान पर आज भी आजादी के पहले के दिनों की तरह हमला होता है। भाई धर्मसिंह जी ने गोंडा की दास्तान रखी, लेकिन मैं कहता हूं कि आज इस तरह की दास्तानें नित्य प्रायः हर जिले में, प्रदेश के हर कोने में होती हैं। जाति पांति को हटाने के लिए निर्वाचन आयोग ने तो वोटर लिस्ट से वर्मा, शर्मा, यादव आदि शब्दों को हटा दिया है, लेकिन इस सरकार ने जाति-पांति की प्रथा को बहुत मजबूत किया है, पहले से ज्यादा मजबूत इस सरकार ने आज किया है, और उसमें विषमता बढ़ रही है। यह सरकार जाति-पांति के आधार पर आज असेम्बली के टिकटों का बंटवारा करती है और कहती है कि हम जाति-पांति को मिटाना चाहते हैं। जब टिकटों का बंटवारा करती है तो टिकट लेने वालों से यह पूछा जाता है कि आपकी जाति के लोग आपके क्षेत्र में कितने रहते हैं? उनका कितना प्रतिशत है? और उनके वोट आप को मिल सकते हैं या नहीं जहां यह सवाल कोई दल या सरकार करती हो, क्या वहां कभी जाति-पांति प्रथा कमजोर होगी? कभी नहीं हो सकती।

बैकवर्ड जाति के लोगों की उन्नति के लिए सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, इसका एक ही बड़ा सबूत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बैकवर्ड कमीशन का निर्माण हुआ उसने लाखों रुपया खर्च कर दिए हिन्दुस्तान के दौरे करने में। लेकिन यह रिपोर्ट कोल्ड स्टोरेज में जैसी छपी थी वैसी ही डाल दी गयी और आज तक वह उसमें पड़ी ठंढी हो रही है। उस पर कोई अमल नहीं हुआ। कमीशन ने ऐसी कोई आपत्तिजनक सिफारिश नहीं की थी कि हरिजनों और पिछड़े हुए लोगों के हाथ में पूरे भारत का राज्य सौंप दिया जाय। यदि ऐसी सिफारिश की भी होती और ऐसा कर भी दिया जाता, तो भी कोई अन्याय नहीं होता। प्रदेश में जो ७ करोड़ रहने वाले लोग हैं उनमें हरिजन तथा पिछड़ी जाति की संख्या ज्यादा है लेकिन उन पर वे लोग कब्जा किए बैठे हैं। जिनकी तादाद केवल १५ बीस फीसदी है आर्थिक तरीके से, सामाजिक तरीके से, और शैक्षिक तरीके से पिछड़ी जातियों को बिलकुल दबाकर रखा गया है। मैंने आजादी के बाद में सोचा था, जब मैं आजादी के मूवमेंट में आया और उस समय छोटा सा था, रेख भी नहीं निकली थी, कम पढ़ा लिखा था, लेकिन एक जोश था कि मुल्क आजाद हो जायगा तो हम दबे पिछड़ी जाति तथा हरिजन लोग जो मारे-मारे फिरते हैं, काम नहीं मिलता है, उनको काम मिलेगा, उनकी तरक्की हो सकेगी, तो मैं भी उसमें कूदा था। तो मैं भी इसमें कूदा और मैंने भी मुल्क की आजादी की लड़ाई में जो हिस्सा बंटा सका बटाया। अंग्रेज चले गए और कांग्रेसी राज्य को १८ वर्ष हो गए लेकिन वही ढांक के तीन पत्ते, चौथा पत्ता नहीं निकल सका, जहां हम थे वहीं वैसे ही अब भी हैं। जातियों के आधार पर पिछड़ापन निश्चित होने पर कुछ लोगों को सहूलियतें पहले जो थोड़ी बहुत हो जाती थी, पिछड़ेपन का आधार है।

संविधान में कोई चेंज नहीं किया गया कि अब वह सहूलियतें सम्भव नहीं रहीं पर पिछड़ेपन का आधार आर्थिक बना दिया गया कि जो सरकार चाहे अपने यहां आर्थिक आधार पर इसको कर दें। हमारे सूबे के अन्दर भी पिछड़ेपन को आर्थिक आधार पर माना जाने लगा। और

यह आदेश हो गया कि जाति-पांति के आधार पर पिछड़ापन निश्चित करना बन्द कर दिया जाय और यह इसलिए किया गया कि उन्हीं २५, ३० फीसदी लोगों को फायदा पहुंचना था, कैसे पहुंचता? बैकवर्ड के नाम पर उनको उन्हीं के सुपुर्द कर दिया। अभी मेरे एक भाई कह रहे थे कि ४ सौ ५ सौ वजीफे में से ११२ एक विशेष जाति के लोगों को दे दिये गये और जिनकी आमदनी कम थी और जिनका खर्चा नहीं चलता था उनको उससे महरूम रखा गया। आप समझ सकते हैं कि या मन्त्री जी समझ सकते हैं कि इसका क्या राज है? मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों का पैसा नहीं दे सकते हैं तो मत दीजिए। पैसा बांट करके उनका आप कल्याण चाहे करें या न करें लेकिन यह बात अवश्य कर दें कि कम से कम टेक्निकल स्कूलों और मेडिकल कालेजों में इनकी भरती में वरीयता दे दीजिए। हम मजदूरी करके पढ़ेंगे, हमें वरीयता तो दीजिए। एक आदमी जो बरसों से पहलवान था और एक जो कल से शुरू कर रहा है उन दोनों को लड़ने को छोड़ दीजिए, यह तो अन्याय होगा। हम हमेशा के लिए आपसे यह रियायत नहीं चाहते हैं लेकिन जब तक समाज में इनका स्तर बराबर न आ जाय और उनमें समाज के अन्य लोगों के समकक्ष दौड़ने की हिम्मत न पैदा हो जाय तब तक के लिए दीजिए, बाद में हटा दीजिए। मैं आपको बधाई देता अगर आप यह ऐलान करते कि मेडिकल कालेजों में, टेक्निकल स्कूलों, इंजीनियरिंग कालेज में आपने बैकवर्ड और अछूत जाति के विद्यार्थियों को भरती के लिए वरीयता दी जायगी। इस साल एक भी हरिजन जाति के विद्यार्थी मेडिकल कालेज में नहीं जा सका। आपने एक सीमा निर्धारित की। उसमें हरिजन छात्र नहीं आ सके, आपने कहा कि उसको नहीं लेंगे। आपने जब सीमा निर्धारित की थी तो आपको यह भी करना चाहिए था कि हरिजन न मिले तो बैकवर्ड क्लासेज के छात्रों को ले लिया जाय। लेकिन न आप हरिजन लेंगे न बैकवर्ड और इसीलिए एक भी छात्र वहां मेडिकल कालेज में नहीं पहुंच सका। इस शर्त के निर्धारण से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक भी हरिजन या पिछड़ी जाति का आदमी इन संस्थाओं में नहीं पहुंच सकता है और जब तक इस प्रदेश के ७०–८० फीसदी लोग पिछड़ी जाति के हैं अगर इनकी तरक्की नहीं होती तो प्रदेश की तरक्की नहीं हो सकती। जब तक उनके अन्दर यह भावना नहीं पैदा होती कि इस मुल्क में जो तरक्की होगी उसका प्रतिफल हमको भी मिलेगा। तब तक आपकी, समाज की, मुल्क की तरक्की न होगी सम्मान सुरक्षित नहीं रहेगा।

श्री सुक्खनलाल (जिला मुरादाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, आज हरिजन बजट पर दोनों तरफ से हुए भाषणों को मैंने सुना और आज भी वही बातें कही गयी हैं जो हम लोग बराबर सुना करते हैं। हरिजन विभाग भी हरिजन समस्या के समाधान के लिए खुला और यह आशा की गयी कि इस विभाग के द्वारा जो हरिजन समस्या है वह हल की जायगी। यह समस्या तीन प्रकार की है, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। अगर इन तीनों पर हम विचार करें कि इन १८ सालों में क्या हुआ, तो इनमें बहुत कुछ परिवर्तन हुए हैं। हरिजनों की आर्थिक दशा में परिवर्तन हुआ है, राजनीतिक दशा में भी परिवर्तन हुआ है। लेकिन जो सामाजिक दशा है जिसके लिए हम सब ही जिम्मेवार हैं, वह बहुत पिछड़ी हुई है। जब अस्पृश्यता का चर्चा करते हैं तो सरकार का इसमें दोष बताते हैं। आज १८ साल के बाद भी हम हरिजनों को पूरी तरह से समाज के बराबर नहीं ला सके। तो मैं अपने सामने बैठने वालों से और इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि यदि वे अपने-अपने हृदय पर हाथ रखकर इसका विचार करेंगे तो उनको पता चलेगा कि इसका कलंक किस पर आता है। यह अस्पृश्यता का ऐसा कलंक है जिसको सरकार दूर नहीं कर सकती है। यह उस समय तक दूर नहीं हो सकता है जब तक समाज के अन्दर जिम्मेवार व्यक्ति, जो यहां पर जनता के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, वे इस बात के लिए प्रयत्न न करें। अगर वे अपने क्षेत्रों में जाकर, अपने घरों में और परिवारों में इस अस्पृश्यता को दूर कर दें तो यह एक दिन भी नहीं रह सकती है लेकिन उनके भाषण तो बड़े सुन्दर होते हैं। वैसे अस्पृश्यता का विरोध करते हैं। उनके लाभ की बात नहीं कही जाती है लेकिन हरिजनों से हमदर्दी यहां

[श्री सुक्खन लाल]

पर बहुत जाहिर करते हैं। साल भर में जो एक दिन बजट का आता है उनके प्रति जितनी सहानुभूति हो सकती है हरएक सदस्य दिखाने का प्रयत्न करता है लेकिन प्रति दिन व्यवहार जो कुछ भी हमारे माननीय सदस्य देखते हैं उसम कहां तक इनका सहयोग हरिजन उत्थान में होता है, हरिजनों को आगे बढ़ाने में कितना सहयोग देते हैं यह किसी से छिपा हुआ नहीं है।

अभी हरिजन अनुदान की बात आई। मैं माननीय मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने विकास खण्ड में हरिजनों के अनुदान को रखा। कुछ दिनों से माननीय सदस्यों का अनुरोध था कि विकास खण्डों में जो रुपया हरिजन अनुदान का जाता है वह उसी तरह से वितरित किया जाय जिस तरह से वे चाहते हैं। सब जानते हैं कि किस तरह से उसका वितरण किया गया और किस तरह से उस पर अमल किया गया। यहां सदन में आकर कहते थे और चर्चा करते थे कि वहां पर अत्याचार हो रहा है लेकिन किसी माननीय सदस्य ने यह कहीं कहा कि इस तरह का अत्याचार करने वाला कौन है। उसके करने वाले हम ही हैं। यहां पर करने वाले जो बैठे हैं वही अपने नौकरों के नाम और अपने हलवाहे के नाम पर स्वीकृत कर देते हैं। विकास क्षेत्र में हरिजन अनुदान वह अपने प्रभाव से स्वीकार करा लेते हैं। फिर वह इस दोष से अपने आप को बचाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह सारी जिम्मेदारी आपकी है। जब यहां पर इस को कहा गया कि इसका वितरण बहुत बुरे तरीके से हो रहा है तो माननीय मन्त्री जी ने इसकी बदला और आज भी जब लोगों से यह चर्चा सुना तो मैंने देखा कि उस हरिजन अनुदान का जो लोग लाभ उठाते थे और इसका लाभ उठाने के आदी हो गये थे वही विरोधी कर रहे थे। जिस व्यक्ति को हमदर्दी है वह अच्छी तरह से जानते हैं कि हरिजनों को किस तरह से यह अनुदान मिलता है। उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है।

जहां तक हरिजन उद्योग का सम्बन्ध है, उनके लिए जितना भी यह उद्योग का कार्य है वह योजना बिलकुल बेकार है। किसी माननीय सदस्य ने इसका सुझाव नहीं दिया। आज हरिजनों को एक तरह से टुकड़ा दिखाकर लालच दिया जाता है। हरिजन अनुदान उनके काम नहीं आता है। २००, २५० और १०० रुपए के आधार पर उनको सहायता दे कर हरिजनों का सुधार करना चाहते हैं। १००, २५० और २०० रुपए के लिए अगर आप नियम देखें तो आपके ऐसे नियम हैं कि जिससे आदमी परेशान हो जाता है। वह जाकर तहसील में जमानत कराए। जमानत लाए और जमानत के लिए १२ साला दिखाए। उसके बाद तस्दीक करे। २५० रुपए के लिए उसकी सारी इनर्जी खत्म हो जाती है। बाद में वह बेचारा गरीब हरिजन आकर घर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे नहीं चाहिए। माननीय मन्त्री महोदय से आपके द्वारा निवेदन है कि अगर इस अनुदान को शिक्षा की तरफ लगा दें तो मैं समझता हूं कि हरिजन का ज्यादा कल्याण होगा। शिक्षा का अनुदान जितना भी है वह किसी माने में हमारे हरिजनों को लाभकारी हुआ है। लेकिन उसके वितरण का जो तरीका है उसमें सुधार होना चाहिये। जो भी प्राइवेट संस्थायें हैं उनमें जो वजीफा दिया जाता है वह समय पर नहीं दिया जाता। सन् ६४–६५ का वजीफा अभी तक बच्चों को नहीं मिल पाया है। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि महंगाई के साथ साथ पढ़ने-लिखने की चीजों के मूल्य भी बढ़ गये हैं। तो जहां सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन-वृद्धि की बात सोच रही है, उसके साथ ही हरिजनों की शिक्षा की छात्रवृत्ति में भी वृद्धि की बात वह सोचे। पुरानी दर पर जो कुछ उन्हें मिलता है उसमें उनका खर्चा पूरा नहीं पड़ पाता। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, समय बहुत सीमित है इसलिये मैं थोड़े ही में अपने विचार निवेदन करूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह एक भावना सी फैल गयी है कि कांग्रेस सरकार हरिजनों के लिये सब कुछ करती है और हरिजनों में इसका प्रचार किया जाता है कि कांग्रेस की तरफ से ही सब कुछ हो रहा है। मैं इस पर थोड़ी बात कह कर ही आगे चलूंगा।

इसके लिये मुझे कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं। प्रमाण सामने हैं। बाबू संपूर्णानन्द जी के जाने के बाद माननीय गिरधारी लाल जी मुख्य मंत्री होते होते रह गये। कांग्रेस ने हरिजनों के लिये बड़ा काम किया और वह यह कि गिरधारी लाल जी मुख्य मंत्री होते होते रह गये। इस बात को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मुझे भी पक्का विश्वास था कि वह हो रहे हैं, लेकिन हुए नहीं।

दूसरी चीज, श्रीमन्, यह कि हमारे सामने डाक्टर सीताराम जी बैठे हुए हैं, कृषि के प्रकाण्ड पंडित। अमरीका के कैलीफोर्निया से पास कर के आये, कृषि विभाग में डिप्टी डाइरेक्टर नियुक्त हुए, किसी और कारण से नहीं, अपनी योग्यता के बल पर और वहां से छोड़ कर जब इस तालाब में आये तो यहां मिला हरिजन कल्याण। क्या उनको कृषि विभाग नहीं मिल सकता था? क्या उनमें गृह विभाग सम्हालने की क्षमता नहीं थी? मगर यह कांग्रेस सरकार का नमूना है। आप हरिजनों के बड़े भारी पृष्ठपोषक हैं, ऐसे योग्य आदमी को ऐसे विभाग में लाकर पटक दिया कि जहां उनके पास कोई काम नहीं है। इतना ही नहीं, अभी अभी धर्म सिंह जी बोल रहे थे, डिप्टी मिनिस्टर थे, लेकिन आज क्या हैं? देखा जाय तो मालूम होगा कि एक नहीं, अनेक हैं। वीर सेन जी हैं और दूसरे लोग हैं। जो योग्य तो थे, लेकिन उनको या तो हटा दिया गया अथवा ऐसी जगह पटक दिया गया है कि जहां रह कर वे कोई काम नहीं कर सकते, बोल भी नहीं सकते।

श्रीमन्, जाति के आधार पर जातिवाद समाप्त नहीं किया जा सकता। किसी गन्दगी को गन्दगी से धोकर छुड़ाया नहीं जा सकता। उसे साफ करने के लिये कोई दूसरा ही रास्ता अपनाना होगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कांग्रेस के विधायकों से कि वे हमारे जनसंघ के किसी भोज में शरीक हों। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई साहब आकर बतला दें कि उसमें

(व्यवधान)

फलाना हरिजन हैं, फलाना ब्राह्मण है, फलाना क्षत्रिय है और अगर आप बतला देंगे तो जो कुछ आप कहिए उसे मैं मानने को तैयार हूं। एक नहीं, सैकड़ों हजारों की संख्या में हमारे स्वयं सेवक बैठे होंगे और उनमें से आप किसी को एक को अलग कर ही नहीं सकते। हम उनसे पूछते भी नहीं कि तुम किस जाति के हो। वहां क्यों ऐसा है? क्या कारण है? उसका कारण यह है कि हम जाति नहीं मानते। हम केवल "भारतवासी" मानते हैं। आज अगर आप यह मान लें कि प्रत्येक भारतवासी है तो कभी छुआछूत का सवाल पैदा नहीं होगा। सब एक हो जायंगे। और जब तक यह जातिवाद का सवाल है कि यह ब्राह्मण है, यह क्षत्रिय है यह रहेगा तो कभी भी यह चीज दुरुस्त नहीं हो सकती। गलत दवा देने से मर्ज नहीं जायगा। सही चीज होनी चाहिये समाज में। घर में अगर कोई पिछड़ा हुआ होता है, कोई उन्नत होता है, लेकिन पिछड़े को कोई घर से नहीं निकालता और यह नहीं होता कि उन्नत व्यक्ति ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया। जब हम अपने देश को एक घर समझेंगे और ऊपर से लेकर नीचे तक यह भावना आयेगी जैसा कि जनसंघ में है, तभी यह समस्या हल हो सकती है। यह कांग्रेस के किये हल नहीं हो सकती। (लाल बत्ती होने पर दो मिनट में और चाहूंगा।)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है। समय न बरबाद कीजिये, बोल लीजिये।

कुंवर श्रीपाल सिंह—

बहुत अच्छा। अब मैं जरा विभाग के बारे में निवेदन करूंगा कि क्या नीति है समाज कल्याण और हरिजन विभाग में। उसके लिये हमें कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। यह आडिट रिपोर्ट है। अगर इसी को देख लें तो मालूम पड़ जायगा कि किस प्रकार इस विभाग में एक दम सौतेले बच्चे जैसा व्यवहार होता है। इस विभाग में १० वर्षों के अन्दर ८०९ मामले अनुचित विनियोग और गबन के पकड़े गये। वह किस प्रकार से? ४७·३७ लाख रुपया इसमें फंसा है सरकार का खाली गबन घपला घोल में। अगर किसी विभाग में एक धेला भी इधर उधर हो जाय तो सरकार उलट-पुलट जाय। पुलिस विभाग के खिलाफ कोई कुछ कह दे तो हरगोविन्द सिंह जी डंडा लेकर यहीं खड़े हो जाते हैं, दूसरी जगह की कौन कहे? मगर इस विभाग के ऊपर ४७·३७ लाख रुपया फंसा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं और आज से नहीं १० साल से। ७४ मामले ४,६९ हजार के हैं जो १० वर्ष पुराने हैं। १८८ मामले. १०,३६ हजार के हैं जो कि ५ वर्ष पुराने हैं और ५१९ मामले जो कि १८·४४ लाख के हैं वह एक साल पुराने हैं। इसके माने क्या हैं? क्या इस ओर नजर है, इन अनियमितताओं की तरफ? बिलकुल नहीं है। जिस वक्त वोट मांगना होगा उस वक्त हरी सिंह जी से कह दिया जायगा कि भाई साहब! अकेले हमें आपका समर्थन है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

*श्री दीनदयाल करवरिया (जिला बांदा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह आज जो बहस प्रस्तुत विषय पर चल रही है, उस पर मुझे बोलने का कुछ मौका मिला। इसमें शक नहीं है कि हम तो जाति का निवारण करने के लिये आवाज उठाते हैं, मगर अगर उसकी तह पर जायं तो वहां पर बिलकुल इससे उलटी बात पायी जाती है, जो कि संविधान के विपरीत है। लैक्चर देने से और कानून बनाने से कोई फायदा नहीं। फायदा तो तभी है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, कि मीज में हम सब एक हैं और एक होकर हमको रहना चाहिये। तभी हमारे में मेल और प्रेम हो सकता है और उन्नति हो सकती है। समता और बराबरी का दावा रखने वाले हम समदर्शी रघुनाथ बनते हैं। अगर हम समदर्शी राम हैं, अगर हम सीताराम हैं और हम डाक्टर सीताराम हैं तो मैं चाहता हूं कि इस चित्रकूट मंडल को ध्रुव के तारे की तरह चमका दिया जाय। मैं चाहता हूं कि सीताराम जी वहां पर जायें और उसे देखें। वह भी चारों धामों में से एक धाम है। जब इसके उत्थान की ओर प्रयत्न किया जायेगा तभी सच्चे मानी में हम राम के अनुयायी बन पायेंगे।

श्रीमन्, हमारे यहां महन्त बहुत हैं। इनको मठाधीश कहा जाता है। यह आपस में लड़ते रहते हैं। अक्सर एक दूसरे का कत्ल हो जाया करता है। वहां एक दूसरे के विरोधी दल बने हुए हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार एक ऐसी कमेटी बनाये जो वहां की स्थिति की जांच किया करे और सुधार के लिये अपने सुझाव सरकार को दिया करे। वहां लोगों के खिलाफ तमाम मुकदमें तक चल रहे हैं। सरकार जो वहां के लिये अंतरिम सहायता देती है उसे बन्द कर देना चाहिये। जहां राम और कृष्ण की मूर्तियां हों, जहां की एक परम्परा रही हो, वहां इस प्रकार की बातें अनुचित हैं। (लाल बत्ती होने पर) मुझे श्रीमन्, और समय दिया जाय। अभी तो दो मिनट ही बोल पाया हूं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार एक निरीक्षण समिति बनाये जो वहां का निरीक्षण करती रहे। वहां जगह जगह से लोग आते हैं। वहां पर स्वस्थ परम्परायें कायम करने के लिये सीताराम जी को सीता और राम का आदर्श सामने रखना होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सुझाव मैं गणेशबाग, जो खजुराहो से भी बढ़ कर है, उसके बारे में देना चाहता हूं। वहां के उत्थान की ओर भी सरकार को पर्याप्त ध्यान देना चाहिये। गणेशबाग खजुराहों से कहीं बढ़ कर है। इसको उठाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

एक बात मैं अपने यहां के डी० पी० ओ० के बारे में कहना चाहता हूं। मुझसे एक बार डी० पी० ओ०, बांदा, ने कहा कि कोढ़ी लोग पिछड़ी जाति के नहीं होते। मैंने कहा, यह देखो सरकारी किताब, इसमें लिखा है या नहीं। जिस आफिसर को इतना तक ज्ञान न हो वह आफिसर वहां क्या उत्थान कर सकता है? मैं तो कह सकता हूं कि वहां के डाऊन फाल का कारण प्लानिंग आफिसर है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

(इस समय ५ बजकर १२ मिनट पर अधिष्ठाता, रामायणराय, पुनः पीठासीन हुए।)

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

अधिष्ठाता महोदय, आजादी के बाद हमारे राष्ट्रनायकों ने यह लक्ष्य अपने सामने रक्खा था कि राजनैतिक आजादी पाने के बाद देश में और समाज में सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति की आवश्यकता है और जब इस लक्ष्य को हमने सामने रखा था तो यह साफ जाहिर था कि वह सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति देश की उस अस्सी फीसदी जनता में आनी थी जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई जनता थी और वह जनता कि जिसके नाम से देश के और जाति के लोग चिढ़ते हैं। लेकिन इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस देश में लोग वर्ग के लिहाज से नहीं अपितु जाति के आधार पर बंटे हैं। ऐसे लोग हैं जो जातियों में विभाजित हैं जो वस्तुतः सर्वहारा लोग हैं, जो साधनहीन हैं, जिनकी जिन्दगी को सुखमय बनाने और जिनके जीवन को ऊंचा उठाने का मतलब था इस राष्ट्र में जिन्दगी और जीवन का संचार करना। इसलिये संविधान के बनाने वालों का जब ध्यान अनुसूचित जातियों की ओर गया, उन्होंने कुछ सुरक्षा उनके लिये दी। उनका ध्यान पिछड़े वर्ग की ओर गया। लेकिन १८ वर्ष की आजादी के पश्चात् भी कोई पूछता है कि आपने इस लक्ष्य को क्यों पूरा नहीं किया, तो उसका कोई उत्तर नहीं है। हम कमेटियां बनाते हैं आलोचनायें करते हैं, लेकिन इतना बड़ा अपराध है यह जो कि क्षम्य नहीं हो सकता। शासन के अन्दर जो डेढ़ दो फीसदी लोग बैठे हैं उन्हीं के कारण जो २०–२५ फीसदी पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं उनकी तकदीर के अन्दर परिवर्तन नहीं आ सकता। इनकी जिम्मेदारी के सम्बन्ध में मैं कांग्रेस के विधायक और हरिजन और पिछड़े वर्ग के विधायक मित्रों से कहना चाहता हूं कि अगर आप सचेत नहीं रहेंगे तो आपके इन अधिकारों के ऊपर तलवार चल रही है, और आगे भी चलेगी। इसके अन्दर हमारी तो क्षमता नहीं है। आप एक शासक दल हैं। आप पंजाब की तरफ आंख उठाइये। पंजाब की सरकार ने बिड़ला को फार्म के लिये वह जमीन दी जो हरिजनों की जमीन थी। सारे कांग्रेसी विधायकों ने एक स्वर से उसका विरोध किया, सदन का त्याग कर दिया और उनके सामने सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने उस पर पुनः विचार किया। मैं समझता हूं कि आज जो हमारे विधायक हैं अनुसूचित जातियों के उन्हें भी इस ओर विचार करना चाहिये। मैं डाक्टर सीताराम जी को बताना चाहता हूं, जैसा कि कहा जाता है, कि पिछड़े वर्ग का आर्थिक आधार देखा जाता है और तब सहायता दी जाती है। दो वर्षों की सूची मंगाकर देख लीजिये कि उन हरिजनों को स्कालरशिप नहीं मिला है बल्कि दूसरों को मिला है। यह सब मिल-मिलाकर दे दिया गया है। डायरेक्टर भी इस बात को मानते थे कि जिनकी इन्कम कम है, जो पिछड़े वर्ग के हैं उन्हीं लोगों को स्कालरशिप मिले, परन्तु जिनके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

सत्तर फीसदी नम्बर हैं, मेरिट स्कालरशिप में है, उनको दिया गया। समझ में नहीं आता कि इनकी सहायता में अन्तर क्या रह गया। इनकी सहायता के लिये पचास हजार रुपया स्वीकार किया गया है जब कि आपके बजट का साल व्यतीत हो रहा है। हम कहते हैं कि हम इनका उत्थान चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे माल मंत्री नहीं हैं। वे बहुत मुस्कराते हुए हल्के, हल्के ढंग से जवाब देते हैं कि इसी सदन के अन्दर हमने लगातार कहा है कि हरिजनों में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो उनको जमीन दीजिये, उनको उद्योग में लगाइये। आज जमीन की हालत यह है कि हदबन्दी हो गयी है। वह जमीन अगर बंटती तो जाहिर है कि वह हमारे हरिजन भाइयों को मिलती। उनकी जिन्दगी में परिवर्तन आता, लेकिन वह जमीन नहीं बंटी। अट्ठारह साल के बाद भी हरिजनों को जमीन नहीं है। उनके रहने के जो मकान हैं उनकी नींव नहीं है उनके सहन के लाले पड़े हुए हैं। यहां के विवेचक सतर्क नहीं है। इसीलिये हरिजनों को जमीन मिलना एक स्वप्न है, एक मृगमरीचिका है। उसे अपना सहन भी नहीं मिल रहा है।

अभी हमारे साथी बता रहे थे कि प्रशासन में बहुत से ऐसे उच्च अधिकारी हैं जिनके अन्दर हरिजनों और बैकवर्ड क्लासेज के लोगों के नाम से चिढ़ भरा हुआ है। वे उन्हें नफरत की निगाह से देखते हैं। अगर हमारे गोन्डा के माननीय सदस्य के दिल में गुस्सा पैदा होता है तो ठीक पैदा होता है। अगर बैकवर्ड और हरिजनों के साथ इंसानियत का बर्ताव नहीं हो सकता, और हमारी माताओं, बहनों को अपमानित किया जाता है, तो जिसके दिल में गुस्सा और नफरत पैदा नहीं होती है वह इंसान नहीं है। गुस्सा और नफरत पैदा होना चाहिये। १८ साल की सारी योजनाएं और सरकार के कार्यकलाप सिर्फ १५ फीसदी लोगों के लिये किये गये हैं और बाकी लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी गिरी है। उनके पास जमीन नहीं है, पैसा नहीं है, न कोई साधन है। मंहगाई बढ़ती चली जा रही है। किसी को ठीक से खाना नहीं मिलता है, किसी के बेटे सूखी रोटी खाकर रहते हैं। यह बड़ी भयावह स्थिति है। यह ऐसी आग है जिसके ऊपर राख पड़ी हुई है। यह राख हटनी है और अगर उनके लिये कुछ नहीं किया गया तो अवश्य विस्फोट होगा। इसलिये बहुत समझदारी के साथ उनकी समस्याओं को देखिये। क्या यह सत्य नहीं है कि हरिजन नौजवान एक फीसदी भी पढ़ा हुआ नहीं है? जिला परिषदों में अध्यापक रखे जाते हैं। क्यों नहीं स्वशासन मंत्री आश्वासन दे सकते कि १८ फीसदी वहां रखे जावेंगे? सरकारी नौकरियों में हरिजन और बैकवर्ड क्लासेज के लोग नहीं रखे जाते हैं। इसे गंभीरता के साथ सोचना होगा। डाक्टर साहब आप अपने विभाग को देखें। गोपीचन्द जी का पब्लिक सर्विस कमीशन से एप्रूवल हुआ है। कहां फाइल रुकी है? दूसरा केस है शान्ति नारायण जी का। आपने बड़ी मेहरबानी की। एक आदमी है जो दिन-रात इस बात के लिये बेचैन रहता है कि कहां से रुपया आवे। न्याय उनके साथ नहीं हो पाता है। इन बातों पर जरा ध्यान दीजिये।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि समाज कल्याण भी आपके पास है। इकोनामी की तलवार अगर कहीं चली, तो इस सरकार की तलवार सब से अच्छी समाज कल्याण पर चलती है। चाहे महिलाओं का मामला हो या बच्चों का हो, उस पर इकोनामी की तलवार चलती है। समाजवादी राज्य में इस तरह की बातें केवल नारे से पूरी होने वाली नहीं हैं। है कोई आपके पास भिक्षुकों की फेहरिस्त? एक भिक्षुक कर्मशाला आपने हरिद्वार में खोल दी और दूसरी बनारस में खोल दो। केवल आडम्बर से काम नहीं चलेगा। हरिजन और पिछड़े वर्ग की समस्या राष्ट्रीय है। अगर देश को मजबूत करना है सही मानों में क्रान्ति व परिवर्तन करना है, लोगों की जिन्दगी में नया रक्त संचार करना है, तो इस वीकर सेक्शन आफ दि सोसाइटी को, जिसकी १८ साल में परचेजिंग कैपेसिटी गिरी है, उसकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये।

श्री सुमनचन्द मजदूर (जिला मुजफ्फरनगर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे हरिजन अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूं। आप देखें कि जबसे सृष्टि का सृष्टिकरण हुआ और यह दुनियां वजूद में आयी तब इस देश के बड़े-बड़े विद्वानों ने इस इंसान को जो एक मानव जाति या खण्ड खण्ड करके चार हिस्सों में बांटा तब से आज तक हरिजनों की वैसी ही दशा चली आती है। आज तो शूद्रों में और भी खण्ड कर दिये गये हैं। कुछ को पढ़े लिखे लोग अपराधी जाति कहते हैं, किसी को इंटेलीजेन्ट लोग अछूत कहते हैं, किसी को पिछड़ी जाति का कहा जाता है। हालांकि सारे के सारे लोग एक ही समाज के अंग हैं, एक ही खालिक की मखलूक हैं। यह तो समझदार आदमियों के ही बनाये हुए भेद हैं जिसके द्वारा इन गरीबों का शोषण किया जा रहा है। इस पर भी हमारे समाज के ठेकेदार विद्वान साथी जनसंघ वाले उनकी हिमायत में उत्थान करने को बोलने का प्रयत्न करते हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि द्वापर, त्रेता और सतयुग में तो सत्ता आपके ही हाथ में थी, न कि इन बेचारे कांग्रेस वालों के हाथ में थी। अंग्रेजों के ही जमाने में जब कि ४०० से ऊपर रियासतें थीं तब हरिजनों की क्या हालत थी? क्या उनको आजादी थी? इस दुनियां में पशु-पक्षियों को तो आजादी है कि किसी पेड़ पर बैठ कर वे अपना घोंसला बना लें, चाहे कितनी ही आलीशान या चमकती हुई इमारत हो, चाहे ५०० रुपया के कालीन हों उस पर बैठ कर वे लेकिन इस हरिजन को एक चप्पा भर जमीन पर मकान बनाकर रहने की भी आजादी नहीं है। अगर उसको किसी दिन मजदूरी करने पर भी उजरत मजदूरी न मिले और उसके बच्चों के लिये उसके घर में खाना न हो और वह किसी खेत में जाकर मक्का बाजारे की बाली या मक्का का भुट्टा तोड़ लेता है तो उसको जेलखाने में भेज दिया जाता है और बिजार चाहे जिसका खेत खाये चाहे जिसके दूकान से गेहूं के ढेर में मुंह भर ले। लेकिन उनको कुछ भी नहीं कहा जाता है, इन मुसीबतजदाओं की मुसीबत, ने युगों की भयंकर गरीबी और शोषण ने उनकी बुद्धि और चेतना को समाप्त कर दिया है।

मुझे खेद है कि जिस वर्ग के लिये पूज्य गांधी जी राष्ट्रपिता कहा करते थे कि हे ईश्वर, अगर मेरा दूसरा जन्म हो तो मुझे भंगी के घर में जन्म देना, आज कोई भी मिनिस्टर और एम० एल० ए० उनकी बस्तियों की ओर जाकर देखता भी नहीं है, उनके बच्चों की तालीम की कोई व्यवस्था नहीं है। उनके रहने का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। केन्द्रीय सरकार से बहुत सा रुपया आता है हरिजनों के लिये लेकिन कारपोरेशन म्युनिसिपल बोर्ड्स, टाउन एरिया आदि में क्या हालत है इस वर्ग की? १०-१० महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिलती। मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि जिस प्रकार देहात के हरिजनों की हालत खराब है उसी प्रकार शहर के हरिजनों की हालत भी खराब है। चार वर्ष से मैं देख रहा हूं मेहतरों के मकान बनाने के लिये लाखों रुपया केन्द्रीय सरकार से आता है स्थानीय निकायें कहां वह रुपया खर्च करती हैं, कोई पता नहीं चलता। तो मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस ओर भी, विशेष रूप से ध्यान दें और सभी हरिजनों को बराबर सुविधाएं दें। अधिक न कह कर मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

*श्री जगन्नाथ राव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज के विवाद में भाग लेने वाले चाहे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों, उनकी भावनाओं को अगर मूर्त रूप दिया जाय तो उससे जो निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि इस विभाग की नीतियां भी गलत हैं और उनके कार्यान्वयन में भी भयंकर गलती हो रही है। जैसा हमारे सामने बैठने वाले सरकारी पक्ष के लोगों ने भी कहा, विरोधी पक्ष के लोग तो कहते ही हैं कि कहीं न कहीं इस प्रकार की गड़बड़ी है, जिसके कारण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगन्नाथ राव]

से पिछले १७-१८ वर्षों में जितना सहयोग या जितनी मदद करके हम इन पिछड़ी जातियों, अनुसूचित तथा अपराधशील कही जाने वाली जातियों को राहत दे सकते थे, उनको ऊंचा उठा सकते थे, हम उनको ऊंचा उठाने में असफल रहे। हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने उन नीतियों के ऊपर भी प्रकाश डाला जिनके कारण से आज भी मानव-मानव में एक बड़ी दीवार खड़ी है। मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि आज भी इस समाज में सभी लोगों को एक परिवार मान कर चलने की भावना जागृत की जानी चाहिये थी, वह नहीं जागृत की गयी।

मेरे एक माननीय सदस्य ने कहा कि जब चुनाव का दिन आता है तभी इन गन्दी और बदबूदार गलियों का जहां हरिजन और पिछड़ी जाति के तथा अनुसूचित जाति के लोग बड़ा ही नारकीय जीवन व्यतीत करते हैं, लोग दर्शन करते हैं। मुझे दुख है कि इस प्रकार की भावना उनके मन में है। मुझे उनकी बुद्धि पर तरस तो आता है परन्तु मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि इस प्रकार की बात है। मैं और मेरे दूसरे साथी जो उधर बैठे हैं, मेरे कितने ही मित्र हैं जिन्हें इस बात का अनुभव है कि इन झोपड़ियों में रहने वाले पिछड़ी जाति के लोग, या हरिजन जाति के लोग तथा उनकी स्त्रियां और बच्चे किस प्रकार से जाड़े के दिनों में ठिठुरती रात में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और किस प्रकार से सूखी रोटियां खाकर आज भी अपना जीवन व्यतीत करने के लिये बाध्य हैं। यह मानव हृदय है, मैं समझता हूं कि किसी की आलोचना करने की बात इसमें नहीं है। जिस मनुष्य में मानवता है उसमें दुखों के प्रति, अन्याय के द्वारा सताये हुए व्यक्तियों के प्रति, असहाय और दुर्बलों के प्रति एक ममता है और ममता होनी चाहिये। यह कोई चुनाव लड़ने की बात नहीं है। चुनाव लड़ने वालों को भी जीवन की मान्यताओं के प्रति इस प्रकार का अनुभव होना चाहिये और अनुभव होता भी है कि सहस्त्रों वर्ष से इस देश में रहते हुए भी एक वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है इसलिये उनका दुख-दर्द दूर होना चाहिये। इसके लिये एक क्रान्तिकारी पग उठाना आवश्यक है।

विभाग के अन्दर भी अनुशासन का होना बहुत आवश्यक है। केवल अपनी स्वार्थपूर्ति के लिये कोई चीज किये जाना ठीक नहीं है। जहां तक नीतियों का प्रश्न है और जहां तक उनके कार्यान्वियन का सवाल है, किसी को उसे कहने में हिचकना नहीं चाहिये और माननीय मंत्री जी को भी उसे स्वीकार करने में नहीं हिचकना चाहिये कि उनका विभाग भी भ्रष्ट है। उनके विभाग में बहुत से भ्रष्ट कर्मचारी भरे पड़े हैं तथा उनके विभाग में भी भ्रष्ट विचार भरे हुए हैं। इन लाखों, करोड़ों पददलितों को उठाने का भार जिनके ऊपर है, उनको ऊंचा उठाने का उत्तरदायित्व जिनके कंधों पर पड़ा है उसे वहन करने की उन्हें कोई चिन्ता नहीं है और न वे चिन्ता करना ही चाहते हैं। ऐसे दुष्ट लोग चारों तरफ भरे पड़े हैं। उसके कार्यान्वियन के लिये जैसा कि मेरे एक भाई ने ध्यान दिलाया कि आज हम छात्र-वृत्ति जो दे रहे हैं वह इसलिये ताकि गरीब हरिजनों के बच्चे पढ़ लिख सकें। लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार किस हद तक है इसको अगर आप निदेशालय में, लखनऊ स्थित हेड क्वार्टर में निदेशक के यहां जाकर देख लें तो आपको भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार देख पड़ेगा। ६० हजार का पेट्रोल खर्च करने की स्थिति यहां पर आयी। जिनको आप १० रुपया, २० रुपया देकर आगे बढ़ा सकते हैं, उनको आगे बढ़ाइये, उन्हें वंचित न कीजिये और जिनके पास धन है, उनको ही न दिये जायं। जिनको आप सहायता करना चाहते हैं, उनको आप सहायता नहीं कर पा रहे हैं। हमारे और भी मित्रों ने शिकायत की है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं और जिनमें हरिजन लोग भी हैं, उनके साथ भी सौतेली मां का सा व्यवहार किया जाता है। उनके साथ भी आज न्याय नहीं किया जाता है, यह बात सच है। यदि आप सचमुच में अपने हृदय से स्वीकार करते हैं कि उनको भी ऊंचा उठाना है, उनको भी राहत देना है, तो पहले अपने मन से यह निकाल दीजिये कि कोई छोटा है और कोई बड़ा है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है। जब तक हम सच्ची भावना लेकर नहीं चलते हैं, तब तक समाज का कल्याण नहीं कर सकते हैं।

अन्त में अपनी एक बात रख कर अपनी बात समाप्त करता हूं । इस विभाग में जो कुछ भी व्यवहार है और होता रहता है उसके लिये आप एक समिति बैठाइये जो सारे विभाग का शव परीक्षण करे और देखे कि इसमें जो रुपया जिस मद में व्यय होना चाहिये वह होता है या नहीं । तब पता चल सकेगा कि सही वस्तुस्थिति क्या है ।

अन्त में मैं दोनों तरफ के माननीय सदस्यों का जिन्होंने मेरे इस प्रस्ताव का मौखिक रूप से और अन्य तरीकों से समर्थन किया है, उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं ।

डाक्टर सीताराम—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस सदन में २०–२१ माननीय सदस्यों ने अपनी विचार धाराओं को रखने का प्रयास किया है । कट मोशन मूव करते हुये माननीय जगन्नाथ राव ने बहुत-सी बातों को इस हाउस के सामने रखा है । उन्होंने अपने भाषण में यह कहा कि बजट में ९० लाख की कमी की गयी है । मैंने अपने बजट भाषण में इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया था कि ९० लाख रुपया जो है वह केन्द्रीय सरकार का रुपया है । यह रुपया मैट्रिक क्लासेज को दिया जाना है जो कि अप्रैल के मास में पहली सप्लीमेंटरी में लिया जायगा । इसलिये बजट में कोई कमी नहीं हुई है । दूसरी बात उन्होंने यह कही कि वजीफे जो हैं, प्रि-मैट्रिक क्लासेज को वे सितम्बर में भेज देने चाहिये । इसके बारे में वैसी ही निर्णय लिया गया है और अगस्त के महीने तक आवेदन-पत्र आ जायेंगे और सितम्बर के महीने में यह वजीफे के फैसले हो जाया करेंगे ।

साथ ही साथ डायरेक्ट्रेट के बारे में, जैसा कि आपने (माननीय जगन्नाथ राव ने) और माननीय ऊदल जी ने कहा है कि वहां पर पैट्रोल की गड़बड़ी है, यह सूचना शासन को प्राप्त है और इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि सी० आई० डी० की इन्क्वायरी बैठी ही है, जो भी दोषी अधिकारी पाये जायेंगे, वे दंड के भागी होंगे, जैसी कि रिपोर्ट आयेगी । इस सम्बन्ध में यह कहना कि सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है, उचित नहीं है । सरकार की ओर से पूर्णरूपेण कार्यवाही की गयी है ।

जहां तक ग्राम सेविकाओं के पद का सम्बन्ध है, उनके पद तोड़ने के बारे में कहा गया है । उनके पद को तोड़ने के लिये मैं कुछ नहीं कह सकता हूं । सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है । ग्राम सेविका का जो काम है, माननीय जगन्नाथ राव की पार्टी के नेता कुंवर श्रीपाल सिंह ने उसको देखा है । अगर वह वहां होते तो उन के कामों की भूरि-भूरि प्रशंसा करते । लेकिन यहां पर वह नहीं हैं इसलिये मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहता । स्टैंडिंग कमेटी में इस हाउस के जितने भी माननीय सदस्य थे उनको मैं बख्शी का तालाब ले गया था और उन्होंने ए० डी० ओ० (वीमन्स) और ग्राम सेविकाओं के काम को अच्छी तरह से देखा है और उनके काम की प्रशंसा की है ।

माननीय जगन्नाथ राव ने लखनऊ में आर्य नगर सैटिलमेंट के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि वहां जेल के कैदी रखे गये । मैं कहना चाहता हूं कि १९५० से लेकर १९६४ तक आर्य नगर सैटिलमेंट जेल विभाग के पास था, इस विभाग के पास बिलकुल नहीं था । इसलिये उस पर जो भी कार्यवाही हुई इस विभाग से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है और जो यह कहा गया कि उस में रुपये की गड़बड़ी हुई है, तो इस विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है । १९६४ के पश्चात् से उस जमीन को टेक्निकल एजूकेशन के लिये लेने की बातचीत चली हरिजन सहायक विभाग की ओर से । साढ़े तीन सौ एकड़ जमीन जो जेल विभाग के पास थी वह हरिजन विभाग को ट्रान्सफर हो गयी जिस पर आज पोलीटेक्निक कायम है और वह चल रहा है । यह गौरव की बात है कि इस भूमि पर जो पोलीटेक्निक बना हुआ है इस तरह की संस्था हरिजनों के लिये पूरे देश में किसी सूबे में नहीं है जिस में इस साल बड़ी मुश्किलों के बाद करीब ६० विद्यार्थी ऐडमीशन पाये, जिसमें से ७० फीसदी हरिजन लड़के हैं, १५ फीसदी बैकवर्ड क्लासेज के हैं और १५ फीसदी हाई क्लास के छात्र पढ़ रहे हैं ।

[डाक्टर सीताराम]

बैकवर्ड क्लासेज के लड़कों के स्कालरशिप के बारे में पूछा गया कि कितनी ऐप्लीकेशन्स आयीं और किस आधार पर वह बांटे गये । तो मैं कहना चाहता हूं कि इस साल बैकवर्ड क्लासेज को १३,३४१ ऐप्लीकेशन्स आयीं वजीफे के लिये उस में लो इन्कम ग्रुप में ८०४ वजीफे बांटे गये, और कास्ट बेसिस पर २,६४७ वजीफे बांटे गये । इस तरह से कुल मिलाकर ३,४५१ वजीफे बैकवर्ड क्लासेज के लिये बांटे गये ।

माननीय यादव जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि मेडिकल, इंजीनियरिंग और डिप्लोमा कोर्सेज में गवर्नमेन्ट के पास कोई आंकड़े नहीं हैं कि कितने लड़के मेडिकल, इंजीनियर और पोलीटेक्निक में पढ़ने जाते ह । मैं कहना चाहता हूं कि मेडिकल में हरिजनों में ३५ विद्यार्थी में से ३३ वजीफे पाते हैं, इंजीनियरिंग डिग्री में ५४ हरिजन हैं . . . . . .

श्री होरीलाल यादव—

मैंने यह कहा था कि ऐडमिशन में जो वरीयता मिलती थी, वह नहीं मिलती है ।

डाक्टर सीताराम—

इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स में ५४ हरिजन हैं, जिन में से ५१ वजीफे पाते हैं । इंजीनियरिंग डिप्लोमा में २६४ हैं जिन में से २६३ वजीफे पाते हैं । बैकवर्ड क्लासेज में १३३३ में से ५१९ वजीफा पाते हैं और अदर कास्ट्स जो इन्कम बेसिस पर आती हैं उस में ४७१ छात्र वजीफा पाते हैं मेडिकल, इंजीनियरिंग और डिप्लोमा में । ६५१ जनरल कैन्डीडेट्स की ऐप्लीकेशन्स आयीं जिनमें से ३७१ छात्रों ने वजीफा पाया । नेता विरोधी दल ने अपने कट मोशन में कहा कि मिर्जापुर, हरद्वार, तथा एटा में शरणालय नहीं है । ५ शरणालय इकोनामी मेजर में कम कर दिये गये हैं और उसमें मिर्जापुर भी शामिल है । हरद्वार और इटावा में हैं । मिर्जापुर में सिर्फ एक था इसलिये खत्म कर दिया गया ।

पेय जल की योजना का जिक्र किया गया । कुएं पम्प ठीक से नहीं बने । उस बारे में यह कहना है कि ८२०० कुएं बनाये जा चुके हैं और १८०० शेष कुएं बन रहे हैं । यह कहना गलत है कि हरिजनों के लिये जो ५ लाख ५५ हजार रुपये का प्राविजन किया गया था उसमें कोई काम नहीं हुआ । यह ठीक है कि जितना काम होना चाहिये था वह नहीं हो सका, लेकिन जो हुआ है वह प्रशंसा के योग्य है ।

सरकार की ओर से हरिजन सहायक विभाग जो है उसमें हरिजनों के लिये एजूकेशन, घर बनाने तथा इंडस्ट्री, पेय जल की इत्यादि सभी व्यवस्थायें हैं । ये सब एक्सक्लूसिवली हैं और सरकार के अन्य विभाग हैं वहां से भी उनको सुविधायें प्राप्त हो सकती हैं । ५१ में यह विभाग इसीलिये खोला गया था कि हरिजनों को एक्सक्लूसिवली सुविधायें प्रदान करें ।

सिंचाई के लिये ब्लाक लेविल पर इर्रीगेशन विभाग और ऐग्रिकल्चर विभाग के अन्तर्गत हरिजनों को सुविधायें देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि ये सब योजनाएं इन्हीं दो विभागों के अन्तर्गत आती हैं और वही इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं ।

यह बात सच हो सकती है कि जमाने को देखते हुए घर के लिए जो ७५० रुपये हरिजनों को जो मिलते थे और उसमें ढाई सौ रुपये के रूप में अथवा श्रम के रूप में देने होते थे, वे कम हों, उसे अब १२०० कर दिया गया है ।

यह भी कहा गया कि सरकार हरिजनों को छोटे-छोटे उद्योग धन्धों को खोलने के लिये १००, २०० रुपये देती है जैसे मुर्गी पालन, सुअर पालन । अब एक व्यक्ति को ५०० रुपये दिये जाते हैं और कोआपरेटिव सोसाइटीज को ४ हजार, ५ हजार तक देने की व्यवस्था कर दी गयी है । इसके अलावा इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के अन्तर्गत भी हरिजनों के जो आवेदन-पत्र आते हैं छोटी इंडस्ट्रीज के लिये इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की कमेटी और उसके सदस्य उनकी मदद करते हैं ।

इसके पश्चात् माननीय ऊदल जी ने वाराणसी में मुसाहिरों को बसाने के लिये कहा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यह केन्द्रीय सरकार का है। इसलिये इसके नियमों और उपनियमों में जो परिवर्तन करना होगा उसके लिये केन्द्रीय सरकार को लिखना होगा। जो नियम केन्द्रीय सरकार ने निर्धारित किये थे उसमें ५ एकड़ जमीन के लिये लिखा था। लेकिन मुसाहिरों को बसाने के लिये पूर्वी जिलों में ५ एकड़ जमीन प्राप्त होना मुश्किल है। लेकिन नियमों में परिवर्तन करने के लिये कि इस रुपये को स्टेट गवर्नमेंट को एलाऊ करें कि वह इसमें न देकर व्यवसाय में डाइवर्ट करे, अभी इस संबंध में कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि कारस्पांडेन्स चल रही है और कुछ न कुछ होकर रहेगा।

इसके पश्चात माननीय माता प्रसाद जी ने लूकर कमेटी के बारे में कहा जो कि इस प्रदेश की कुछ जातियों के डिशेडियूलाइजेशन के बारे में था। लेकिन जो इस कमेटी के टर्म्स आफ रिफ्रेन्स थे उसमें डिशेडुलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं था। इसलिये जब १० सितम्बर को इसकी मीटिंग हुई तो उसमें मैं मौजूद था लेकिन उसमें इस सवाल के ऊपर डिसकशन नहीं हो सका। जो एजेंडा था उसमें हरिजन मंत्री ने इसको पेश नहीं होने दिया।

इसके पश्चात गंगा प्रसाद जी ने बावरिया कालोनी में पुलिस की ज्यादती की शिकायत की। इस संबंध में उप संचालक ने जो रिपोर्ट दी है उसको हमने होम डिपार्टमेंट में भेज दी है, क्योंकि इसके संबंध में पुलिस विभाग ही कार्यवाही कर सकता है।

इसके अलावा कहा गया है कि हरिजनों का रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ। सत्य बात है। क्या आप जानते नहीं हैं कि अन्य महकमों में पहले से ऊंची जाति के लोग काफी हैं तो १८ फीसदी रिजर्वेशन को पूरा करने के लिये उनको निकाला नहीं जा सकता। लेकिन जो नयी जगह होंगी उनमें उनको रखा जायेगा। इस तरह से जब तक किसी डिपार्टमेंट में उनका रिजर्वेशन पूरा नहीं होता है तब तक उनको लिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—

क्या मंत्री जी इस को स्पष्ट करेंगे कि जो नौकरियों में लिये जाते हैं उनमें इनका परसेंटेज पूरा किया जायेगा ?

डाक्टर सीताराम—

श्रीमन्, क्लास थर्ड फोर्थ के बारे में सरकार के आदेश हो चुके हैं कि ग्रेड तीन के कर्मचारियों में इनको २५ परसेंट और फोर्थ ग्रेड में ४५ परसेंट का रिजर्वेशन उस समय तक रहेगा जब तक वह पूरा न हो जाय। (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव—

मंत्री जी हर साल रिपोर्ट दिया करें कि कितने नियुक्त हुए हैं और कितना उनका परसेंटेज पूरा हुआ।

डाक्टर सीताराम—

हर जिलाधीश को आर्डर है कि जितनी जगह किसी विभाग में खाली हों उनमें हरिजन रिजर्वेशन के मुताबिक लिये जायें। हरिजन रिजर्वेशन के मुताबिक नहीं भी आ पाते हैं, तो उसके आंकड़े मुझको देने की चेष्टा करें और यदि न हो सके तो वह चीफ मिनिस्टर को देने की चेष्टा करें। मैं यह भी इस सन्दर्भ में कह देना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी उनके रिजर्वेशन को पूरा करने के लिये पूर्ण रूप से जागरूक हैं और पूरा मंत्रिमंडल इस बारे में जागरूक है।

श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

यह जो डाक्टर साहब बात कह रहे हैं, यह बहुत गैर-जिम्मेदारी की बात है।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपने शब्द वापस लें, और अपना स्थान ग्रहण कर लें। आपके लिये ऐसे शब्दों का प्रयोग शोभा नहीं देता।

श्री सुखदेवप्रसाद—

मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं लेकिन फिर भी कहता हूं कि कई विभाग ऐसे हैं, जिनमें कोई भी हरिजन कर्मचारी नहीं लगे हैं। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग क्या आपको बुरे नहीं लगेंगे? आपको ऐसा नहीं कहना चाहिये, यह बहुत दुःख की बात है।

डाक्टर सीताराम—

मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि हरिजनों और पिछड़ी हुई जातियों के प्रति मेरे दिल में उनसे कई गुना ज्यादा पीड़ा है, तभी मैं यहां पर बैठा हूं। माननीय ऊदल जी ने यहां पर एक पत्र के बारे में कहा, इसमें महिलाओं के बारे में लिखा है। इस पत्र पर समाज कल्याण विभाग कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकता, मैं इस पर क्या करता?

श्री ऊदल—

आपको केवल सूचित किया था।

डाक्टर सीताराम—

उसी विभाग के पास आपको भेजना चाहिये था। प्रोबेशन आफिसरों के बारे में कहा गया है। जिसके बारे में मैं कहता हूं कि ३१ मार्च, ६७ तक किसी को भी हटाने की कोई बात नहीं है। जो भी प्रश्न उठाये गये यहां पर मैंने उनका जवाब दे दिया और जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं उन पर यथा सम्भव अमल किया जायेगा, यह मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९—समाज कल्याण के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९—समाज कल्याण के अन्तर्गत ५१,६२,२०० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २८—अनुसूचित औ पिछड़ी हुई जातियों के अन्तर्गत सम्पूण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २८–अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के अन्तर्गत २,६५,७६,८०० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५६ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
२८ फरवरी, १९६६ ।

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८१७ पर ।)

प्रथम सूचना द्वारा टेलीफून

इस समय जरिये टेलीफोन मेमोरियल अस्पताल, मिशन कम्पाउन्ड डाक्टर बी० डी० शर्मा ने सूचना दी कि एक लड़का राधा मोहन, पुत्र गोमती प्रसाद वर्मा, साकिन हाता मंगल खां जिसको चाकू से पलरा के पास रेलवे रोड मठिया के पास मारा गया है, दाखिल हुआ जो अस्पताल में मर गया है। जरूरी, कार्यवाही की जावे।

नोट—मैं हे० मु० देवी प्रसाद तसदीक करता हूं कि जो सूचना टेलीफून द्वारा मुझे हे० मु० द्वारा सुनी गई है शब्द व शब्द चिक पर अंकित की गई है कारबन कापी साफ है पढ़ने में आती है ।

लेखक देवी प्रसाद,
हे० मु०,
२१-२-६६ ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२३ पर ।)

U. P. CIVIL SECRETARIAT ASSOCIATION

P. N. SUKUL,
SECRETARY.

VIDHAN BHAWAN,
LUCKNOW.
Dated February 17, 1966.

RESPECTED MADAM,

I am desired to say that under the joint auspices of the U. P. Civil Secretariat Association, U. P. Civil Secretariat Stenographers Association and the U. P. Civil Secretariat *Gazetted* (Ministerial) Officers Association a demonstration of the Secretariat employees was held yesterday infront of the Vidhan Bhawan in support of their demand for immediate in crease in their dearness allowance. The employees have decided to demonstrate publicly their feelings on the subject every day till their demand is met by Government. Also, it has been decided that a "Dearness Week" will be observed by the employees from February 20, 1966, during which black badges will be worn by your humble servants indicating their total dissatisfaction about the present attitude of their masters on the issue of immediate increase in their dearness allowance.

2. It is indeed most unfortunate that the State Government are not able to appreciate the existing plight of their servants on account of tremendous rise in the cost of living during the last few years with the result that the frustration and demoralization of the State employees today knows no bounds. It may not be out of place to mention here that as a result of this frustration and demoralization, various service associations of State employees at Lucknow have already constituted a "Joint Action Committee" to formulate plans for their agitation on a bigger scale and it is now certain that if the State Government persist in denying to their faithful employees due increase in their dearness allowance, many such totally avoidable events may follow as may not add to the general prestige of Government.

3. Mukhya Mantri was pleased to announce in the Vidhan Sabha yesterday that since the U. P. Pay Rationalization Committee, 1964, has formulated revised scales and pay and rates of dearness allowance for the State employees keeping in view the price-index obtaining in the month of June, 1965 and so perhaps the question of granting any further increase in the dearness allowance recommended by the Committee should not arise so soon. Here, it may be mentioned that the Committee has formulated revised scales of pay on the assumption that prices would stabilize at their 1960-61 level, but even since 1960-61, prices have increased by more than 50 per cent and it is the pious duty of Government to see whether the revised rates of dearness allowance suggested by the Committee really protect the wages of employees against this 50 per cent increase in the cost of living since 1960-61. It is also for the Government to ensure in the interest of their lakhs of employees whether the revised scales of pay recommended by the Pay Rationalization Committee really neutralize the rise in the cost of living from 1947-48 to 1960-61. In this connection, a comparative study of the dearness allowance granted by the Union Government to such of their employees as are still continuing in the old scales recommended by their 1947 Pay Commission (and have not opted for the scales as revised by their Second Pay Commission) and the dearness allowance granted by the State Government so far to their

employees who are also still continuing in the scales recommended by the 1947 Pay Committee, as per the following details, will be of immense use to Government:

Pay scales	D.A. granted by the Union Government on March, 1965	D.A. granted at present by the State Government
		Rs.
Up to Rs.50	Rs.68	38
Rs.51—70	Rs.95	40
Rs.71—150	..	40
Rs.101—150	Rs.105	..
Rs.151—450	Rs.126 to Rs.190	45
Rs.451—750	Rs.190 . ..	..
Rs.451—850	..	40
Rs.751—1,000	Amount by which pay falls short of Rs. 1,089.	..
Rs.850 and above ..	..	Amount by which pay falls short of Rs.890

4. The State Government may also kindly keep in view the fact that although the State budget has increased by more than 700 per cent during the last 19 years (it was about 40 crores in 1947-48 and is about 292 crores in 1966-67), the increase in the expenditure on their employees is much less. Therefore, keeping in mind that for their formulation and execution all Government policies and schemes depend largely upon the efficiency of Government servants, the State Government have to rise up to the occasion and consider the general demand of their employees for immediate increase in their dearness allowance most sympathetically. Ours is the biggest amongst all Indian States and a Welfare State, which need not let the State employees continue in their present plight, under the back-breaking burden of monstrous rise in the prices of essential commodities, and allow a really just and fair deal to them by implementing the recommendation of the Pay Rationalization Committee, according to which "any increase in the dearness allowance which Union Government may allow to their employees after August 1, 1965, may also be allowed to the State Government employees". This will considerably increase the efficiency of State employees and enable them to work incessantly in the service of their masters.

With best regards,

Yours sincerely,
P. N. SUKUL.

SMT. SUCHETA KRIPALANI,
MUKHYA MANTRI,
UTTAR PRADESH, LUCKNOW.

नत्थी "ग"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३५ पर ।)

१५ दिसम्बर, १९६४ से १४ अप्रैल, १९६५ तक १५ बोरी या उस से अधिक के जिला पूर्ति अधिकारी के द्वारा दिये गये सीमेन्ट परमिटों का विवरण :

क्रम-संख्या	परमिट पाने वाले का नाम	सीमेन्ट की मात्रा जिस का परमिट दिया गया	परमिट पाने वाले का पता
१	२	३	४
		बोरी	
१	श्री काजी जलील अब्बासी, एम० एल० ए०	१५	गांधी नगर, बस्ती
२	लोहर प्र० कांट्रैक्टर	१५	भुवर बस्ती
३	मो० हफीज, कांटैक्टर	२०	गांधी नगर, बस्ती
४	निसार अहमद	२०	गांधी नगर, बस्ती
५	बुधीराम अरवली	१५	रानीपुर बिलारी
६	सुशीला देवी	१५	गांधी नगर, बस्ती
७	फरूक अहमद	१५	गांधी नगर, बस्ती
८	हबीबुल्लाह	१५	पुरानी, बस्ती
९	आई० ए० एन० मिश्रा, जिला जज ..	१५	बस्ती
१०	यस० के० पान्डे	२५	नरहरिया, बस्ती
११	रामदीन	१५	मालिकपुरवां, बस्ती
१२	हंसराज प्रधानाचार्य	२५	गांधी नगर, बस्ती
१३	आर० बी० चन्द	२५	बस्ती
१४	एस० पी० , बस्ती	१५	बस्ती
१५	काशीनाथ बहादुर पाल, एम० एल० ए० ..	२०	महसो, बस्ती
१६	मजिबुल्ला	१५	अवसानपुर,, बस्ती
१७	गर्ग एण्ड को०	१५	गान्धी नगर, बस्ती
१८	राज दुलारी	१५	गान्धी नगर बस्ती
१९	शान्ती देवी	१५	गान्धी नगर, बस्ती
२०	दुक्खी राम जैसवाल	१५	गान्धी नगर, बस्ती
२१	मुरारी लाल	१५	गान्धी नगर, बस्ती
२२	शिव दुलारी	१५	पान्डे बाजार, बस्ती
२३	जानकी लाल	१५	गान्धी नगर, बस्ती
२४	रामनाथ मोदी	१५	गान्धी नगर, बस्ती
२५	दुर्गा प्रसाद	१५	गान्धी नगर, बस्ती
२६	रामराज	१५	गान्धी नगर, बस्ती
२७	अनरुद्ध लाल	१५	गान्धी नगर, बस्ती
२८	जामिन अली	१५	गान्धी नगर, बस्ती
२९	रणजीत सिंह, ऐडवोकेट ..	१५	मालवीया रोड, बस्ती
३०	डा० प्रेमनाथ सोनी	१५	मालवीया रोड, बस्ती
३१	मोती नाथ, वकील	१५	बैरीहवा, बस्ती

१	२			३	४
३२	कुर्बान अली	..	..	१५	गान्धी नगर, बस्ती
३३	मुहम्मद इश्हाक खां	..	..	१५	गान्धी नगर, बस्ती
३४	सुशीला देवी	..	..	१५	गान्धी नगर, बस्ती
३५	आशिया बीबी	..	..	१५	गान्धी नगर, बस्ती
३६	मगेन्द्रनाथ, सेक्रेटरी	..	..	१५	गान्धी नगर, बस्ती
३७	शान्ती देवी	..	..	१५	गान्धी नगर, बस्ती
३८	जटाशंकर लाल वकील	..	..	१५	बांसी, बस्ती
३९	पुरुषोतम नाथ त्रिपाठी		..	१५	गान्धी नगर, बस्ती
४०	आर० बी० गुप्ता	..	..	१५	बांसी, बस्ती
४१	जामिन अली	..	..	१५	गान्धी नगर, बस्ती
४२	अभिमन्यु प्रसाद पान्डेय	..	..	२०	गान्धी नगर, बस्ती
४३	बाबू राम चौधरी	..	..	१५	पान्डे बाजार, बस्ती
४४	डा० कुलदीप लाल श्रीवास्तव		..	१५	गान्धी नगर, बस्ती
४५	एस० के० पान्डे	..	..	२५	नरहरिया बस्ती
४६	समशाद अली	..	..	१५	गान्धी नगर, बस्ती
४७	डा० हनुमान प्रसाद	..	..	१५	गान्धी नगर बस्ती
४८	प्रधानाचार्य रतन सेन	..	..	२५	बांसी, बस्ती
४९	सैयद मु० मुनीर	..	..	१५	गान्धी नगर, बस्ती
५०	मु० हफीज, कान्ट्रैक्टर	..	..	१५	बस्ती

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २२८ एल० ए०—१९६६—८६२ ।